₹ 20

www.kewalsach.com

निर्भीकता हमारी पहचान

जून 2026

केवल सच

हिन्दी मासिक पत्रिका

NEET-UG 2026 पेपर लीक

त्रासदी परीक्षा की नहीं, नैतिक शिक्षा की!

RNI NO.- BIHHIN/2006/18181, DAVP NO.-129888, POSTAL REG. NO. :- PS.-35

जन-जन की आवाज है केवल सच

आत्म-निर्भर बनने वाले युवाओं को सपोर्ट करें

आपका छोटा सहयोग, हमें मजबूती प्रदान करेगा

www.kewalsach.com

www.kewalsachlive.in

-: सम्पर्क करें :-

पूर्वी अशोक नगर, रोड नं.-14, मकान संख्या-28/14,
कंकड़बाग, पटना (बिहार)-800020, मो०:-9431073769, 9308815605

जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएँ

दिनेश कार्तिक
01 जून 1985

सोनाक्षी सिन्हा
02 जून 1987

स्व०जॉर्ज फर्नांडीस
03 जून 1930

अनिल अंबानी
04 जून 1959

मुकेश भट्ट
05 जून 1952

महेश भूपति
07 जून 1974

शिल्पा शेट्टी
08 जून 1975

किरण बेदी
9 जून 1949

सोनम कपूर
9 जून 1985

सुबोधकांत सहाय
11 जून 1951

किरण खेर
14 जून 1955

शेखर सुमन
14 जून 1960

मिथुन चक्रवर्ती
16 जून 1950

लियंडर पेस
17 जून 1973

राहुल गांधी
19 जून 1970

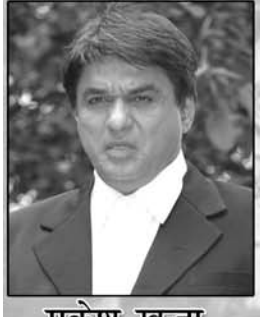

मुकेश खन्ना
19 जून 1958

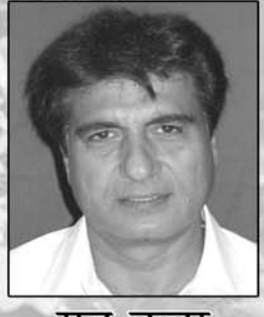

राज बब्बर
23 जून 1952

वीरभद्र सिंह
23 जून 1934

करिश्मा कपूर
25 जून 1974

धर्मेन्द्र प्रधान
26 जून 1969

निर्भीकता हमारी पहचान

www.kewalsach.com

केवल सच

हिन्दी मासिक पत्रिका

Regd. Office :-
East Ashok, Nagar, House No.-28/14, Road No.-14, kankarbagh, Patna- 8000 20 (Bihar) Mob.-09431073769
E-mail :- kewalsach@gmail.com

Corporate Office:-
Vaishnavi Enclave, Second Floor, Flat No. 2B, Near-firing range, Bariatu Road, Ranchi- 834001
E-mail :- editor.kstimes@rediffmail.com

Delhi Office :-
Sanjay Kumar Sinha, A-68, 1st Floor, Nageshwar Talla Shastri Nagar, New Delhi - 110052
Mob.- 09868700991, 09955077308
E-mail:- kewalsach_times@rediffmail.com

Kolkata Office :-
Ajeet Kumar Dube, 131 Chitranjan Avenue, Near- md. Ali Park, Kolkata- 700073 (West Bengal)
Mob.- 09433567880 09339740757

Advertisement Rates Per Issue

COLOUR

AREA	FULL PAGE	HALF PAGE	Qr. PAGE
Cover Page	5,00,000/-	N/A	N/A
Back Page	1,60,000/-	N/A	N/A
Back Inside	1, 00000/-	60,000/-	35000
Back Inner	90,000/-	50,000/-	30000
Middle	1,50,000/-	N/A	N/A
Front Inside	1, 00000/-	60,000/-	40000
Front Inner	90,000/-	50,000/-	30000

B & W

AREA	FULL PAGE	HALF PAGE
Inner Page	60,000/-	35,000/-

1. एक साल के नियमित विज्ञापन पर पत्रिका के वेवसाइट **www.kewalsach.com** के फ्रंट पर भी विज्ञापन निःशुल्क तथा आपका वेवसाइट से सीधा लिंक हो सकता है।
2. एक साल के नियमित विज्ञापन पर 10 प्रतिशत की रियायत।
3. आपके प्रोडक्ट या संगठन के प्रचार-प्रसार हेतु आलेख को उचित स्थान।
4. पत्रिका द्वारा सामाजिक कार्य में आपके संगठन/प्रोडक्ट का बैनर/फ्लैक्स को उचित स्थान देकर आपके संगठन का व्यापक प्रचार-प्रसार।
5. विज्ञापन का भुगतान चेक या आर.टी.जी.एस. से ही मान्य होगा।

महाप्रबंधक (विज्ञापन)

सरकार

खुद पर नहीं भरोसा!

सरकार जन-बुनियादी समस्याओं के निदान के लिए चुनी जाती है लेकिन सरकार को खुद पर ही भरोसा नहीं है इसलिए सरकार के सरकारी पदाधिकारी एवं कर्मचारी न तो सरकारी शिक्षा पद्धति पर भरोसा करता है और ना ही सरकारी चिकित्सा पद्धति पर जिसकी वजह से वह अपने बच्चों को न तो सरकारी स्कूल में पढ़ने भेजता है और ना ही अपने परिवार का ईलाज सरकारी अस्पताल में कराता है। हद तो तब हो जाती है जब सरकारी शिक्षक अपने सरकारी स्कूल में अपने बच्चों का नामांकन नहीं कराते और यह समस्या सिर्फ बिहार एवं झारखंड प्रदेश की नहीं बल्कि सम्पूर्ण भारत की है। कुकुरमुत्ते की तरह गली-गली में खुल रहे विद्यालय एवं हॉस्पीटल ही नहीं बल्कि सरकारी विभागो का भी यही हाल है। पुलिस विभाग में भी कई विंग है लेकिन एक - दूसरे को आपस में भरोसा नहीं दिखता, जिस वजह से जांच में कई प्रकार की अड़चने आती है। सरकार के अधिकारी एवं राजनेता को भी आपस में भरोसा नहीं है क्योंकि निविदा के खेल में किसी कंपनी को एल- 01 बनाने के लिए क्या-क्या होता है सब सार्वजनिक हो चुका है। सरकार गठबंधन की है लेकिन किसी भी दल का मंत्री को भी दूसरे मंत्री पर भरोसा नहीं है जैसा माहौल देश में कायम है। केन्द्र की सरकार को राज्य की सरकारों पर भरोसा नहीं है जबकि टैक्स में दोनों बराबर वसूली करते हैं, ऐसे में सरकार पर जनता कैसे विश्वास करेगी...!

— — — — — —

ब्रजेश मिश्र, संपादक
8340360961, 9431073769

जनहित के मुद्दे को गंभीरता से निष्पादन करने के लिए जनता सरकार को चुनती है पर सरकार बनते ही जनता को प्राइवेट पर है भरोसा के वातावरण में जीने को विवश होना पड़ता है। शिक्षा हो या चिकित्सा सरकार सिर्फ कागजों पर हीं मजबूत दिखती है और चुनाव के वक्त प्रलोभन देकर वोट हासिल करने में कामयाब हो जाती है। आजादी के बाद से ही सरकार को अपने ही योजनाओं पर भरोसा नहीं होता क्योंकि बढ़ता भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी की वजह से जनता को उनका वाजिब हक भी नहीं मिलता और आवाज उठाने वाले लोगों को झूठे केश मुकदमे में फंसा दिया जाता है। 60 वर्षों से अधिक समय तक सत्ता पर काबिज रही कांग्रेस से जब लोगों का विश्वास उठ गया तब गठबंधन कर 6 वर्ष अटल बिहारी बाजपेयी और 2014 से अभी तक नरेन्द्र मोदी में भरोसा करके सरकार चलाने का अवसर प्रदान की लेकिन सरकार को खुद पर ही भरोसा नहीं है। इसका दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण गठबंधन की सरकार है जिसकी वजह से सरकार के मुखिया अन्य पार्टियां नाराज नहीं हो उसकी वजह से गलत कार्य पर भी पर्दा सरकार बचाने के लिए डाला जाता है। केन्द्र की सरकार के राफेल डील, नोटबंदी, विदेशों से कालाधन की वापसी, रोजगार, भूमि अधिग्रहण बिल, किसानों की आत्महत्या, नमामि गंगे, वन रैंक वन पेंशन, सीजफायर, मेक इन इंडिया, कानून व्यवस्था, जीएसटी, गैस की समस्या, बढ़ती महंगाई, जांच एजेंसी का गलत इस्तेमाल, दूसरे पार्टी के नेता को मुख्यमंत्री बनाना जैसे मुद्दे को विपक्ष उठाते हुए सरकार को कटघरे में खड़ा करता है। आज पेट्रोल-डीजल सहित विभिन्न जरूरतमंद वस्तुओं की आसमान छूती महंगाई ने जनता की कमर तोड़ दी है तो योजनाओं को लूटने वाले पदाधिकारियों की वजह से सरकार को खुद पर भरोसा टूटता जा रहा है। भारत देश के विभिन्न राज्यों में भाजपा एवं गठबंधन समर्थित सरकार है लेकिन राज्य में अपने ही सरकार के मंत्रियों का अपने ही मंत्रियों पर भरोसा नहीं है इसको आसानी से देखा जा सकता है। सामाजिक न्याय एवं आजादी के महत्व को दरकिनार करते हुए देश के भीतर गृहयुद्ध का माहौल बनाने की स्थिति को स्वयं सरकार जन्म दे रही है। वोट लेते समय कोई भेदभाव नहीं होता पर सरकार बनते ही जनता को कई भागों में विभिक्त करने के लिए सरकार कानून बनाती है जिससे अपने ही लोगों के साथ भय का वातावरण बना दिया जाता है। वर्त्तमान समय में यूजीसी, एससी/एसटी, ई. डब्ल्यू.एस जैसा कानून की वजह से अराजकता का वातावरण बना हुआ है तथा देश विकास के पथ पर बढ़ने के बजाय जातिगत एवं धर्म की राजनीति के जंजाल में फंसाकर सत्ता का खेल मजबूती से चल रहा है। बिहार में 1990 से लेकर 2026 तक सरकार का कमान विभिन्न हांथों में रहा और बिहार प्रदेश की दशा एवं दिशा कब कैसे रही और आज किस प्रकार के माहौल है की तुलना करने पर ऐसा प्रतित होता है की सरकार में बने रहने के लिए राजनेता किस प्रकार सरकारी खजाना को खाली करके प्रदेश का विकास का दावा कर रहे हैं जगजाहिर है। बिहार में पूर्व भूमि राजस्व मंत्री सह उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने जब सीओ पर कार्रवाई शुरू किया और फिर से सत्ता के मालिक सम्राट चौधरी बने तो विजय सिन्हा का मंत्रालय बदल दिया गया और सीओ का हौसला बढ़ाकर मंत्री के कार्रवाई पर ही प्रश्नचिन्ह् लगा दिया, इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार को खुद पर भरोसा नहीं दिखता। किसी भी प्रकार की घटना पर सरकार के मंत्रीयों का बयान भी सरकार के भरोसे पर प्रश्न खड़ा करता है। तत्कालीन मुख्यमंत्री की व्यक्तिगत जिद् की वजह से 2016 में शराबबंदी होने के कारण बिहार का खजाना खाली हुआ, सरकार बनाने में कामयाब हो गये। 2025 में सरकार बनाने के लिए 10 हजार बांटने की वजह से सरकारी खजाना खाली हो गया। सरकार के भरोसा को तोड़ने में पुलिस की लापरवाही भी एक बड़ा कारण है तो दूसरा भारतीय एवं राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकांशत: पदाधिकारी भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबा हुआ है जो सार्वजनिक हो चुका है। ईडी और सीबीआई का भी भय समाप्त होता जा रहा है और न्यायालय के आदेश के बाद भी भ्रष्ट फिर से अपने पद पर कार्यरत हो रहे हैं जो रंगे हांथ पकड़े जाते हैं। जब चोर चोरी करते पकड़ा गया वह छूट जाने के बाद फिर से चोरी नहीं करेगा? प्रतिवर्ष जून एवं दिसम्बर में बड़े स्तर पर तबादला होता है जिसमें मनचाहा पोस्टिंग के लिए बड़े स्तर पर धन की उगाही का खेल चलता है तथा नियम का खुलेआम उलंघन होता है और एक ही जगह पर 3 साल से अधिक समय तक कोई एक ही पद एवं एक ही जगह पर कैसे कार्यरत् रह सकता है? सरकार का काम जनता के साथ व्यापार करना नहीं होता बल्कि जनबुनियादी समस्याओं का समाधान करना सरकार का दायित्व है लेकिन सरकार को खुद के फैसले पर भरोसा नहीं हो रहा है। सरकार शिक्षा एवं चिकित्सा पर भी कटघरे में खड़ा है। पारस हॉस्पीटल की गुंडागर्दी लगातार दिख रहा है लेकिन प्रशासन कार्रवाई करने से बचती है और आमजनता कां हांथ पैसा देने के बाद भी लाश मिलता है। सरकार कई मुद्दे पर अपने उपर भरोसा नहीं करती दिख रही है और उसको ऐसा लगता है की कहीं हमारी सरकार की मुश्किलें न बढ़ जाये।

मई 2026

आपको केवल सच पत्रिका कैसी लगी तथा इसमें कौन-कौन सी खामियाँ हैं, अपने सुझाव के साथ हमारा मार्गदर्शन करें। आपका पत्र ही हमारा बल है। हम आपके सलाह को संजीवनी बूटी समझेंगे।

केवल सच

हमारा पता है :-

राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका
द्वारा:- ब्रजेश मिश्र
पूर्वी अशोक नगर, रोड़ नं.- 14, मकान संख्या- 14/28
कंकड़बाग, पटना-800020 (बिहार)
फोन:- 9431073769/ 8340360961/ 9955077308

हमारा ई-मेल
kewalsach@gmail.com, editor.kstimes@rediffmail.com
kewalsach_times@rediffmail.com

रोजगार

ब्रजेश जी,

मई 2026 अंक में केवल सच पत्रिका के पत्रकार कुमार अनिकेत ने ''**बिहार में रोजगार प्रधान उद्योग क्यों नहीं?**'' खबर में उद्योग विभाग के निकम्मेपन और लाचारी पर व्यंग्यात्मक खबर लिखकर विभिन्न प्रकार की जानकारी से रूबरू कराकर जनहित का कार्य किया है। बिहार में उद्योग विभाग जितने दावे करता है, अगर वास्तव में युवाओं का साथ देकर केन्द्र एवं राज्य सरकार के योजनाओं को जमीन पर उतारे तो बिहार में रोजगार का द्वार खुल जायेगा। आपका यह खबर सच में युवाओं के लिए जानकारीप्रद है।

✦मनीष मिश्रा, खेलगांव कॉलोनी, राँची, झा०

सुपरहिट

ब्रजेश जी,

आपका संपादकीय आम आदमी के लिए काफी जानकारीप्रद रहता है तथा सही मुद्दे को प्राथमिकता के साथ लिखने की वजह से यह काफी लोकप्रिय बनता जा रहा है। मई 2026 अंक में ''**राजनीति का व्यवसाय सुपरहिट**'' संपादकीय पढ़ने के बाद यह समझ आया कि किस प्रकार राजनीति को सेवा के बजाय धंधे के रूप में है की जानकारी पाकर काफी चिंतित हूं। हमारे शहीद क्रांतिकारियों के बलिदान कैसे कुचला जा रहा है। आपका खबर दिल को झकझोर देता है और सिस्टम के गंभीर बातों को गंभीरता से लिखता है।

✦दीपक राज, बेगूसराय बस स्टैण्ड, बेगूसराय

धमाकेदार खबरें

मिश्रा जी,

केवल सच, पत्रिका के मई 2026 अंक में यूपी एवं दिल्ली की खबरें भी काफी धमाकेदार लगी। संजय सिन्हा की खबर ''दिल्ली में विशाल आदिवासी सांस्कृतिक समागम'' यूपी में अजय कुमार की खबर ''सड़क नमाजघर नहीं, कानून सबसे बड़ा धर्म'' के साथ संजय सक्सेना की खबर ''बंगाल की जीत से यूपी में सपा की चिंता और भाजपा का नया उत्साह'' और झारखंड से भारती मिश्रा की खबर ''बंगाल की जीत पर सियासी संग्राम'' गुड्डी साव एवं ओमप्रकाश की खबरें भी अच्छी लगी लेकिन अखबारी खबर से केवल सच को परहेज करना चाहिए। बिहार यूपी की तरह खोजी खबर झारखंड का भी दें।

✦ प्रेमशंकर प्रसाद, बाबू बजार, कोलकात्ता

सम्राट

मिश्रा जी,

केवल सच पत्रिका के मई 2006 अंक में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे के बाद भाजपा की सरकार बनी। बिहार में नीतीश कुमार का काल समाप्त होकर राजद से भाजपा में शामिल हुए सम्राट पर मोदी शाह ने भरोसा करके मुख्यमंत्री बनाया की खबर का सटीक समीक्षा अमित कुमार ने की है। बिहार की राजनीति पर पक्ष एवं विपक्ष के सारे क्रिया-कलाप को एवं चुनाव के वक्त की कूटनीति को काफी बारीकी से लिखा गया है। भाजपा के भीतर भी सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनाये जाने से नाराजगी भी है, लेकिन विरोध में बोल नहीं पा रहे हैं। लंबी खबर है लेकिन पठनीय एवं संग्रहनीय है।

✦ अखिलेश पाण्डेय, रघुनाथपुर, सिवान, बिहार

भगवान की संपत्ति

संपादक जी,

केवल सच पत्रिका बेबाक खबरों के लिए पहचाना जाता है और किसी भी पद या सरकार पर बिना किसी के आगे झुके जोरदार ढ़ंग से लिखता है। मई अंक में शशि रंजन सिंह एवं राजीव शुक्ला की खबर ''**भगवान की संपत्ति, भ्रष्टों का राज**'' में बिहार के मंदिर एवं मठ कैसे बन रहे हैं शिकार के विषय में पूर्ण प्रमाण के साथ खबर लिखा गया है, जिसमें प्रो रणवीर नंदन अध्यक्ष बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद के कार्य-प्रणाली पर सटीक सवाल उठायें हैं। शशि रंजन सिंह का खबर कई अंकों से किसी न किसी का पर्दाफास करता नजर आ रहा है।

✦ विकास सिंह, लहेरियासराय, दरभंगा, बिहार

अपराध

संपादक जी,

मई 2026 अंक में अमित कुमार की खबर ''**अपराध नही हो रहे कम, सम्राट दिखायेंगे अपना दम**'' में बिहार में तेजी से बढ़ते अपराध एवं अपराधियों के हौसले एवं पुलिस की भ्रष्टाचार से जुड़ी बातों को भी खबर में लिखा गया है। सरकार बनते ही बिहार में अपराधियों का तांडव बढ़ता जा रहा है। गैंगरेप, हत्या और मारपीट की समस्या काफी तेजी से विकसित होता जा रहा है और सरकार एवं उनके मंत्री बड़े-बड़े दावे करते हैं लेकिन पुलिस की साख पर सवाल उठने लगा है। केवल सच बिना भय के साथ खबर लिखता है और सच-सच लिखता है।

✦ विकास कुमार, पाठक टोली, गया, बिहार

अन्दर के पन्नों में

26

34

37

74

88

RNI No.- BIHHIN/2006/18181, DAVP No.- 129888

समृद्ध भारत खुशहाल भारत

निर्भीकता हमारी पहचान

केवल सच

राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका

वर्ष:- 21 | अंक:- 241 | माह:- जून 2026 | मूल्य:- 20/- रू

फाउंडर

श्रद्धेय गोपाल मिश्र

श्रद्धेय सुषमा मिश्र

संपादक

ब्रजेश मिश्र

9431073769 8340360961

editor.kstimes@rediffmail.com

kewalsach@gmail.com

प्रधान संपादक

अरूण कुमार बंका (एडमिन) 7782053204

सुरजीत तिवारी 9431222619

निलेन्दु कुमार झा 9431810505, 8210878854

सच्चिदानन्द मिश्र 9934899917

डॉ० शशि कुमार 9507773579

संपादकीय सलाहकार

अमिताभ रंजन मिश्र 9430888060, 8873004350

अमोद कुमार 9431075402

महाप्रबंधक

त्रिलोकी नाथ प्रसाद 9308815605, 9122003000

triloki.kewalsach@gmail.com

महाप्रबंधक (विज्ञापन)

पूनम जयसवाल 9430000482, 9798874154

मनीष कुमार कमलिया 9934964551, 8809888819

गीतांजलि 9279599313, 8294636307

उप-संपादक

प्रसुन्न पुष्कर 9430826922, 7004808186

ब्रजेश सहाय 7488696914

ललन कुमार 7979909054, 9334813587

राजनीतिक संपादक

सुमित रंजन पाण्डेय 7992210078

संतोष कुमार यादव 8210487516

संयुक्त संपादक

अमित कुमार 'गुड्डू' 9905244479, 7979075212

राजीव कुमार शुक्ला 9430049782, 7488290565

काशीनाथ गिरी 9905048751, 9431644829

कुमार अनिकेत 9431914317

सहायक संपादक

शशि रंजन सिंह 8210772610, 9431253179

मिथिलेश कुमार 9934021022, 9431410833

नवेन्दु कुमार मिश्र 9570029800, 9199732994

समाचार प्रबंधक

सुधीर कुमार मिश्र 9608010907

ब्यूरो-इन-चीफ

संकेत कुमार झा 9386901616, 7762089203

विधि सलाहकार

शिवानन्द गिरि 9308454485

चीफ क्राइम ब्यूरो

सैयद मो० अकील 9905101976, 8521711976

साज-सज्जा प्रबंधक

अमित कुमार 9905244479

amit.kewalsach@gmail.com

कार्यालय संवाददाता

सोनू यादव 8002647553, 9060359115

प्रसार प्रतिनिधि

कुणाल कुमार 9905203164

बिहार प्रदेश जिला ब्यूरो

पटना (श०)	:-	श्रीधर पाण्डेय	9470709185
(म०)	:-		
(ग्रा०)	:-		
बाढ़	:-		
भोजपुर	:-	गुड्डू कुमार सिंह	8789291547
बक्सर	:-	बिन्ध्याचल सिंह	8935909034
कैमूर	:-		
रोहतास	:-		
	:-		
गया (श०)	:-		
(ग्रा०)	:-		
औरंगाबाद	:-		
जहानाबाद	:-	नवीन कुमार रौशन	9934039939
अरवल	:-	संतोष कुमार मिश्रा	9934248543
नालन्दा	:-		
	:-		
नवादा	:-	अमित कुमार	9162664468
	:-		
मुंगेर	:-		
लखीसराय	:-		
शेखपुरा	:-		
बेगूसराय	:-		
	:-		
खगड़िया	:-		
समस्तीपुर	:-		
जमुई	:-	अजय कुमार	09430030594
वैशाली	:-		
	:-		
छपरा	:-		
सिवान	:-		
	:-		
गोपालगंज	:-		
	:-		
मुजफ्फरपुर	:-	.	
	:-		
सीतामढ़ी	:-		
शिवहर	:-		
बेतिया	:-	रवि रंजन मिश्रा	9801447649
बगहा	:-		
मोतिहारी	:-	संजीव रंजन तिवारी	9430915909
दरभंगा	:-		
	:-		
मधुबनी	:-		
	:-	प्रशांत कुमार गुप्ता	6299028442
सहरसा	:-		
मधेपुरा	:-		
सुपौल	:-		
किशनगंज	:-		
	:-		
अररिया	:-	अब्दुल कय्यूम	9934276870
पूर्णिया	:-		
कटिहार	:-		
भागलपुर,	:-		
(ग्रा०)	:-	रवि पाण्डेय	7033040570
नवगछिया	:-		

दिल्ली कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
द्वारा- संजय कुमार सिन्हा
A-68, 1st Floor,
नागेश्वर तल्ला, शास्त्रीनगर,
नई दिल्ली-110052
संजय कुमार सिन्हा, स्टेट हेड
मो०- 9868700991, 9431073769

उत्तरप्रदेश कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
....., स्टेट हेड

सम्पर्क करें

9308815605

पश्चिम बंगाल कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
द्वारा- अजीत कुमार दुबे
131 चितरंजन एवेन्यू,
कोलकात्ता, पश्चिम बंगाल- 700073
अजीत कुमार दुबे, स्टेट हेड
मो०- 9433567880, 9308815605

मध्य प्रदेश कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
हाउस नं.-28, हरसिद्धि कैम्पस
खुशीपुर, चांबड़
भोपाल, मध्य प्रदेश- 462010
अभिषेक कुमार पाठक, स्टेट हेड
मो०- 8109932505,

झारखंड कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
वैष्णवी इंक्लेव,
द्वितीय तल, फ्लैट नं- 2बी
नियर- फायरिंग रेंज
बरियातु रोड, राँची- 834001
मो०- 7903856569, 6203723995

छत्तीसगढ़ कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,

....., स्टेट हेड

सम्पर्क करें

8340360961

संपादकीय व प्रधान कार्यालय:-

☞ पूर्वी अशोक नगर, रोड नं.-14, मकान संख्या.- 14/28, कंकड़बाग, पटना-800020 (बिहार) मो०- 9431073769, 9955077308

☞ e-mail:- kewalsach@gmail.com, editor.kstimes@rediffmail.com
kewalsach_times@rediffmail.com

☞ स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक ब्रजेश मिश्र द्वारा सांध्य प्रवक्ता खबर वर्क्स, ए- 17, वाटिका विहार (आनन्द विहार), अम्बेडकर पथ, पटना 8000 14(बिहार) एवं पूर्वी अशोक नगर, रोड नं. 14, कंकड़बाग पटना-800020 से प्रकाशित, संपादक- ब्रजेश मिश्र। RNI NO.-BIHHIN/2006/18181

☛ पत्रिका में प्रकाशित समाचारों से संपादक की सहमति आवश्यक नहीं है।

☛ सभी प्रकार के वाद-विवादों का निपटारा पटना न्यायालय के अधीन होगा।

☛ आलेख पर कोई आपत्ति हो तो एक महीने के भीतर खंडन करें।

☛ किसी भी लेख के लिए रचनाकार/लेखक स्वयं जिम्मेवार होंगे।

☞ **सभी पद अवैतनिक हैं।**

☞ फोटो-समाचार साभार भी (माध्यम- इंटरनेट एवं अन्य स्त्रोत)

☞ कोई भी शिकायत हमारे पते पर लिखकर भेजें।

☞ **विज्ञापन का भुगतान चेक या ड्राफ्ट एवं RTGS से ही मान्य होगा।**

☞ भुगतान Kewal Sach को ही करें। प्रतिनिधियों को नगद न दें।

☞ A/C No. :- 0600050004768
BANK :- Punjab National Bank
IFSC Code :- PUNB0060020
PAN No. :- AAJFK0065A

☞ A/C No. :- 0600050004768
BANK :- State Bank of India
IFSC Code :- SBIN0003564
PAN No. :- AAJFK0065A

प्रधान संपादक

.....

.....

झारखण्ड स्टेट ब्यूरो

.....

झारखण्ड सहायक संपादक

अभिजीत दीप 7004274675, 9430192929
ब्रजेश मिश्र 7654122344, 7979769647
अनंत मोहन यादव 9546624444, 7909076894

उप संपादक

अजय कुमार 6203723995, 8409103023

.....

संयुक्त संपादक

.....

विशेष प्रतिनिधि

भारती मिश्रा 8210023343, 8863893672

.....

.....

झारखण्ड प्रदेश जिला ब्यूरो

राँची :- अभिषेक मिश्र 7903856569
:- ओम प्रकाश 9708005900
साहेबगंज :-
खूँटी :-
जमशेदपुर :- तारकेश्वर प्रसाद गुप्ता 9304824724
हजारीबाग :-
जामताड़ा :-
दुमका :-
देवघर :-
धनबाद :-
बोकारो :-
रामगढ़ :-
चाईबासा :-
कोडरमा :-
गिरीडीह :-
चतरा :- धीरज कुमार 9939149331
लातेहार :-
गोड्डा :-
गुमला :-
पलामू :-
गढ़वा :-
पाकुड़ :-
सरायकेला :-
सिमडेगा :-
लोहरदगा :-

श्री चन्द्र प्रकाश सिंह

प्रधान संरक्षक सह प्रबंध संपादक

'केवल सच' पत्रिका **एवं 'केवल सच टाइम्स'**

राष्ट्रीय संगठन मंत्री, राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस (इंटक)

पूर्व निदेशक सदस्य, ओरियेंटल बैंक ऑफ कॉमर्स

09431016951, 09334110654

डॉ. सुनील कुमार

शिशु रोग विशेषज्ञ सह मुख्य संरक्षक

'केवल सच' पत्रिका

एवं 'केवल सच टाइम्स'

एन.सी.- 115, एसबीआई ऑफिसर्स कॉलोनी,
लोहिया नगर, कंकड़बाग, पटना- 800020

फोन- 0612/3504251

सुधीर कुमार

मुख्य संरक्षक सह निदेशक ''**मगध इंटरनेशनल स्कूल**'' टेकारी

'' **केवल सच** '' पत्रिका **एवं** '' **केवल सच टाइम्स** ''

9060148110

sudhir4s14@gmail.com

कैलाश कुमार मौर्य

मुख्य संरक्षक

'केवल सच' पत्रिका **एवं 'केवल सच टाइम्स'**

व्यवसायी

पटना, बिहार

7360955555

बिहार राज्य प्रमंडल ब्यूरो		
पटना		
मगध		
सारण		
तिरहुत		
पूर्णिया	**धर्मेन्द्र सिंह**	9430230000 7004119966
भागलपुर		
मुंगेर		
दरभंगा		
कोशी		

विशेष प्रतिनिधि

आशुतोष कुमार	9430202335, 9304441800
सूमन सौरभ	9471492480, 7004952447
बेंकटेश कुमार	8521308428, 9572796847
दीपनारायण सिंह	9934292882
आनन्द प्रकाश पाण्डेय	9931202352, 7808496247
रामजीवन साहू	9430279411, 7250065417
रजनीश कांत झा	9430962922, 7488204140
मुकेश कुमार	9473038020

छायाकार

त्रिलोकी नाथ प्रसाद	9122003000, 9431096964
मुकेश कुमार	9835054762, 9304377779
जय प्रसाद	7766081555

झारखंड राज्य प्रमंडल ब्यूरो		
राँची	गुड्डी साव	6299470142
हजारीबाग		
पलामू		
दुमका		
चाइईबासा		

प्रधानमंत्री का अमृतकाल, देश के लिए बन गया है विषकाल

● **अमित कुमार**

140 करोड़ से ऊपर की आबादी वाला भारत हर दिन समस्याओं से लड़ता आ रहा है! कभी महंगाई, तो कभी रोजगार, तो कभी रोजमर्रा की जिंदगी से। लेकिन इनके बीच एक बड़ा वर्ग जो देश के भविष्य अपने को मानते हैं। आज किसी न किसी तैयारियों में खुद को साबित करने का प्रयास करते हैं तो देश की खोखली सिस्टम भ्रष्टाचार के दलदल में इन्हें भविष्य बनने से रोक रहे हैं। हम बात कर रहे हैं देश के युवाओं की लंबी-चौड़ी फौज की। जो हर दिन सिस्टम के साथ लड़ रहे हैं। भारत में किसी की सरकारें हो और वह कितने भी रोजगार, नौकरी देने और बेरोजगारी दूर करने के दावे कर लें किन्तु उन्हीं के बीच का सिस्टम इन युवाओं के रास्ते का पत्थर बनते हैं। जब कोई युवा कड़ी मेहनत कर मन में डॉक्टर, इंजीनियर बनने की चाह में प्रवेश परीक्षा की तैयारियां करते हैं और परीक्षा देने के बाद पता चलता है कि परीक्षाएं जो उन्होंने दी, वह रद्द कर दी गई तो उन्हें ऐसा

ठोकर लगता है कि उन्हें अपनी जान तक गंवानी पड़ जाती है। वर्षों से भारत के भीतर 'पेपर लीक' की घृणित घटनाएं घटती आ रही है किन्तु सरकार और उनके व्यवस्थापकों को कुछ भी दिखाई, सुनाई नहीं देता। उन विद्यार्थियों की कराहती वेदनाओं का उनपर कोई असर नहीं होता। फिर क्या? एक परीक्षा रद्द और फिर से परीक्षा लिए जाने की घोषणा उन विद्यार्थियों का मनोबल तोड़ देते हैं।

बहरहाल, एक बार फिर से 'पेपर लीक' की घटना घटी और परीक्षा रद्द कर दी गई। हम बात कर रहे हैं देश के प्रतिष्ठित NEET UG 2026 परीक्षा की। इस परीक्षा में सफल होकर डॉक्टर बनने का मार्ग तैयार होता है और यह NEET UG 2026 परीक्षा 'पेपर लीक' के कारण रद्द कर दी गई। परीक्षा में करीब 22 लाख छात्र शामिल हुए थे। 3 मई को आयोजित हुई NEET 2026 परीक्षा से पहले राजस्थान में एक कथित 'गेस पेपर' तेजी से वायरल हुआ था। जांच एजेंसियों का दावा है कि उस दस्तावेज के करीब 140 सवाल असली परीक्षा में पूछे गए

प्रश्नों से मेल खाते हैं। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) ने भारत सरकार की मंजूरी से, 3 मई 2026 को आयोजित NEET (UG) 2026 परीक्षा को रद्द करने और इस परीक्षा को उन तारीखों पर दोबारा आयोजित करने का निर्णय लिया है, जिनकी सूचना अलग से दी जाएगी। NTA ने मामले की जांच सीबीआई से कराने का फैसला किया है। छात्रों को परीक्षा के लिए दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होगा। परीक्षा केंद्र भी नहीं बदले जाएंगे। भारत की मेडिकल प्रवेश परीक्षा प्रणाली एक बार फिर गंभीर सवालों के घेरे में आ गई है। 3 मई को आयोजित हुई NEET 2026 परीक्षा से पहले राजस्थान में एक कथित 'गेस पेपर' तेजी से वायरल हुआ था। अब जांच एजेंसियों का दावा है कि उस दस्तावेज के करीब 140 सवाल असली परीक्षा में पूछे गए, जो उससे प्रश्नों से मेल खाते हैं। यह लगभग 720 में से 600 अंकों के बराबर माना जा रहा है। मामले की जांच राजस्थान पुलिस की स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप (SOG) कर रही है। जांच का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह महज बेहद सटीक अनुमान वाला पेपर था या फिर वास्तव में परीक्षा पत्र लीक हुआ था। यह पूरा मामला ऐसे समय सामने आया है जब NEET 2024 विवाद की यादें अभी ताजा हैं। पिछले साल पेपर लीक, बढ़े हुए अंक और परीक्षा में गड़बड़ियों के आरोपों ने देशभर में भारी विरोध प्रदर्शन कराए थे। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था और केंद्र सरकार तथा NTA को तीखी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। बिहार में परीक्षा से पहले पेपर पहुंचने की खबरें भी सामने आई थीं। हालांकि सुप्रीम

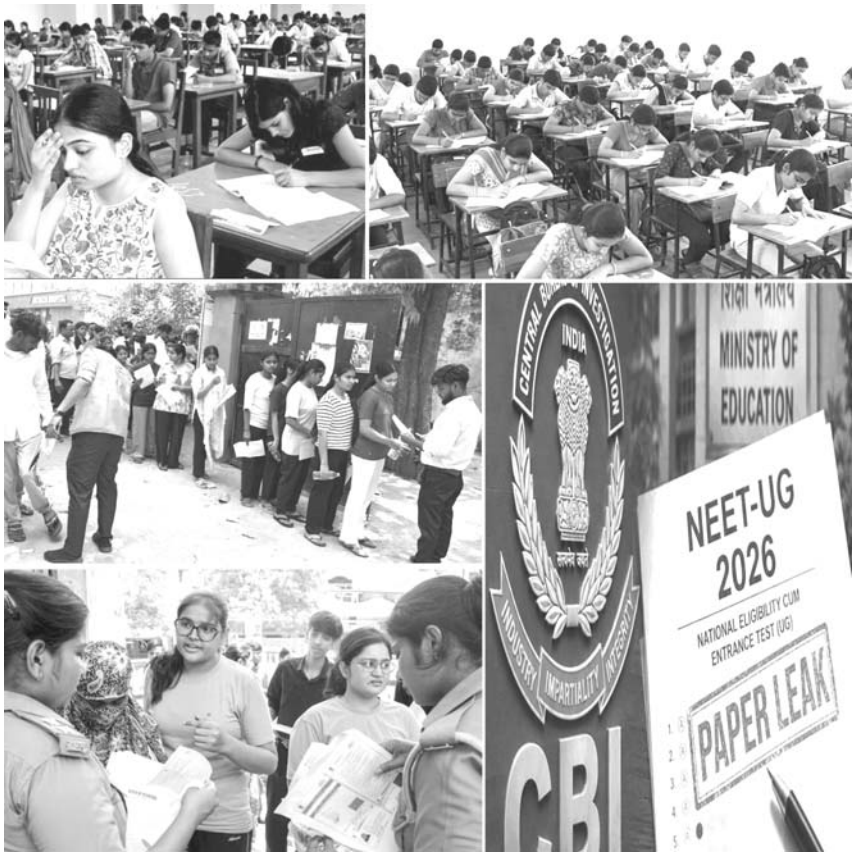

कोर्ट ने दोबारा परीक्षा कराने का आदेश नहीं दिया था, लेकिन उसने परीक्षा प्रणाली में खामियों को स्वीकार करते हुए सुधार के निर्देश दिए थे।

जानकारी के मुताबिक यह सामग्री सबसे पहले 1 मई को राजस्थान के सीकर में सामने आई थी, यानी परीक्षा से दो दिन पहले। इसे खरीदने वालों से 20 हजार रुपये से लेकर 2 लाख रुपये तक वसूले जा रहे थे। परीक्षा से एक दिन पहले इसकी कॉपियां करीब 30 हजार रुपये में बेची जा रही थीं। यह पूरा दस्तावेज हस्तलिखित था, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के 300 से ज्यादा सवाल शामिल थे। शुरुआती जांच में पाया गया कि पूरे दस्तावेज की लिखावट एक जैसी थी। जांच एजेंसियों का कहना है कि इनमें से लगभग 140 सवाल अंतिम प्रश्नपत्र में हूबहू पूछे गए। चूंकि NEET के हर सवाल के चार अंक होते हैं, ऐसे में इतनी बड़ी संख्या में सवालों का मेल परीक्षा परिणाम और एडमिशन प्रक्रिया को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। मामले को और संदिग्ध बनाने वाली बात यह है कि केवल सवाल ही नहीं, बल्कि कई प्रश्नों के उत्तर विकल्पों का क्रम भी वास्तविक परीक्षा से मेल खाता पाया गया। जांचकर्ताओं का मानना है कि सामान्य तौर पर कोई "गेस पेपर" इतनी सटीकता के साथ विकल्पों का क्रम नहीं बता सकता। SOG की जांच में यह दस्तावेज चूरू के एक मेडिकल छात्र तक पहुंचा, जो फिलहाल केरल के एक मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है। आरोप है कि उसने 1 मई को यह सामग्री सीकर के एक व्यक्ति को भेजी थी। इसके बाद यह दस्तावेज पीजी हॉस्टल, कोचिंग

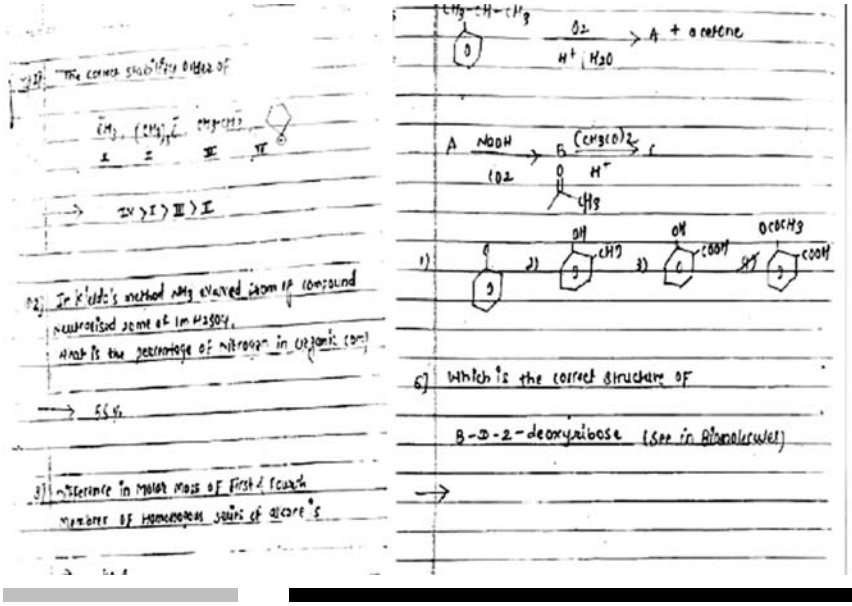

नेटवर्क, करियर काउंसलर और NEET अभ्यर्थियों के बीच तेजी से फैल गया। मोबाइल फोन से बरामद चैट्स में कई संदेशों पर "forwarded many times" का टैग मिला है, जिससे संकेत मिलता है कि परीक्षा से पहले यह सामग्री बड़ी संख्या में छात्रों तक पहुंच चुकी थी। जांच एजेंसियां यह भी पता लगाने में जुटी हैं कि क्या इसकी प्रिंटेड कॉपियां ऑफलाइन भी बांटी गई थीं। सीकर के एक पीजी संचालक की भूमिका भी जांच के दायरे में है। आरोप है कि उसके पास परीक्षा से पहले ही यह सामग्री थी और उसने इसे आगे भी भेजा। हालांकि परीक्षा खत्म होने के बाद उसी ने पुलिस और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) में शिकायत दर्ज कराई। जांच एजेंसियों को संदेह है कि उसने खुद पर शक कम करने के लिए यह कदम उठाया। NTA ने 10 मई को जारी बयान में कहा कि उसे NEET (UG) 2026 से जुड़ी कथित अनियमितताओं की जांच की जानकारी है। एजेंसी के मुताबिक परीक्षा के कुछ दिनों बाद उसे संभावित गड़बड़ियों की सूचना मिली थी, जिसे संबंधित एजेंसियों को भेज दिया गया। NTA ने कहा कि जांच एजेंसियां जो भी निष्कर्ष देंगी, उसके आधार पर पूरी पारदर्शिता के साथ आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल एजेंसी SOG की अंतिम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। जांच में यह भी देखा जा रहा है कि क्या इसके पीछे कोई संगठित गिरोह सक्रिय था। अब NEET 2026 को लेकर उठे नए सवालों ने एक बार फिर परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर बहस छेड़ दी है। यदि आरोप सही साबित होते हैं तो इसका असर न सिर्फ छात्रों के एडमिशन पर पड़ेगा, बल्कि परीक्षा प्रक्रिया में बचा हुआ भरोसा भी गंभीर रूप से प्रभावित हो सकता है। फिलहाल जांच जारी है और पूरे मामले की तस्वीर अभी साफ नहीं हुई है, लेकिन अब तक सामने आए तथ्य बेहद चिंताजनक माने जा रहे हैं।

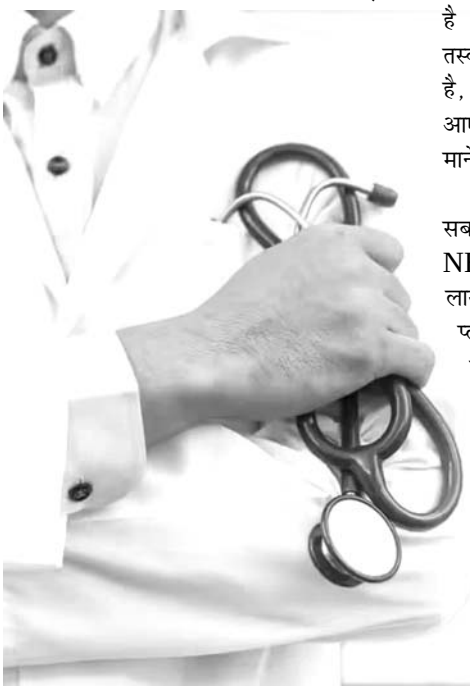

गौरतलब है देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET-UG सिर्फ एक एग्जाम नहीं, बल्कि लाखों परिवारों के सपनों को उड़ान देने वाला प्लेटफॉर्म है। कई बच्चे डॉक्टर बनने का सपना खुद देखने से पहले ही परिवार की उम्मीदों का हिस्सा बन जाते हैं। यही कारण है कि 20 लाख से ज्यादा छात्रों से जुड़ी इस परीक्षा में कोई भी विवाद सीधे छात्रों की मानसिक स्थिति और परिवारों की चिंता से जुड़ जाता है। NEET-UG 2026 परीक्षा 3 मई को आयोजित की गई थी, लेकिन पेपर लीक के आरोपों के बाद 12 मई को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने परीक्षा रद्द कर दी। इसके बाद दोबारा परीक्षा 21 जून को कराने की घोषणा की गई। परीक्षा रद्द होने से छात्र परेशान हैं और अपने भविष्य को लेकर चिंतित। देशभर में कई छात्रों के आत्महत्या करने की खबरें सामने आई हैं। परीक्षा रद्द होने के बाद पिछले 12 दिनों में 5 स्टूडेंट्स ने आत्महत्या कर ली। सवाल यह है कि जिम्मेदारों की लापरवाही ने बच्चों के सपनों को कुचल दिया, अब सिर्फ हो रही है गिरफ्तारियां और जांच? एक्सपर्ट्स के मुताबिक परीक्षा रद्द होने से स्टूडेंट्स परेशान होने के साथ ही भविष्य को लेकर आशंकित हैं। ऐसे में उनके परिवारों और संस्थानों को उनसे बातचीत के साथ ही भावनात्मक जुड़ाव की अधिक आवश्यकता है। बता दें कि कर्नाटक के कलबुर्गी में 18 वर्षीय छात्रा भाग्यश्री ने हाल ही में आत्महत्या कर ली। उसने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उसने NEET-UG की परीक्षा दी थी। पुलिस के अनुसार मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। परिजनों ने पुलिस को बताया कि किसी तरह की परेशानी नहीं थी और बेटी पढ़ाई में काफी अच्छी थी। भाग्यश्री ने हाल ही में 12वीं परीक्षा में 92 प्रतिशत अंक हासिल किए थे और NEET परीक्षा भी अच्छी गई थी। वही 13 मई को गोवा के मडगांव में एक छात्र ने आत्महत्या कर ली। सुसाइड नोट में उसने लिखा कि वह अब प्रतियोगी परीक्षाओं में हिस्सा नहीं लेना चाहता। 14 मई को यूपी के लखीमपुर खीरी में छात्र रितिक मिश्रा ने आत्महत्या कर ली। पेपर लीक और परीक्षा रद्द होने से वह तनाव में था। 15 मई को दिल्ली के आजादपुर में NEET की तैयारी कर रही एक छात्रा ने आत्महत्या कर ली। राजस्थान के सीकर में छात्र प्रदीप मेघवाल ने भी

इन सभी ने कर ली आत्महत्या

भाग्यश्री **प्रदीप मेघवाल** **हर्ष दूबे** **रितिक मिश्रा**

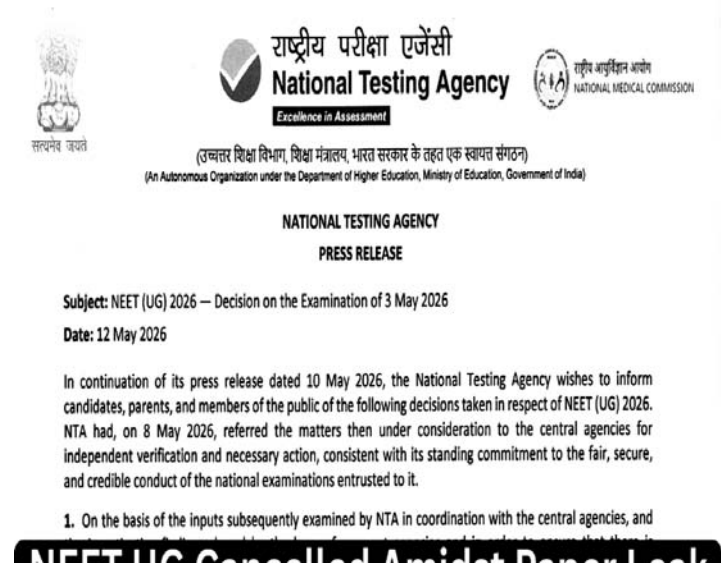

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी
National Testing Agency
Excellence in Assessment
राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग
NATIONAL MEDICAL COMMISSION
सत्यमेव जयते
(उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त संगठन)
(An Autonomous Organization under the Department of Higher Education, Ministry of Education, Government of India)

NATIONAL TESTING AGENCY
PRESS RELEASE

Subject: NEET (UG) 2026 — Decision on the Examination of 3 May 2026

Date: 12 May 2026

In continuation of its press release dated 10 May 2026, the National Testing Agency wishes to inform candidates, parents, and members of the public of the following decisions taken in respect of NEET (UG) 2026. NTA had, on 8 May 2026, referred the matters then under consideration to the central agencies for independent verification and necessary action, consistent with its standing commitment to the fair, secure, and credible conduct of the national examinations entrusted to it.

1. On the basis of the inputs subsequently examined by NTA in coordination with the central agencies, and

NEET UG Cancelled Amidst Paper Leak

National Testing Agency
@NTA_Exams

Translated from Hindi Show original

NEET (UG) 2026 — Announcement of Exam Date
The National Testing Agency has decided to conduct the re-examination of NEET (UG) 2026 on Sunday, 21 June 2026, with the approval of the Government of India.
Candidates and parents are requested to trust only the official channels of NTA.
neet-ug@nta.ac.in 011-40759000 / 011-69227700

जान दे दी। परिवार के अनुसार परीक्षा में उसे करीब 650 अंक आने की उम्मीद थी, लेकिन परीक्षा रद्द होने से वह परेशान था। महाराष्ट्र के लातूर में 18 वर्षीय मैथिली सोनवाने ने भी आत्महत्या कर ली। मैथिली डॉक्टर बनना चाहती थी और परीक्षा रद्द होने से वह परेशान थी और भविष्य को लेकर चिंतित। 24 मई को कर्नाटक के कलबुर्गी जिले में 18 वर्षीय छात्रा ने आत्महत्या कर ली है।

मीडिया रिपोर्ट्स के विश्लेषण के मुताबिक पिछले 5 वर्षों में NEET से जुड़े कम से कम 93 छात्र आत्महत्या के मामले सामने आए हैं। वर्ष 2025 में सबसे ज्यादा 32 मामले दर्ज किए गए। राजस्थान का कोटा इस मामले में सबसे बड़ा केंद्र बनकर उभरा है, जहां पिछले कुछ वर्षों में कम से कम 40 छात्रों की आत्महत्या के मामले सामने आए। इसके बाद पटना और सीकर का स्थान रहा। ज्ञात हो कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने प्रश्नपत्र लीक के आरोपों के बाद मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित NEET-UG 2026 को 12 मई को रद्द कर दिया था। दोबारा परीक्षा 21 जून को निर्धारित की गई है। CBI इस मामले की जांच कर रही है। अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर से 11 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने NEET-UG 2026 पेपर लीक मामले के आरोपी शुभम खैरनार को 6 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

विदित हो कि NEET-UG 2026 पेपर लीक और

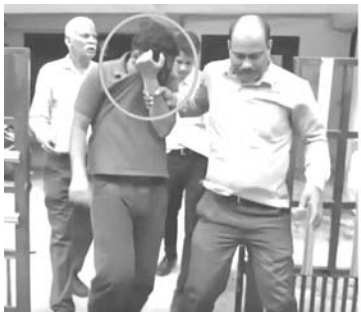

गड़बड़ी के आरोपों के बाद एनटीए ने परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस मामले में मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि 2 लाख से ज्यादा छात्रों की मेहनत, त्याग और सपनों को इस भ्रष्ट भाजपाई व्यवस्था ने कुचला है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में ये बाते कही है। किसी पिता ने कर्ज लिया, किसी मां ने गहने बेचे, लाखों बच्चों ने रात-रात भर जागकर पढ़ाई की और बदले में मिला, पेपर लीक, सरकारी लापरवाही और शिक्षा में संगठित भ्रष्टाचार। कांग्रेस नेता ने कहा कि यह सिर्फ नाकामी नहीं, युवाओं के भविष्य के साथ अपराध है। हर बार पेपर माफिया बच निकलते हैं और ईमानदार छात्र सजा भुगतते हैं। अब लाखों छात्र फिर से वही मानसिक तनाव, आर्थिक बोझ और अनिश्चितता झेलेंगे। अगर अपनी तकदीर परिश्रम से नहीं, पैसे और पहुंच से तय होगा तो फिर शिक्षा का मतलब क्या रह जाएगा? प्रधानमंत्री का तथाकथित अमृतकाल, देश के लिए विषकाल बन गया है। राहुल ने एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा था, NEET 2026 के पेपर लीक की खबर सुनी। परीक्षा नहीं, NEET अब नीलामी है। कई सवाल परीक्षा से 42 घंटे पहले WhatsApp पर बिक रहे थे। 22 लाख से ज्यादा बच्चे साल भर रात-रात भर आंखें जलाकर पढ़ते रहे और एक रात में उनका भविष्य बाजार में सरेआम नीलाम हो गया। यह पहली बार नहीं है। 10 साल में 89 पेपर लीक, 48 बार दोबारा परीक्षा। हर बार वही वादे और फिर वही खामोशी। मोदी जी, जब आप अपनी हर नाकामी का बिल जनता पर डालते हैं, तो गरीब के बच्चों का भविष्य भी उसी बिल में आता है। 22 लाख बच्चों का भरोसा टूटा है और मोदी सरकार से बड़ा खतरा भारत के युवाओं के सपनों के लिए कोई नहीं। मैं भारत के युवा के साथ हूं। यह वक्त बेहद मुश्किल है, मैं जानता हूं। लेकिन यह व्यवस्था ऐसे नहीं रहेगी। हम मिलकर इसे बदलेंगे। गौरतलब है की नीट यूजी की परीक्षा 3 मई को हुई थी। परीक्षा की ईमानदारी पर सवाल उठने पर सरकार ने मामले की जांच CBI को सौंपी है। एनटीए इस जांच में पूरा सहयोग करेगी और सभी जरूरी दस्तावेज और जानकारी उपलब्ध कराएगी। एनटीए अब इस परीक्षा को दोबारा आयोजित करेगा और छात्रों से किसी तरह का अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। साथ ही पंजीकृत उम्मीदवारों की जानकारी और परीक्षा केंद्र पहले की तरह ही मान्य रहेंगे। एनटीए ने छात्रों को सिर्फ आधिकारिक सूचना पर भरोसा करने की सलाह दी है। वही दूसरी तरफ दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविन्द केजरीवाल ने NEET-UG 2026 लीक को लेकर देश के युवाओं (Gen-Z) से सड़कों पर उतरने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जब नेपाल और बांग्लादेश का Gen-Z वहां सरकारें बदल सकता है तो हम इस मामले के लिए जिम्मेदार मंत्रियों को जेल तो भिजवा ही सकते हैं। केजरीवाल ने कहा कि 2014 से अब तक 93 पेपर लीक हो चुके हैं। 6 करोड़ से ज्यादा युवाओं का भविष्य बर्बाद हो गया है। सबसे ज्यादा पेपर लीक उन राज्यों में हुए हैं, जहां भाजपा की 'डबल-इंजन' सरकार सत्ता में है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गुजरात में पेपर लीक हुए हैं और यहां सभी जगह भाजपा की सरकारें हैं। उन्होंने सवाल

राहुल गांधी

अरविंद केजरीवाल

सीबीआई की जांच में पकड़े गये कई अभियुक्त

केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने NEET-UG 2026 पेपर लीक मामले में पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से चार को जयपुर में एक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जिसके बाद उन्हें एक दिन की ट्रांजिट रिमांड पर नई दिल्ली ले जाया गया। CBI ने जयपुर से मांगीलाल बीवाल, विकास बीवाल और दिनेश बीवाल को; गुरुग्राम से यश यादव को; और नासिक से शुभम खैरनार को गिरफ्तार किया। अधिकारियों ने बताया कि कई अन्य संदिग्धों से अलग-अलग शहरों में पूछताछ की जा रही है और उन्हें बाद में गिरफ्तार किया जा सकता है। CBI का कहना है कि NEET-UG 2026 पेपर लीक की जाँच में एक ब्यूटीशियन अहम कड़ी के तौर पर सामने आई है। पुणे की एक पार्लर मालकिन पर आरोप है कि उसने पैसों के बदले छात्रों, शिक्षकों और आरोपी अंदरूनी लोगों के बीच संपर्क करवाया; एजेंसी का इशारा एक बड़ी साजिश की ओर है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) की NEET-UG 2026 पेपर लीक मामले की जाँच में एक ऐसा अहम नेटवर्क सामने आया है, जिसे जाँचकर्ता छात्रों, बिचौलियों और अंदर के लोगों को जोड़ने वाला बता रहे हैं। ये लोग राष्ट्रीय मेडिकल प्रवेश परीक्षा रद्द होने से पहले कथित तौर पर परीक्षा के पेपर लीक करने में शामिल थे। इस जाँच के केंद्र में 46 साल की पुणे की ब्यूटीशियन मनीषा वाघमारे हैं। जाँचकर्ताओं का मानना है कि उन्होंने ट्यूशन टीचर ढूँढ़ रहे छात्रों और जाने-माने संस्थानों के फैकल्टी सदस्यों के बीच एक 'आम कड़ी' का काम किया। जाँच से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, इसी नेटवर्क का इस्तेमाल बाद में कथित तौर पर NEET-UG के लीक हुए प्रश्न पत्र उम्मीदवारों तक पहुँचाने के लिए किया गया, जिसके बदले में मोटी रकम ली गई। वाघमारे, जो पुणे के सुखसागर नगर इलाके में एक ब्यूटी पार्लर चलाती हैं, को CBI ने 14 मई को गिरफ्तार किया था। एक विशेष अदालत ने उन्हें और उनके सह-आरोपी पी. वी. कुलकर्णी (एक रिटायर्ड टीचर) को 16 मई से शुरू होने वाली 10 दिन की CBI हिरासत में भेज दिया। एक बड़े घटनाक्रम में, दिल्ली की एक अदालत ने CBI को एक और आरोपी, 57 साल की मनीषा गुरुनाथ मंधारे की 14 दिन की हिरासत दे दी। मंधारे कथित तौर पर NEET-UG 2026 के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) के प्रश्न-तैयार करने वाले पैनल का हिस्सा थीं। जाँचकर्ताओं ने मंधारे को इस लीक के पीछे के कथित मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक के तौर पर पहचाना है। CBI ने अदालत को बताया कि NTA द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ के तौर पर मंधारे की पहुँच बॉटनी और जूलॉजी के अंतिम प्रश्न पत्रों तक सीधे तौर पर थी। एजेंसी ने आरोप लगाया कि उन्होंने 'काफी आर्थिक फायदे' के बदले में परीक्षा से जुड़ी गोपनीय जानकारी चुनिंदा छात्रों तक पहुँचाई। CBI द्वारा अदालत में दी गई जानकारी के मुताबिक, मंधारे ने परीक्षा से पहले परीक्षा सामग्री बाँटने के लिए सह-आरोपी वाघमारे और कुलकर्णी के साथ साजिश रची थी। जाँचकर्ताओं ने आरोप लगाया कि उन्होंने प्रश्न-तैयार करने की प्रक्रिया के दौरान अपनी पहुँच का इस्तेमाल करके अंतिम प्रश्न पत्र हासिल किए और बाद में उन्हें आर्थिक फायदे के लिए आगे बढ़ा दिया। जाँच से जुड़े सूत्रों ने बताया कि वाघमारे को कथित तौर पर प्रश्न-तैयार करने की प्रक्रिया में मंधारे की संलिप्तता के बारे में पता चल गया था और उन्होंने इस पहुँच का फायदा उठाने की एक योजना बनाई। इसके बाद कथित तौर पर कुलकर्णी को भी इस व्यवस्था में शामिल कर लिया गया। जाँचकर्ताओं का मानना है कि वाघमारे ने उन छात्रों की पहचान करके एक अहम भूमिका निभाई जो लीक हुए पेपर के लिए पैसे देने को तैयार थे। कथित तौर पर वह कई उम्मीदवारों और परिवारों के संपर्क में थी, जिन्होंने पहले ट्यूशन टीचरों के लिए सिफारिशें मांगने के लिए उससे संपर्क किया था। जांच के दौरान, अधिकारियों को कथित तौर पर ऐसे सबूत मिले जिनसे पता चलता है कि हर छात्र के लिए लगभग 10 लाख रुपये की डील हुई थी। आरोपियों ने कथित तौर पर हर सौदे से 2.5 लाख रुपये से 3 लाख रुपये तक आपस में बांटने पर सहमति जताई थी। जांचकर्ताओं के अनुसार, वाघमारे ने कथित तौर पर चार से पांच छात्रों का इंतजाम किया और बाद में अपने परिचित धनंजय निवृत्ति लोखंडे को

इस ऑपरेशन के बारे में बताया। इसके बाद लोखंडे ने कथित तौर पर नासिक के काउंसलिंग ऑपरेटर शुभम खैरनार से संपर्क किया। बड़े पैमाने पर पेपर लीक के आरोपों के बाद अधिकारियों द्वारा NEET-UG परीक्षा रद्द किए जाने के तुरंत बाद खैरनार पहला आरोपी बना जिसे गिरफ्तार किया गया। जांचकर्ताओं ने आरोप लगाया कि लोखंडे ने वाघमारे से लीक हुए पेपर हासिल किए और उन्हें खैरनार को सौंप दिया, जिसने बाद में PDF कॉपियां कई लोगों को बांटीं, जिनमें गुरुग्राम निवासी यश यादव और जयपुर के उम्मीदवार शामिल थे। बढ़ती जांच के हिस्से के तौर पर बाद में यादव को भी गिरफ्तार कर लिया गया। CBI ने अदालत को बताया कि यह मामला एक बहुत बड़े संगठित रैकेट की ओर इशारा करता है और अभी भी कई संदिग्धों की पहचान और गिरफ्तारी बाकी है। मांधरे की हिरासत बढ़ाने की मांग करते हुए एजेंसी ने तर्क दिया कि जांच अभी भी 'बहुत शुरुआती और अहम चरण' में है। एजेंसी ने अदालत को बताया, 'आरोपी की पुलिस हिरासत की मांग इसलिए की गई है ताकि बड़ी साजिश का पर्दाफाश किया जा सके, इस संगठित पेपर लीक गिरोह के अन्य सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया जा सके और सभी संबंधित आपत्तिजनक सामग्री बरामद की जा सके।' मांधरे की ओर से पेश वकील ने CBI की हिरासत बढ़ाने की अर्जी का विरोध करते हुए तर्क दिया कि आरोपी 57 साल का लेक्चरर है, जो जांचकर्ताओं के साथ पूरी तरह सहयोग कर रहा है और हिरासत में पूछताछ की कोई जरूरत नहीं है। NEET-UG 2026 विवाद ने छात्रों और अभिभावकों के बीच देशव्यापी आक्रोश पैदा कर दिया है, जिससे भारत में प्रतियोगी परीक्षाओं की सुरक्षा और विश्वसनीयता को लेकर चिंताएं फिर से बढ़ गई हैं। इस मामले ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) पर भी जांच का दबाव बढ़ा दिया है, जिसे हाल के वर्षों में परीक्षा के संचालन और पेपर की सुरक्षा में कथित चूकों को लेकर आलोचना का सामना करना पड़ा है।

किया कि क्या यह महज इत्तेफाक है? आप नेता ने कहा कि 2017 में पेपर लीक हुए, 2021, 2024, 2026 में पेपर लीक हुए और 2027 में भी पेपर लीक होंगे। यदि आपने कुछ नहीं किया तो ऐसा हर साल होगा। उन्होंने कहा कि इस बार भी NEET का पेपर लीक का मुख्य केन्द्र राजस्थान है, जहां भाजपा की सरकार है। केजरीवाल ने सवाल किया कि क्या सारे पेपर लीक में इनके नेता शामिल हैं या सरकार का इनको संरक्षण हैं या फिर इनके नेता ही पेपर लीक करवा रहे हैं। ऐसे में सीबीआई बेचारी क्या करेगी? उन्होंने कहा कि इस देश के नेताओं को देश में कोई इंट्रेस्ट नहीं हैं। इनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं। केजरीवाल ने कहा कि देश के एक बड़े नेता ने कहा था कि जरूरत पड़ी तो झोला उठाकर चल दूंगा। मैं और आप तो झोला उठाकर नहीं जा सकते। हमें तो देश में ही रहना है, इसलिए देश को बचाना भी हमें ही है। मेरा आपसे सवाल है कि क्या ऐसा ही चलेगा या कुछ करना है? वही NEET पेपर ली मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने NTA पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि एजेंसी ने पिछली घटनाओं से सबक नहीं लिया। शीर्ष अदालत ने इस मामले में केंद्र, NTA और सीबीआई से जवाब मांगा है और सुधारों पर हलफनामा दाखिल करने को कहा है। जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ ने एनटीए को निर्देश दिया कि वह 2024 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों और सिफारिशों पर अब तक उठाए गए कदमों का विस्तृत हलफनामा दाखिल करे। अदालत ने कहा कि पहले भी यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था, जिसके बाद एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाई गई थी और उसकी सिफारिशों को स्वीकार भी किया गया था। कोर्ट ने NEET-UG 2026 परीक्षा में पेपर लीक के मामले में दायर याचिकाओं पर केंद्र और शिक्षा मंत्रालय को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने NTA से यह जवाब भी मांगा कि उस मॉनिटरिंग कमेटी का क्या हुआ, जिसे उसके पिछले आदेशों के अनुसार गठित किया जाना था। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन (FAIMA) ने अदालत का रुख करते हुए NEET-UG 2026

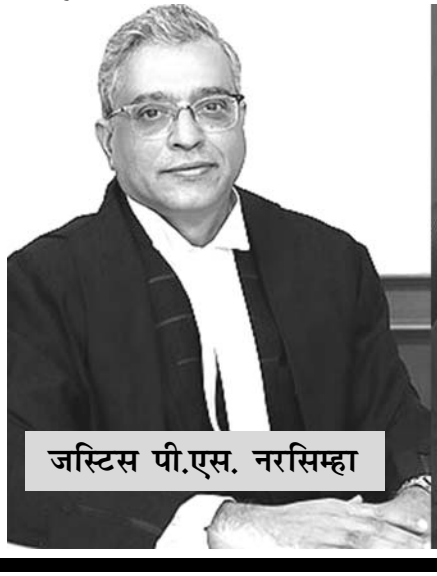
जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा

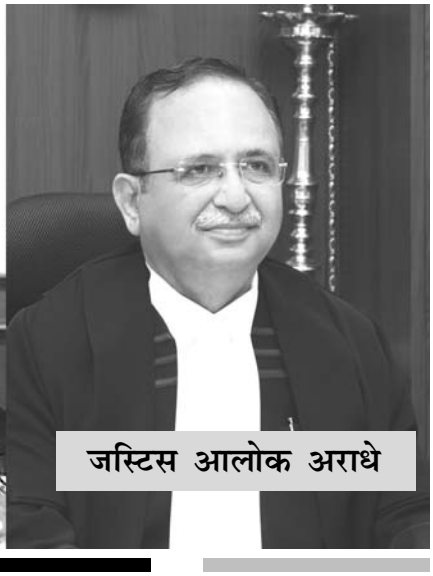
जस्टिस आलोक अराधे

अभिषेक सिंह
महानिदेशक, NTA

धर्मेंद्र प्रधान
शिक्षा मंत्री, भारत सरकार

के आयोजन में NTA की कथित प्रणालीगत विफलता को चुनौती दी थी। याचिका में NTA को बदलने या उसका मौलिक पुनर्गठन करने तथा न्यायिक निगरानी में एक नई परीक्षा आयोजित करने के निर्देश देने की मांग की गई है। गौरतलब है कि नीट यूजी 2026 परीक्षा 3 मई को आयोजित की गई थी। हालांकि पेपर लीक के आरोपों के बाद 12 मई को परीक्षा रद्द कर दी गई। मामले की जांच फिलहाल सीबीआई कर रही है। इसके बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने NEET परीक्षा की नई डेट घोषित कर दी हैं। 21 जून को होने वाली इस परीक्षा करीब 2 लाख छात्र शामिल होंगे। पेपर लीक होने की वजह से 3 मई को हुई परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। NTA ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में बताया है कि भारत सरकार की स्वीकृति से NEET-UG 2026 की पुनः परीक्षा, रविवार 21 जून 2026 को आयोजित करने का फैसला किया गया है। परीक्षार्थियों एवं अभिभावकों से अनुरोध है कि वे केवल NTA के आधिकारिक माध्यमों पर ही विश्वास करें।

गौरतलब है कि 21 जून को होनेवाले NEET-UG 2026 पुर्नपरीक्षा का एडमिट कार्ड सभी को 14 जून तक मिल जाएगा, ये बातें केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कही। वही उन्होंने कहा कि परीक्षा के एक हफ्ते पहले तक छात्र परीक्षा केंद्र चुन सकते हैं। दोबारा परीक्षा की फीस नहीं ली जाएगी और परीक्षा के दिन छात्रों के आवागमन का ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने अगले साल से कंप्यूटर बेस्ड नीट परीक्षा की बात कही। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि अगले साल से NEET परीक्षा ऑनलाइन होगी। यह परीक्षा ओएमआर शीट के बजाए कंप्यूटर बेस्ड होगी। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि अभी NTA ने NEET-UG की नई परीक्षा की तिथि की घोषणा की है। 21 जून को पुनर्परीक्षा की तारीख की घोषणा की है। छात्रों का भविष्य, उनके परिश्रम के प्रति संवेदनशीलता हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि 3 मई को परीक्षा हुई थी और 7 मई को NTA के पास कहीं से आपत्ति आई कि गेस पेपर में ऐसे कुछ प्रश्न आए हैं, जो इस बार के पेपर में थे। NTA और सरकार ने तुरंत उसकी जांच की। राज्यों की एजेसियों से संपर्क किया गया। जब हमें स्पष्टता हुई कि इस बार पेपर लीक हुआ है, हम नहीं चाहते थे कि शिक्षा माफियाओं के षड्यंत्र के कारण किसी भी सही छात्र के अधिकार वंचित हो जाएं, इसलिए हमने 12 मई को परीक्षा को रद्द कर दिया। उन्होंने कहा कि हमने आज परीक्षा की नई तिथि की घोषणा की। यह परीक्षा माफियाओं और असामाजिक तत्त्वों के खिलाफ लंबी लड़ाई है। तकनीक के समय में एक चुनौती बन रही है। विभिन्न प्रकार के सोशल मीडिया हैंडल से भ्रमात्मक तथ्यों को रखा जाता है, गुमराह करने की कोशिश की जाती है। सरकार ने CBI को जांच के लिए काम सौंपा है। CBI ने त्वरित कार्रवाई शुरु की है और इस बार CBI तह तक जाएगी। सभी विभागों ने इसे गंभीरता से लिया है। हम इस बार गड़बड़ी नहीं होने देंगे। यह छात्रों के पक्ष में निर्णय लिया गया है। वही शिक्षा मंत्री ने कहा कि जो अब परीक्षा होगी, उसकी कोई फीस नहीं होगी। विद्यार्थियों पर कोई आर्थिक बोझ ना आए, हम उसका दायित्व ले रहे हैं। परीक्षा का समय भी बढ़ाया जाएगा। परीक्षा दोपहर 2 बजे से लेकर 5:15 बजे तक होगी। उन्होंने कहा कि एनटीए अभी बहुत योग्य व्यक्ति के हाथों में है। एडमिट कार्ड 14 मई तक जारी कर दिए जाएंगे। एनटीए ने तय किया है कि एक सप्ताह अवसर देंगे कि वह किस शहर में परीक्षा देंगे वह चुन सकेंगे। उन्होंने पेपर लीक पर जीरो टॉलरेंस की बात कहते हुए दावा किया कि अगली परीक्षा से पहले माफिया को सजा मिलेगी।

प्रदीप कुमार जोशी
चेयरमैन, NTA

बहरहाल, NEET परीक्षा दोबारा

कराने की घोषणा सरकार भले ही कर चुकी हो लेकिन इसके खिलाफ देश भर में छात्र और युवा प्रदर्शन कर रहे हैं। परीक्षा रद्द करने की वजह ये है कि प्रश्नपत्र लीक हो गए थे लेकिन संसदीय समिति के सामने परीक्षा कराने वाली एजेंसी NTA के जो बयान मीडिया में सामने आए हैं, उससे यह मामला और गरम हो गया है। समाचार एजेंसी एएनआई के हवाले से कई मीडिया संस्थानों ने लिखा है कि NEET पेपर लीक मामले में संसदीय समिति के सामने NTA के डीजी और चेयरमैन ने कहा है कि परीक्षा लीक नहीं हुई है। एएनआई के मुताबिक, NEET पेपर लीक विवाद को लेकर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह और NTA चेयरमैन प्रदीप कुमार जोशी 21 मई को संसद की समिति के सामने पेश हुए। सूत्रों के मुताबिक बैठक के दौरान NTA प्रमुख ने एजेंसी का बचाव करते हुए दावा किया कि पेपर NTA के सिस्टम से लीक नहीं हुए थे। जब संसदीय समिति ने अधिकारियों से सीधा सवाल किया कि इस लीक के लिए आखिर जिम्मेदार कौन हैं, तो NTA प्रमुख ने जवाब दिया कि वे इसका सटीक जवाब CBI की जांच पूरी होने के बाद ही दे पाएंगे। NTA ही वह संस्था है, जो नीट और इस तरह की करीब 15 परीक्षाएं आयोजित करती है। NEET-UG 2026 पेपर लीक मामले की जानकारी लेने के लिए NTA के महानिदेशक और चेयरमैन को संसदीय समिति के सामने बुलाया गया था। NEET-UG की परीक्षा इसी महीने 3 मई को हुई थी, लेकिन पेपर लीक होने के बाद 11 मई को परीक्षा रद्द कर दी गई। फिलहाल पेपर लीक मामले की जांच CBI कर रही है। दोबारा परीक्षा 21 जून को होगी। मामले की जांच कर रही CBI ने अब तक महाराष्ट्र और राजस्थान से 9 लोगों को गिरफ्तार भी किया है, जिसमें कुछ कोचिंग संस्थानों के मालिक और शिक्षक भी शामिल हैं। बताते चले कि NEET परीक्षा में हुई धांधली के चलते कई राज्य अब इस परीक्षा पर सवाल भी खड़े कर रहे हैं, खासकर दक्षिण भारत के राज्य। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने तो बारहवीं की परीक्षा के अंकों के आधार पर ही प्रवेश का सुझाव दिया है, वहीं केरल के मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन ने तो इसे खत्म करने की ही मांग कर डाली है। जहां तक बारहवीं के अंकों के आधार पर मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश की बात है तो जानकारों का कहना है कि अलग-अलग राज्यों और केंद्रीय बोर्डों के अंकों में असमानता और अलग पैटर्न के कारण यह तरीका बहुत व्यावहारिक नहीं होगा। ऐसी दिक्कतों को दूर करने के लिए ही प्रवेश परीक्षा की शुरुआत हुई। इधर, NEET परीक्षा दोबारा कराने की घोषणा करने के साथ ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा था कि अगले साल से यह परीक्षा ऑनलाइन कराई जाएगी, जिसमें परीक्षा का मोड सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग होगा। लेकिन सवाल ये हैं कि क्या ऑनलाइन तरीका अपना कर ही परीक्षा पारदर्शी हो सकती है क्योंकि अभी भी कई परीक्षाएं ऑनलाइन होती हैं लेकिन उनमें भी धांधली की शिकायतें आती रहती हैं।

जोसेफ विजय
मुख्यमंत्री, तमिलनाडू

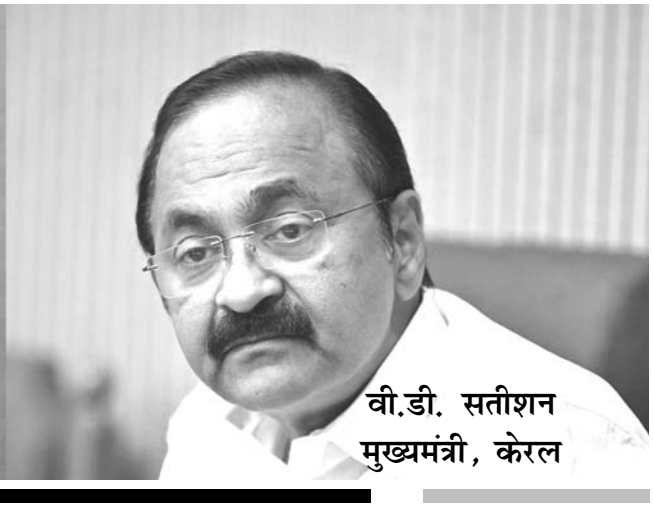

वी.डी. सतीशन
मुख्यमंत्री, केरल

विदित हो कि साल 2017 से पहले देश में मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई अखिल भारतीय स्तर पर प्रवेश परीक्षा आयोजित करता था जबकि अलग-अलग राज्यों के बोर्ड अपने मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए के लिए अलग प्रवेश परीक्षाएं कराते थे। कुछ विश्वविद्यालय भी अलग प्रवेश परीक्षा आयोजित करते थे। लेकिन साल 2017 में उच्च शिक्षा के लिए होने वाली प्रवेश परीक्षा व्यवस्था में सख्ती, मानकीकरण और विश्वसनीयता लाने के मकसद से अखिल भारतीय स्तर पर NEET यानी 'National Eligibility cum Entrance Test' की व्यस्था शुरू हुई और इसे कराने की जिम्मेदारी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA को दी गई। यह एजेंसी 15 से अधिक परीक्षाएं आयोजित कराती है। लेकिन बनने के बाद से ही NTA लगातार विवादों में घिरी रही है। अभी दो साल पहले भी यूजीसी-नेट परीक्षा को लेकर सवाल उठे थे और पेपर लीक के आरोप लगे थे। उस वक्त भी पूरी परीक्षा रद्द करनी पड़ी थी। 2024 में भी NEET परीक्षा से पहले ही प्रश्न पत्र लीक होने की खबरें सामने आई थीं। बिहार और गुजरात के गोधरा समेत कई केंद्रों पर पेपर बेचे जाने और नकल कराने के पुख्ता सबूत मिले, जिसकी जांच सीबीआई को सौंपी गई। जानकारों का कहना है कि 22-23 लाख छात्रों की परीक्षा एक साथ कराना आसान नहीं है, लेकिन यदि परीक्षा कराई जा रही है तो जिम्मेदारी भी होनी चाहिए और जिम्मेदारी तय भी होनी चाहिए। दीपिका सिंघल दिल्ली की एक कोचिंग में NEET के छात्रों का मार्गदर्शन करती हैं और बॉटनी पढ़ाती हैं। बातचीत में वो कहती हैं, 'इंजीनियरिंग की कई परीक्षाएं अब ऑनलाइन हो रही हैं। कई प्रतियोगी परीक्षाएं भी ऑनलाइन होती हैं। ऐसे में NEET भी ऑनलाइन हो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ ऑनलाइन परीक्षा करा लेने भर से पारदर्शिता आ जाएगी। धांधली की गुंजाइश तब भी बनी रहेगी। इसलिए सबसे जरूरी है कि सिस्टम फुलप्रूफ होना चाहिए और गड़बड़ी होने पर जिम्मेदारी तय होनी चाहिए।' जेईई जैसी इंजीनियरिंग की परीक्षाएं भी अब ऑनलाइन होने लगी हैं और कई शिफ्टों में आयोजित होती हैं, जबकि NEET अब भी पारंपरिक तरीके से यानी ओएमआर शीट पर पेन से निशान लगाकर होती है। जानकारों का कहना है कि इसकी वजह से इतने सारे प्रश्नपत्रों को एक साथ देश भर के हजारों केंद्रों में पहुंचाना और उन्हें सुरक्षित रखना अपने आप में एक चुनौती है। लेकिन हैरानी की बात ये है कि पेपर लीक की घटनाएं इन केंद्रों के बजाय दूसरी जगहों से हो रही हैं। जानकारों के मुताबिक परीक्षा केंद्रों पर प्रश्नपत्र कड़े सुरक्षा वाले स्ट्रॉन्गरूम में रखे जाते हैं और परीक्षा से सिर्फ 45 मिनट पहले ही खुलते हैं। हालांकि विशेषज्ञों की समिति पहले भी कंप्यूटर आधारित परीक्षा की सिफारिश कर चुकी है और अब केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने घोषणा भी कर दी है लेकिन जानकारों का मानना है कि फुल प्रूफ इसे भी नहीं कह सकते और सभी छात्रों के साथ न्याय कर पाना भी मुश्किल होगा। शिक्षाविद और राइट टू एजूकेशन फोरम के संयोजक अनिल कुमार रॉय कहते हैं कि परीक्षा को ऑफलाइन से ऑनलाइन

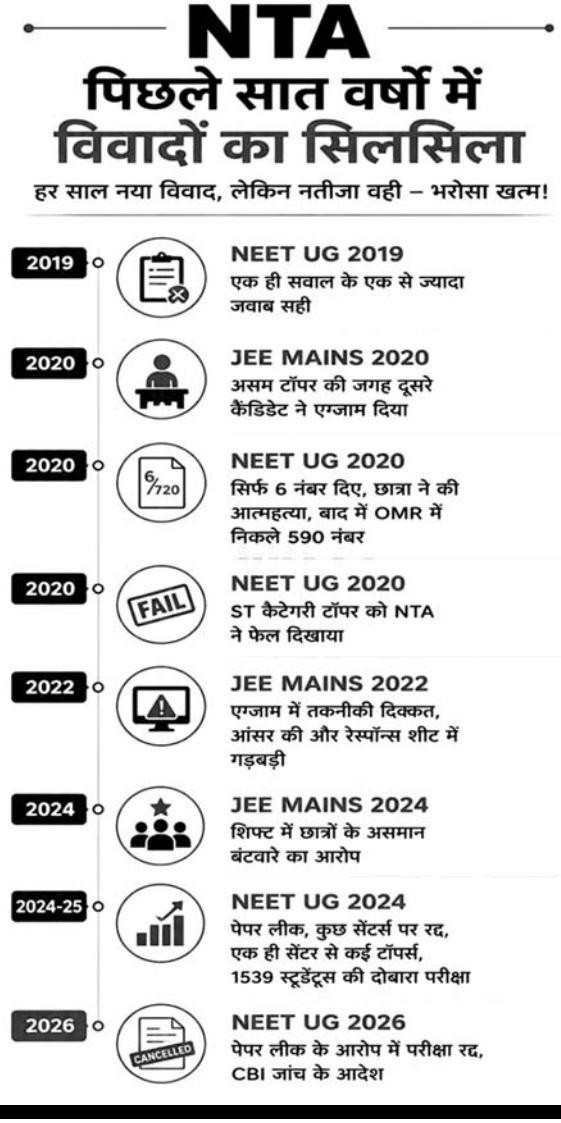

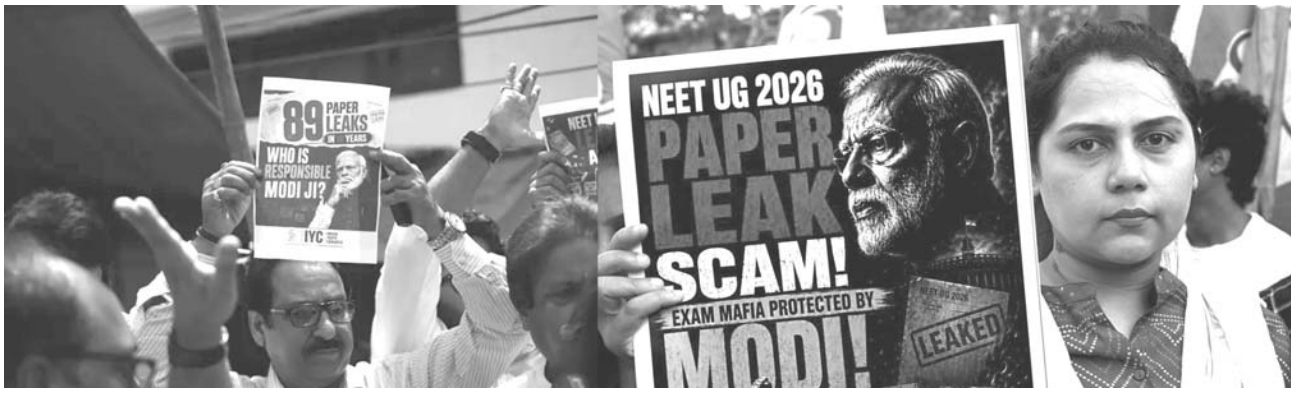

कर देना कुछ वैसा ही है जैसे चोट सिर में लगी हो तो पट्टी पैर में बांध देना। अनिल कुमार रॉय कहते हैं, ऑनलाइन एग्जाम डिजिटल असमानता को स्थापित करेगा। अधिकांश राज्यों में उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं के छात्र, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में कंप्यूटर-दक्ष नहीं होते हैं। वे परीक्षा के इस मोड में संपन्न परिवारों, निजी विद्यालयों और शहरी छात्रों से कंपीट नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात ये कि ऑफलाइन मोड के लीकेज को पकड़ना आसान है, ऑनलाइन के लीकेज को आसानी से पकड़ा नहीं जा सकता है। इसलिए अब धांधली को लेकर शोर भी नहीं होगा। अनिल कुमार रॉय कहते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में छात्रों की परीक्षा एक साथ लेने का इंफ्रास्ट्रक्चर भी सरकार के पास नहीं है। इसलिए फिर वह प्राइवेट कंप्यूटर सेंटर को परीक्षा-केंद्र बनाएगी। ये निजी केंद्र सभी सुरक्षा उपायों से न तो लैस होते हैं और न ही यकीन के साथ कहा जा सकता है कि लाखों केंद्र ईमानदार हाथों में हैं। भले ही इतने छात्रों की परीक्षा एक साथ ना ली जा सके लेकिन परीक्षा कई शिफ्ट में या कई दिनों तक हो सकती है, हालांकि इसमें भी कई चुनौतियां हैं। अनिल कुमार रॉय के मुताबिक सारे शिफ्ट के क्वेश्चन सेट एक ही समान कठिन या सरल नहीं होंगे। इससे कठिन सेट वाले बच्चों के कंपीट करने का चांस कम हो जाएगा। यदि इससे बचने के लिए नॉर्मलाइजेशन भी किया जाता है तो अधिक अंक लाने वालों के अंक कम हो जाएंगे और कम अंक लाने वालों के बढ़ जाएंगे। वही शिक्षाविद अनिल कुमार रॉय कहते हैं कि ऑनलाइन परीक्षा धांधली रोकने की गारंटी नहीं है। कई बार बड़ी ऑनलाइन परीक्षाएं हैक हो चुकी हैं। जेईई मेन्स 2021 में रिमोट एक्सेस जालसाजों ने सुरक्षा प्रणालियों को पूरी तरह से बाईपास कर दिया था। एसएससी सीजीएल 2017 में स्क्रीनशॉट और सिंडिकेट स्कैम हुआ था। सीबीटी मोड में होने वाली इस परीक्षा में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे। इसमें परीक्षा हॉल के अंदर से प्रश्नों के स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल हो गए थे, जबकि हॉल में मोबाइल ले जाना प्रतिबंधित था। सुप्रीम कोर्ट ने इस परीक्षा और सिस्टम को 'दागी' बताया था और परिणामों पर रोक लगा दी थी। जब पिछली परीक्षाओं में अनेक बार ऐसा हो चुका है तो अगली बार न होने की क्या गारंटी है। यही नहीं, सीबीटी यानी कंप्यूटर-बेस्ड टेस्ट मोड में और भी कई दिक्कतें हैं। चूंकि सरकारी केंद्रों की कमी के कारण छोटे और निजी 'आईटी केंद्रों' का उपयोग करना पड़ेगा जिसे फुलप्रूफ बनाना आसान नहीं होगा। सर्वर डाउन होने की समस्या अलग होगी। इसके अलावा बायोमेट्रिक सुरक्षा के बावजूद, हाई-टेक डमी कैंडिडेट्स का उपयोग ऐसी परीक्षाओं में आज भी एक चुनौती बनी हुई है और सबसे बड़ी बात तो ये कि पूरे परीक्षा केंद्र को भी हैक कर लेना भी तकनीकी रूप से संभव है। ऐसे में इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढ़ने के बाद ही ऑनलाइन मोड में परीक्षा कराने का कोई फायदा हो सकता है, अन्यथा मौजूदा सिस्टम को ही सख्त निगरानी और जिम्मेदारी के साथ बेहतर किया जा सकता है।

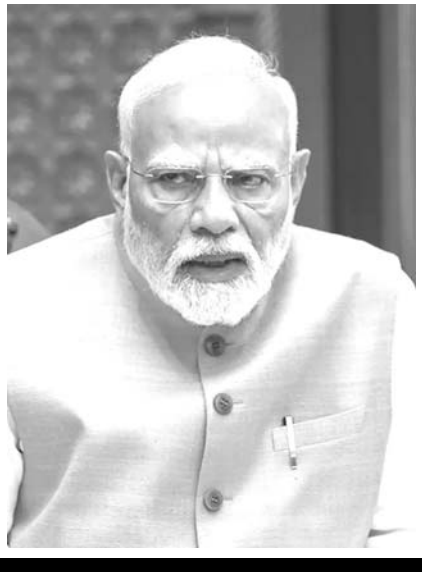

बहरहाल, भारत में डॉक्टर बनना केवल एक करियर विकल्प नहीं, बल्कि करोड़ों परिवारों का सामाजिक स्वप्न है। गांव का किसान अपनी जमीन गिरवी रखता है, मध्यमवर्गीय पिता अपनी रिटायरमेंट बचत कोचिंग फीस में झोंक देता है, मां अपने गहने बेच देती है सिर्फ इसलिए कि उनका बच्चा "डॉक्टर" कहलाए। लेकिन इसी सपने के ऊपर आज एक ऐसा तंत्र बैठ गया है, जो शिक्षा नहीं, बल्कि उम्मीदों का कारोबार करता है और इस कारोबार का सबसे बड़ा चेहरा बन चुकी है NTA। NEET 2026 परीक्षा रद्द हो चुकी है। कारण, पेपर लीक के गंभीर आरोप। देशभर के लाखों छात्रों को अब फिर से परीक्षा देनी होगी, फिर वही तनाव, फिर वही कोचिंग नोट्स, फिर वही रातों की नींद, फिर वही मानसिक यातना। NTA कह रही है कि फीस वापस होगी, दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा, नए एडमिट कार्ड जारी होंगे। लेकिन क्या कोई एजेंसी यह भी बताएगी कि बच्चों के टूटे आत्मविश्वास की भरपाई कौन करेगा? क्या कोई संस्था उन माता-पिता की चिंता का मूल्य चुकाएगी, जिन्होंने अपने बच्चों को यह कहकर सांत्वना दी थी कि "इस बार सब ठीक होगा"? राजस्थान के सीकर से जो कहानी सामने आई, वह किसी अपराध थ्रिलर से कम नहीं। हाथ से लिखे गए "गेस पेपर" छात्रों तक पहुंचे। 720 में से 600 नंबर के सवाल कथित रूप से पहले ही उपलब्ध थे। 300 से अधिक प्रश्नों वाला "क्वेश्चन बैंक" वायरल हुआ, जिनमें से करीब 150 सवाल हूबहू परीक्षा में आए। अब सवाल यह नहीं कि पेपर लीक हुआ या नहीं। सवाल यह है कि देश की सबसे महत्वपूर्ण परीक्षाओं में बार-बार इतनी "संयोगवश समानता" क्यों दिखाई देती है? क्या यह केवल लापरवाही है? या फिर शिक्षा व्यवस्था के भीतर एक ऐसा समानांतर बाजार विकसित हो चुका है, जहां 'सपनों की कीमत' तय होती है? बच्चों के सपनों के असली सौदागर कौन हैं? वे केवल दलाल नहीं जो लाखों रुपए

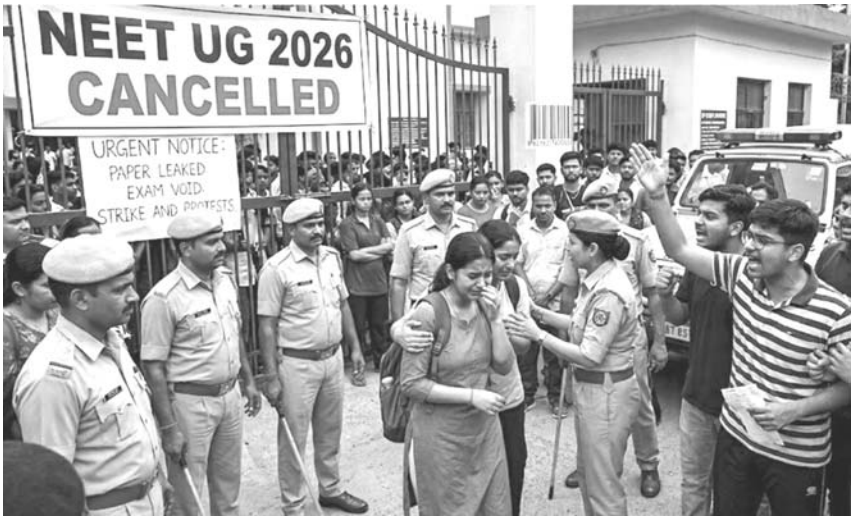

लेकर प्रश्न बेचते हैं। वे केवल कोचिंग माफिया नहीं जो "100% सिलेक्शन" के विज्ञापन लगाते हैं। असल सौदागर वे संस्थान भी हैं जो हर वर्ष विफलताओं के बावजूद जवाबदेही से बच निकलते हैं। जब तक शीर्ष पदों पर बैठे लोगों पर कठोर कार्रवाई नहीं होगी तब तक इस तरह के मामलों पर कभी रोक नहीं लगेगी। इस मामले के बाद क्या केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए? NTA पिछले सात वर्षों में शायद ही कोई ऐसा वर्ष रहा हो, जब किसी न किसी विवाद में न घिरी हो। कभी गलत आंसर-की, कभी तकनीकी गड़बड़ी, कभी डमी कैंडिडेट, कभी कैटेगरी टॉपर को फेल, कभी 6 नंबर देकर छात्रा को आत्महत्या तक पहुंचा देना, कभी एक ही सेंटर से असामान्य संख्या में टॉपर्स। लेकिन हर बार कहानी एक जैसी रहती है-"जांच होगी", "सिस्टम मजबूत किया जाएगा", "भविष्य में ऐसा नहीं होगा।" और फिर अगले साल वही दोहराव। यह केवल परीक्षा नहीं, भारत का सामाजिक मनोविज्ञान है

विडम्बना है कि भारत में NEET और JEE अब परीक्षाएं नहीं रहीं; वे सामाजिक प्रतिष्ठा की युद्धभूमि बन चुकी हैं। कोटा, सीकर, प्रयागराज, हैदराबाद, पटना, इंदौर पूरा एक "एग्जाम इकॉनमी" खड़ी हो चुकी है। हजारों करोड़ रुपए का कोचिंग उद्योग बच्चों की असुरक्षा पर फल-फूल रहा है। 16-17 साल के बच्चे मशीनों की तरह पढ़ते हैं। उनके बचपन को "ड्रॉप ईयर" और "रैंक" में मापा जाता है। दोस्तियां खत्म हो जाती हैं, मानसिक स्वास्थ्य टूट जाता है और परिवारों में प्रेम की जगह प्रदर्शन का दबाव ले

लेता है। फिर जब परीक्षा ही संदिग्ध हो जाए, तो बच्चे किस पर भरोसा करें? आज सबसे भयावह बात यह नहीं कि पेपर लीक हुआ। सबसे भयावह यह है कि समाज अब इन खबरों पर चौंकना बंद कर चुका है। पेपर लीक अब "ब्रेकिंग न्यूज" नहीं, एक वार्षिक परंपरा जैसा लगता है। जैसे हम मान चुके हों कि भारत में बड़ी परीक्षाएं ईमानदारी से हो ही नहीं सकतीं। यह सामान्यीकरण किसी भी लोकतंत्र के लिए घातक है। क्योंकि जब मेहनत पर भरोसा खत्म होता है, तब प्रतिभा नहीं, जुगाड़ जीतता है और जिस देश में जुगाड़ प्रतिभा पर भारी पड़ने लगे, वहां संस्थाएं धीरे-धीरे खोखली हो जाती हैं। सबसे बड़ा प्रश्न यही है। अगर हर साल विवाद होंगे, जांच होगी, पेपर रद्द होंगे, छात्रों का भविष्य दांव पर लगेगा तो फिर जवाबदेह कौन है? क्या कभी किसी शीर्ष अधिकारी ने नैतिक जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा दिया? क्या किसी प्रशासनिक विफलता पर संस्थागत दंड तय हुआ? क्या संसद में इस पर गंभीर राष्ट्रीय बहस हुई? भारत में विफलता का सबसे सुरक्षित स्थान शायद सरकारी संस्थान ही हैं, जहां गलती होती है तो नुकसान जनता झेलती है और सिस्टम अगले दिन फिर सामान्य हो जाता है। डॉक्टर बनने से पहले ही बच्चे "सिस्टम" सीख जाते हैं, यह त्रासदी केवल परीक्षा की नहीं, नैतिक शिक्षा की भी है। जब एक छात्र देखता है कि लाखों की रिश्वत देकर कोई प्रश्न खरीद सकता है, जब वह सुनता है कि किसी ने डमी कैंडिडेट बैठाया, जब वह महसूस करता है कि मेहनत से ज्यादा "नेटवर्क" महत्वपूर्ण है, तब उसके भीतर व्यवस्था के प्रति सम्मान खत्म होने लगता है और यही किसी राष्ट्र की सबसे बड़ी हार होती है। हालांकि समस्या केवल NTA बदलने से हल नहीं होगी। जरूरत है पूरे परीक्षा मॉडल की पुनर्समीक्षा की। क्या एक ही परीक्षा पर करोड़ों बच्चों का भविष्य टिका होना चाहिए? क्या स्कूल शिक्षा को इतना कमजोर कर दिया गया है कि कोचिंग संस्थान समानांतर शिक्षा मंत्रालय बन जाएं? क्या परीक्षा सुरक्षा को राष्ट्रीय सुरक्षा जितनी गंभीरता नहीं मिलनी चाहिए? क्या डिजिटल मॉनिटरिंग, विकेंद्रीकृत मूल्यांकन और बहु-स्तरीय टेस्ट मॉडल पर गंभीर काम नहीं होना चाहिए? जब तक शिक्षा को "रैंक उत्पादन उद्योग" की तरह चलाया जाएगा, तब तक पेपर लीक केवल लक्षण रहेगा, बीमारी नहीं।

बहरहाल, हर साल बच्चे बदलते हैं, लेकिन कहानी वही रहती है। कहीं कोई छात्र अवसाद में चला जाता है, कहीं कोई परिवार कर्ज में डूब जाता है, कहीं कोई प्रतिभाशाली बच्चा सिस्टम से विश्वास खो देता है और दूसरी तरफ, कुछ लोग करोड़ों का खेल खेलते रहते हैं बच्चों के सपनों की दलाली करके। भारत में शिक्षा अब केवल ज्ञान का माध्यम नहीं रही; यह एक ऐसा बाजार बनती जा रही है, जहां उम्मीदें खरीदी और बेची जाती हैं। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या हम आने वाली पीढ़ी को डॉक्टर, इंजीनियर और वैज्ञानिक बना रहे हैं, या उन्हें यह सिखा रहे हैं कि इस देश में ईमानदारी सबसे 'कमजोर' विकल्प है?●

दिल्ली में बिल्डिंग ढहा आग भी लगी विभागीय लापरवाही से आमजनता त्राहिमाम

● संजय सिन्हा

कोई भी हादसे के लिए सभी जिम्मेदार नहीं ठहराये जा सकते कुछ मात्र अधिकारी कर्मचारी की अवैध कमाई करने की ललसा ने निर्दोष व्यक्तियों की जीवन लील जाती हैं और वे बेचारे मौत की मुह में समा जातें हैं। 30 मई को दक्षिणी दिल्ली स्थित सैदुलाजाब में एक अवैध इमारत गिर गई थी, इमारत पर और फ्लोर बढ़ाने के लिए निर्माण कार्य चल रहा था। इसमें भी छह लोग की मौत हुई थी। उसके बाद उसके फरार मालिक कर्मवीर को पुलिस ने ढूंढ कर गिरफ्तार कर लिया है। कमोबेश यही हाल समूचे दिल्ली एवं एनसीआर का है।

यहां सवाल ये उठता है कि दिल्ली समेत एनसीआर में अवैध निर्माण को रोकने के लिए जिम्मेदार एमसीडी या अन्य स्थानीय निकाय अपना दायित्व ठीक ढंग से क्यों नहीं निभाते? सरकार, प्रशासन, पुलिस सब बाद में ही क्यों जागते हैं? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अवैध निर्माण के कारण होने वाले हादसों पर कैसे लगे रोक और अवैध निर्माण पर प्रभावी कार्रवाई करने के लिए क्या किए जाने चाहिए। ठोस उपाय, एमसीडी एवं दिल्ली पुलिस के कुछ मात्र कर्मचारियों के

वजह से निर्दोष मारे जा रहे हैं। सैदुलाजाब में बन रहे छह मंजिला ईमारत के भुमि तल पर कैंटीन, आफिस सब चल रहे थे। मेडिकल ईन्जिनियरिंग के छात्र कैंटीन में भोजन करते थे। उस दिन भी मरने वालों में छह में से पांच छात्र थे जबकि एक कैंटीन चालक की अवैध निर्माण के चलते बिल्डिंग ढ़हने से मौत हो गई, जबकि 15 मजदूर घायल हो गयें। अभी कुछ दिन बाद फिर वही हालात हो गयें,जब गे। जब जून माह के प्रथम सप्ताह में साकेत के हौजरानी क्षेत्र में एक अवैध होटल में आग लगने की घटना में 22 लोग की मौत हुई एवं 40 से अधिक घायल। ये मृत आकड़े और भी ज्यादा होता अगर पास में गद्दे के दूकानदार ने अपने गद्दे को बिल्डिंग के किनारे मोटे तरीके से फैला दिया और सभी को छलांग लगाने के लिए अनुरोध किया। जिससे कई के जान बच पाई। पता यह चला कि बेड एंड ब्रेकफास्ट यानी बीएंडबी के नियमों के तहत इसके संचालक ने लाइसेंस लिया था, जिसमें छह कमरे बनाने की अनुमति थी, लेकिन उसने नियमों को दरकिनार कर अवैध रूप से 25 कमरे बनाए। दिल्ली में पार्किंग के बाद चार तल बनाने की अनुमति एमसीडी नियम के तहत 17.5 मीटर

उचाई बनाने की अनुमति है फिर भी लोकल बिल्डर एमसीडी एवं पुलिस के सहयोग से सबसे उपर आधे छत पर अंदर तरफ एक दो कमरे बाथरूम किंचन बना देती है जो निचे सड़क से किसी भी व्यक्ति को नहीं दिखें। उसके बाद के बचे हुए हिस्से पर उस फ्लोर का खरीदार लोहे के पाईप टीन के चदरा से कभर कर लेते हैं और बाद में ईट से तीन से पांच ईच की दीवार देकर पुरी छत कभर कर लेते हैं। जबकि ऐसे मामलो में फ्लोर के अन्य खरीदार एमसीडी या पूलिस को शिकायत करतीं हैं तो ये संबंधित विभाग कार्यवाही करने से पिछे नहीं हटते। परंतु एक मध्यम वर्ग परिवार जो दिल्ली के बाहर से आये हुए होते हैं और छोटी मोटी सरकारी या प्राईवेट नौकरी पेशा वाले शिकायत करने के पहले सौ बार सोचते हैं एवं अंततः शिकायत नहीं करते ऐसे स्थिति में एमसीडी या पुलिस भला क्या कर सकतीं? जनता को हिम्मत दिखानी होगी और शिकायत से पिछे नही हटनी होगी। सरकार को इस पर एक कानून ये भी बनाना चाहिए कि जरुरी नहीं कि किसी फ्लोर वाले ही शिकायत करें? ब्लकि एक आम राही जनता भी एमसीडी को शिकायत कर सकें। इसके सबसे बड़ा अधार ये है कि कोई मकान अवैध निर्माण जब गिरता है तो उसमें सड़क पर चलने वाली जनता भी चपेट में आती है। अवैध निर्माण हादसों का कारण, राजनीतिक संरक्षण और भ्रष्टाचार मुख्य जड़ दिल्ली में ही नहीं समूचे भारत में हैं। प्रशासनिक उदासीनता, जवाबदेही की कमी समस्या को बढ़ाती है। कठोर कानून, शुरुआती कार्रवाई और राजनीतिक इच्छाशक्ति ही समाधान साबित करेगा। अतिक्रमण, अवैध निर्माण पर जिस तत्परता के साथ नगर निगम व अन्य एजेंसी बुलडोजर चला रही हैं, ऐसा लगता है कि, अब दिल्ली में फिर कोई हादसा नहीं होगा? परंतु फिर कुछ न कुछ हो जाता है। दिल्ली में अवैध निर्माण पर एमसीडी का बुलडोजर एक्शन तो चल रहे हैं। 16 निर्माण ढहाए और 30 संपत्तियां सील हुई। जब तक बिल्डर संबंधित विभाग की गठजोड़ को नहीं तोड़ा जाएगा, तब तक किसी भी कानून या अभियान से स्थायी समाधान नहीं निकल सकता। सबसे पहले आवश्यकता राजनीतिक इच्छाशक्ति की है। शासन और प्रशासन में बैठे लोगों को यह स्पष्ट संदेश देना होगा कि अवैध निर्माण किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं होगा। यदि कोई पार्षद, विधायक या सांसद किसी अवैध निर्माणकर्ता का पक्ष लेता है या कार्रवाई रुकवाने का प्रयास करता है, तो उसके विरुद्ध भी दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिये थीं। अवैध निर्माण रोकने की सबसे प्रभावी रणनीति यह है कि निर्माण के शुरुआती चरण में ही कार्रवाई हो। जब किसी भवन का पहला लिंन्टर डाला जा रहा हो और निर्माण स्वीकृत नक्शे के अनुरूप न हो, तभी उसे रोक दिया जाना चाहिए। भवन पूरी तरह बनने के बाद उसे तोड़ने में प्रशासन को भारी संसाधन लगाने पड़ते हैं और खरीदारों को भी नुकसान उठाना पड़ता है। जो देश का नुकसान हैं। फिर भी अगर अवैध निर्माण को ध्वस्त करने पर आने वाला पूरा खर्च भवन मालिक से वसूला जाना

अनाधिकृत अतिक्रमण

अनाधिकृत अतिक्रमण

जब कानून का उल्लंघन होगा, तो ऐसी घटना होने पर नुकसान भी होगा

दिल्ली के पूर्व मेयर जयप्रकाश (जेपी) से पत्रकार संजय सिन्हा ने कई समस्याओं पर साक्षात्कार किया, प्रस्तुत है उसके प्रमुख अंश :-

❖ **अभी जो घटना दिल्ली के विभिन्न स्थानों पर हुई है, जैसे अधिक्रमित मकानों का गिर जाना एवं आग लगने की घटना जहाँ छह कमरे की जगह 24 बनवाना उसमें आने जाने के सिर्फ एक रास्ते उसके बाद निर्दोष जनता की मौत इस पर आप क्या कहेंगे?**

देखिए, दिल्ली एक बढ़ता हुआ शहर है और दिल्ली, जो देश की राजधानी है, उसका अपना आकर्षण है। ये दिल्ली का दुर्भाग्य है कि दिल्ली में पचास साल तक जिन्होंने राज किया, उन्होंने दिल्ली का डेवलपमेंट तो किया, लेकिन लोगों की जरूरत के हिसाब से मकान और कॉलोनियाँ नहीं बसा पाए। जिसके कारण लोग बाहर से आकर जमीनें खरीदते गए और अनौपचारिक कॉलोनियाँ बस गईं। अब जो लोग पच्चीस-तीस साल से वहाँ रह रहे हैं, उनको अपनी आवश्यकता के हिसाब से जगह चाहिए। डीएमसी एक्ट के अनुसार जो आपका नक्शा पास होता है, उसके हिसाब से आप अपनी बिल्डिंग बना सकते हैं। लेकिन कई बार लोग जरूरत के हिसाब से अतिरिक्त फ्लोर बना लेते हैं। जब फ्लोर बढ़ता है तो कानून की अवहेलना होती है, कानून का उल्लंघन होता है और जब कानून का उल्लंघन होता है, तो ऐसी घटनाएँ होने पर नुकसान भी होता है। इसलिए जो एजेंसियाँ हैं, उन्हें मिलकर काम करना चाहिए। एजेंसियों के तालमेल की कमी के कारण भी इस तरह की घटनाएँ घटित होती हैं।

❖ **जैसे कोई आम आदमी है, जिसकी आय बहुत कम है। वो कहीं एक फ्लोर खरीदता है, लेकिन उसके आसपास कोई अनाधिकृत निर्माण कर रहा है, ऐसे में वो व्यक्ति इतना मजबूर है कि शिकायत करने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाता। इसमें क्या होता है कि न पुलिस उसे ठीक से सहयोग कर पाती है और न ही एमसीडी। आवेदन तो दे दिया जाता है, लेकिन वो आवेदन पड़े रह जाते हैं।**

बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब एजेंसियों के पास शिकायत आती है, चाहे पुलिस हो या एमसीडी, पुलिस शिकायत को एमसीडी को भेज देती है। एमसीडी शिकायत मिलने पर बिल्डिंग को बुक कर लेती है। लेकिन पर्याप्त स्टाफ न होने के कारण, जब स्टाफ की कमी होती है, तो बिल्डिंगें बन भी जाती हैं और बुक भी हो जाती हैं। कभी-कभी कार्रवाई भी हो जाती है, लेकिन बाद में फिर वही स्थिति बन जाती है।
इसलिए दिल्ली को ठीक करने के लिए सभी एजेंसियों का तालमेल जरूरी है। आगे ऐसी घटनाएँ न हों, इसके लिए एक अच्छी टास्क फोर्स बननी चाहिए और उसे प्रभावी ढंग से काम करना चाहिए। तभी आप दिल्ली को एक अच्छी राजधानी और अच्छा शहर बना सकते हैं।

❖ **अब दिल्ली में या देश में इतनी बड़ी जनसंख्या है, और यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी भीड़भाड़ वाला है। लोगों को समझ में नहीं आता कि उन्हें किसके पास जाना चाहिए, कहाँ शिकायत करनी चाहिए। इस पर आप क्या सुझाव देंगे?**

देखिए, दिल्ली को बेहतर बनाने के लिए दिल्ली की बेहतर प्लानिंग करनी होगी। दिल्ली सात प्रकार की दिल्ली है। एक दिल्ली वह है जो लुटियंस जोन में रहती है। एक दिल्ली वह है जो पॉश कॉलोनियों में रहती है। एक दिल्ली गाँवों में रहती है। एक दिल्ली रिफ्यूजी कॉलोनियों में रहती है। एक दिल्ली पुनर्वास (रिसेटलमेंट) कॉलोनियों में रहती है। और एक दिल्ली हाउसिंग सोसाइटियों के आसपास बनी इमारतों में रहती है। आपको इन सभी प्रकार की दिल्ली के हिसाब से योजना बनानी पड़ेगी। उसी प्रकार एजेंसियों को अलर्ट करना होगा और उसी प्रकार प्रशासनिक ढाँचा तैयार करना होगा। जब योजनाएँ बनेंगी और एजेंसियाँ उन पर काम करेंगी, तभी ऐसी घटनाओं पर रोक लग सकेगी।

❖ **अंतिम सवाल, जैसे एक विकासशील देश को विकसित देश बनने में बुनियादी ढाँचा बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर जीवन की कमाई का सबसे बड़ा रकम से बिल्डिंग फ्लोर खरीदीं जाये वो भी सुरक्षित एवं पूर्ण न हो और बाद में ऐसे मकान गिराने डिमौलिंस करने पड़े तो वो भी कुछ लापरवाह एवं रिसवत खोर अधिकारी कर्मचारी के द्वारा तो कैसे हम विकसित राष्ट्र बन पायेगें? एवं अधिकारियों की एक जिम्मेदारी क्या तै नहीं होनी चाहिये?**

देखिए, दिल्ली एक बहुत बड़ी आबादी वाला शहर है। यहाँ जितने स्टाफ की जरूरत है, उतना स्टाफ अभी उपलब्ध नहीं है। कई बार एजेंसियों में तालमेल भी होता है और वे चीजों को रोकना भी चाहती हैं, लेकिन एक-एक अधिकारी को बहुत बड़ा क्षेत्र देखना पड़ता है। उसे सुबह कोर्ट भी जाना होता है और क्षेत्र की अन्य जिम्मेदारियाँ भी निभानी होती हैं। इसलिए मुझे लगता है कि यदि हम स्टाफ बढ़ाएँगे और व्यवस्थित तरीके से काम करेंगे, तो इन समस्याओं को काफी हद तक रोका जा सकता है। साथ ही, लोगों के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाना होगा। क्योंकि जो लोग गरीब हैं, उन्हें रहने के लिए जगह चाहिए। देश में आबादी है, लोग रहेंगे कहाँ? यदि लोगों को रहने के लिए जगह चाहिए, तो उसके हिसाब से योजनाएँ बनानी होंगी ताकि हर परिवार के सिर पर छत हो। जैसे देश में प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है, ऐसी योजनाओं को और बढ़ावा देना होगा। दिल्ली में सस्ते और सुव्यवस्थित अपार्टमेंट बनें, जैसी योजनाएँ अन्य शहरों में बनी हैं, उसी तरह लोगों की आवश्यकता के अनुसार आवास उपलब्ध कराए जाएँ। साथ ही, सभी सुरक्षा मानकों का ध्यान रखा जाए-आग लगने पर कैसे बचना है, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, नींव कितनी मजबूत हो, बाई-लॉज के अनुसार कितनी मंजिलें बनाई जा सकती हैं और उससे अधिक निर्माण तो नहीं हो रहा है। जैसा कि आप गुरुग्राम, नोएडा और ग्रेटर नोएडा जैसे शहरों में देखते हैं, वहाँ कोई भी व्यक्ति एक इंच भी अतिक्रमण नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ का प्रशासन सतर्क रहता है। यदि ऐसी व्यवस्था हमारे पास भी होगी, तो धीरे-धीरे हम अपने शहर को बेहतर बना सकेंगे।

चाहिए। बिल्डर अगर भुगतान न करने की स्थिति में हैं तो, उसके बैंक खाते अटैच करने अथवा संपत्ति संबंधी अधिकारों पर रोक लगाने का प्रावधान होना चाहिए। इसके साथ ही जवाबदेही की व्यवस्था भी मजबूत करनी होगी।

अवैध निर्माण के पूरे मशीनरी तंत्र में सब-रजिस्ट्रार कार्यालय की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण है। यदि नियमों के विपरीत बनी मंजिलों की रजिस्ट्री ही न हो तो अवैध निर्माण का बड़ा हिस्सा स्वत: रुक सकता है। आज स्थिति यह है कि कई स्थानों पर पांचवीं और छठी मंजिल यहाँ तक पार्किंग तक की रजिस्ट्री हो जाती है, जिससे बिल्डरों का मनोबल बढ़ता है। रजिस्ट्री के समय भवन का स्वीकृत नक्शा अनिवार्य रूप से संलग्न होना चाहिए, जिसमें पार्किंग, प्रत्येक मंजिल और उसके स्वामी का स्पष्ट विवरण दर्ज हो। साथ ही, फ्लैट बेचने वाले को शपथपत्र देना चाहिए कि संपत्ति नियमानुसार निर्मित है। यदि बाद में कोई अनियमितता सामने आती है तो खरीदार को उसकी पूरी राशि ब्याज सहित लौटाने की जिम्मेदारी विक्रेता की होनी चाहिये। विशेष भवन कानूनों में भी संशोधन की आवश्यकता है। वर्तमान दंडात्मक प्रावधान में अवैध निर्माण से होने वाले लाभ की तुलना में बेहद कमजोर हैं। दोषी अधिकारियों के लिए अधिकतम सजा बढ़ाकर दस वर्ष तक करने और भारी आर्थिक दंड लगाने पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। साथ ही, प्रत्येक वार्ड में चल रहे निर्माण कार्यों की साप्ताहिक रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही भी तय की जाए। अवैध निर्माण केवल भवन नियमों का उल्लंघन नहीं है, बल्कि यह नागरिकों के जीवन के साथ बड़ा खिलवाड़ है। और विकाशशील देश को विकसित देश बनने में बड़ी बाधा मानना चाहिए। यह बुनियादी और पुंजिवादी निवेश का नीव हैं। यदि राजनीतिक इच्छाशक्ति, प्रशासनिक जवाबदेही और पारदर्शी व्यवस्था को एक साथ लागू किया जाए, तो इस समस्या पर प्रभावी नियंत्रण संभव है। आवश्यकता केवल कानून बनाने की नहीं, बल्कि उन्हें निष्पक्ष और कठोरता से लागू करने की है। एमसीडी अधिनियम ने निगम को प्रशासनिक समुहों को निरीक्षण, निगरानी और अवैध निर्माण को शुरुआती चरण में ही रोकने की असीमित शक्तियां दी हैं। लेकिन हकीकत यह है कि किसी क्षेत्र में महीनों तक सरेआम अवैध निर्माण चलता रहता है, भारी मात्रा में निर्माण सामग्री सड़कों पर पड़ी रहती है, लेकिन संबंधित क्षेत्र के बिल्डिंग इंस्पेक्टर, कनिष्ठ अभियंता और सहायक अभियंता को इसकी भनक तक नहीं लगती।

यह कैसे संभव है? जब अदालतें भी यह मान चुकी हैं कि प्रशासनिक लापरवाही और भ्रष्टाचार के बिना अवैध निर्माण की एक ईंट भी नहीं रखी जा सकती। यदि हम वाकई समाधान चाहते हैं, तो जितने सख्त प्रावधान मकान मालिक के लिए हैं, उतने ही कड़े दंडात्मक प्रावधान इन लापरवाह या भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ भी लागू होने चाहिए। बात सिर्फ निगम तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि इस समूह में पुलिस प्रशासन और राजस्व विभाग की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो जाती है। हालांकि पुलिस का काम भवन निर्माण के नक्शे को स्वीकृत करना नहीं है, लेकिन कानून-व्यवस्था बनाए रखना और निगम के अधिकारियों को अवैध निर्माण रोकने में त्वरित सुरक्षा सहयोग देना उनकी वैधानिक जिम्मेदारी है। कभी कभी स्थानीय निवासियों द्वारा लिखित शिकायतें दिए जाने के बावजूद पुलिस और निगम के बीच जिम्मेदारी टालने का खेल चलता रहता है। वहीं, दूसरी ओर राजस्व विभाग की लापरवाही इस खेल में आग में घी का काम करती है। राजस्व विभाग जमीन के दस्तावेजों को पूरी तरह डिजिटल, पारदर्शी और अद्यतन कर दें, तो अनाधिकृत कब्जे और अवैध निर्माण की गुंजाइश काफी हद तक अपने आप खत्म हो सकती है। अवैध निर्माण के मुख्य रूप से दो ही उजहां गरीब और मध्यम वर्ग अपनी बुनियादी जरूरत के लिए इस जाल में फंसता है, वहीं भू-माफिया और बिल्डर वर्ग केवल अंधा मुनाफा कमाने के लिए कानून को ठेंगे पर रखता है। अवैध रूप से निर्मित संपत्तियों के क्रय-विक्रय और रजिस्ट्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना होगा। अन्यथा गरीब आम जनता जीवन भर सकतें में रहेगी। ●

● संजय सक्सेना (वरिष्ठ पत्रकार, लखनऊ)

उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में बकरीद के समय युवा सूर्या चौहान की हत्या ने कई सवाल खड़े कर दिये हैं। कोई इसे हिन्दू-मुस्लिम के एंगल से देख रहा है तो किसी को इसके पीछे मजहबी कट्टरता नजर आ रही है। सूर्या को एक मजहब के कुछ लड़कों ने जिस तरह से पाँच लड़कों के समूह ने पेट में चाकू भोंक कर मौत की नींद सुलाया, वह दिल दहला देने वाला था। यूपी पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जबकि मुख्य आरोपी असद पुलिस से मुठभेड़ में मारा गया। बस इसी के बाद प्रदेश में राजनीति शुरू हो गई। सूर्या की हत्या पर जो मौन थे, वह असद के एनकाउंटर पर विलाप करने लगे। असद के एनकाउंटर के खिलाफ एक मजहब के लोग और विपक्ष की एकजुटता देखने लायक है। पुलिस व योगी सरकार के रवैये पर सवाल खड़े किये जा रहे हैं, इसके साथ-साथ निर्दोष युवा सूर्या चौहान के परिवार वालों को तसल्ली देने वाले लोग मुट्ठी भर हैं। सूर्या चौहान की हत्या और उसके बाद असद के एनकाउंटर ने शहर को दो हिस्सों में बाँट दिया है। एक तरफ वह लोग हैं जो योगी सरकार की कार्रवाई की मुक्त कंठ से प्रशंसा कर रहे हैं, यह कहते हुए कि कानून का पोषक अपराधियों के खिलाफ कठोर होना चाहिए। दूसरी तरफ विपक्ष और एक खास मजहब के लोग एक साथ असद के पक्ष खड़े होते हैं, पुलिस की तेजतर्रार कार्रवाई के तरीकों पर सवाल उठाते हैं और शेखी से ज्यादा पारदर्शिता की मांग करते हैं। इस घड़ी में वही पुरानी परतें फिर उभर कर आती दिखती हैं, जातिगत भावनाएँ, राजनीतिक फायदा और

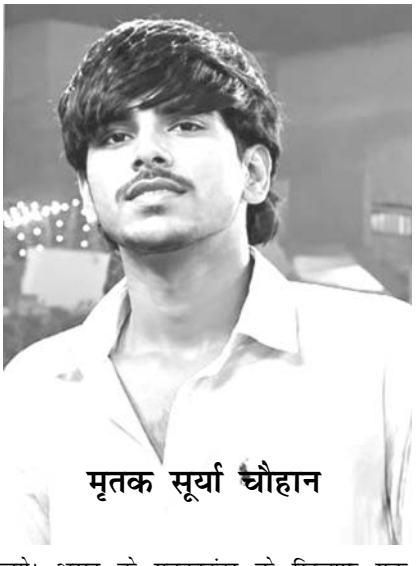
मृतक सूर्या चौहान

असद और उनके दोस्तों ने बकरीद के दिन चाकू गोदकर कर दी सूर्या चौहान की हत्या

फास्ट-फॉरवर्ड जस्टिस की लालसा।

पूरे घटनाक्रम में सबसे अधिक सूर्या की हत्या और इस परिवार का प्रलाप दिखाई देता है तो कुछ स्थानीय लोग अपराध की कुछ पुरानी घटनाओं को उजागर करते हुए सूर्या की हत्या को नई 'शक्ल' देने में लगे हैं। यहाँ एक विशेष मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोग पूरे घटनाक्रम से जानबूझकर दूरी बनाए हुए हैं। वे कहते हैं कि उन्हें किसी सूर्या की हत्या के बारे में नहीं पता है, पर जब असद के एनकाउंटर की बात आती है तो उनकी संवेदना अचानक जाग जाती है। विशेषकर जब उनके समुदाय का कोई सदस्य किसी विशिष्ट नैरेटिव में फिट नहीं बैठता। राजनीति तुरंत सक्रिय हो जाती है। विपक्षी नेताओं के भाषण में नेमबद्ध आरोप नजर आते हैं। आरोप लगाया जाता है कि पुलिसिया एनकाउंटर कई बार खतरनाक तरीके से इसलिए किए जाते हैं ताकि असुविधाजनक सवालों और गवाहों को समाप्त किया जा सके। वे पुराने मामलों की सूची गिनाते हैं जहाँ प्रत्यक्षदर्शियों, आरोपियों या पीड़ितों के साथ संदिग्ध परिस्थितियों में निपटा गया। जनता की स्मृति में 2010 का वह मामला आता है, जब एक युवक की संदिग्ध हालातों में मौत हुई और पुलिस ने उसे आत्मरक्षा का ठहराया। फिर 2014 और 2018 की घटनाएं भी दिमाग में घूमती हैं। हर बार एक ही पैटर्न तेज-तर्रार कार्रवाई, संदेह के बादल, और समय के साथ फीकी पड़ती जाँचें। विपक्ष इन पुराने मामलों का हवाला देता है ताकि सामूहिक गुस्से को विधि और प्रक्रिया के साथ जोड़ कर दर्शाया जा सके कि यह सिर्फ व्यक्तिगत घटना नहीं, बल्कि प्रणालीगत समस्या है। वहीं असद के एनकाउंटर को सही ठहराने वाले कहते हैं कि कानून का हाथ जब तेजी से चलता है तो अपराधी डरते हैं और अपराध घटते हैं। उनके लिए एनकाउंटर तुरंत सजा देने जैसा लगता है। नतीजा साफ और त्वरित होता है। वे पुलिस की नीतियों में कठोरता की वकालत करते हैं और सिस्टम पर भरोसा जताते हैं। इस विश्वास की जड़ें कई वर्षों के अनुभवों से जुड़ी हैं, जब सिस्टम धीमा और गैर-लाभकारी लगता है, तब लोक-मन चाहने लगता है कि निर्णायक कार्रवाई हो। यही भावना अक्सर भीड़ की मांग बनकर सामाजिक दबाव उत्पन्न करती है। असल में समस्या केवल न्यायिक या पुलिसिया प्रक्रिया पर नहीं टिकती; यह पहचान, समुदाय और राजनीतिक असंतुलन का भी मामला है। सूर्या के मरने के

मृतक सूर्या चौहान के हत्या के बाद आक्रोशित भीड़ को समझाती पुलिस

बाद जिन कुछ लोगों की तस्वीरें और वीडियो सामने आते हैं, वे मुट्ठी भर हैं। वे स्थानीय लोग, कुछ रिश्तेदार और कुछ परिचित हैं, पर आंकड़े बताते हैं कि इलाके में रहने वाले विशेष मजहब के कई लोग अब भी इस पूरे घटनाक्रम से विमुख हैं। उनके बीच भय की एक परत घूम रही है। ये लोग खुलकर बोलने से सामाजिक बहिष्कार, बदनामी या राजनीतिक निशाना बनते हैं। इसलिए वे बाहर से दुख जाहिर करते हैं, पर अंदर से दूरी बनाए रखते हैं। इस दूरी में राजनीति फल-फूल रही है; नेता अपनी आवाजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, और स्थानीय लोगों की अनिच्छा कार्यवाही के नैरेटिव को बदल देती है।

समाचार माध्यम और सोशल मीडिया

पुलिस गिरफ्त में सूर्या के अन्य हत्यारे

मो० असद

इस स्थिति में ईंधन का काम करते हैं। मीडिया के कुछ हिस्से घटनाओं को तेजी से पॉलिटिकल फ्रेम में आकार देते हैं, कुछ हिस्से भावनाओं को हवा देते हैं। सोशल मीडिया पर क्लिक्स के लिए कटिंग क्लिप, भावनात्मक पोस्ट और कुछ केस-हिस्ट्रीज चलते हैं। कभी-कभी सटीक तथ्य की जगह अफवाहें तेजी से फैलती हैं। परिवार के सदस्यों के कथित बयान, वीडियो के अनचेक्ड क्लिप, और पुराने विवादों की रील-रीप्ले। इस माहौल में निष्पक्ष जांच और ठोस सबूत माँगना कठिन हो जाता है, क्योंकि सार्वजनिक धारणा पहले ही धक्का खा चुकी होती है। विरोध और समर्थन दोनों तरफ के बयानों में एक सामान्य रिसाव दिखता है। इंसानियत के सवाल पीछे छूट जाते हैं। सूर्या का परिवार दुखी है, वे न्याय की मांग करते हैं; परिवार की आवाजें अक्सर राजनीतिक रैलियों और चौनलों की पृष्ठभूमि बन जाती हैं। उनसे जुड़ी वास्तविक जरूरतें, मुकम्मल और निष्पक्ष जाँच, संरक्षण, मुआवजा और समुदाय में शांति कम चर्चा में रह जाती हैं। इसके बजाय बहस ध्रुवीकरण पर केन्द्रित होती है, न्याय बनाम सजा, प्रक्रिया बनाम परिणाम, समुदाय बनाम सरकार। लब्बोलुआब यह है कि खोड़ा का केस केवल एक घटना नहीं रह जाता; यह एक आईना बनकर सामने आता है जो बताता है कि कानून और सामाजिक जवाबदेही के बीच कितना फासला है। इतिहास के उन उदाहरणों को याद करते हुए जहाँ सत्ता, जाति और धर्म ने न्याय की गति बदल दी, वर्तमान में उठी इस आवाज को सुनकर आवश्यक है कि हम शीघ्र, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से काम करें, तभी समाज भरोसा फिर से जीत पाएगा और सूर्या जैसे युवा के नाम पर न्याय की भावना जीवित रहेगी।●

विधि विरुद्ध मंत्री पद के लोभ में दीपक

संविधान के अनुच्छेद 164 (4) के अनुसार, कोई व्यक्ति जो सदन का सदस्य नहीं है, वह लगातार छः महीने तक मंत्री रह सकता है, ''सिर्फ छः महीने ही'' इसके बाद नहीं।

● **अमित कुमार**

बिहार में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को लेकर एक नया सियासी सवाल खड़ा हो गया है। राज्य में 18 जून को विधान परिषद का चुनाव होने जा रहा है, जिसके लिए एनडीए के 9 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है। एनडीए के जिन 9 उम्मीदवारों ने विधान परिषद चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया है, उनमें जेडीयू के निशांत कुमार भी शामिल हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे हैं। निशांत कुमार भी फिलहाल बिहार विधानसभा में किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं। इसके अलावा जेडीयू ने भारती मेहता, शिवानी देवी प्रजापति और ललन प्रसाद को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं बीजेपी ने संजय मयूख, पवन सिंह, अनिल कुमार ठाकुर, शीला पंडित और अशरफ अंसारी को उम्मीदवार बनाया है। इन 9 नामों के पूरा होने के बाद दीपक प्रकाश का कही भी नाम शामिल नहीं है। दीपक प्रकाश मौजूदा समय में बिहार के पंचायती राज मंत्री हैं, लेकिन वो न तो विधानसभा और न ही विधान परिषद के सदस्य हैं। संवैधानिक प्रावधानों के मुताबिक दीपक प्रकाश को मंत्री बने रहने के लिए छह महीने के अंदर किसी एक सदन का सदस्य बनना अनिवार्य है। बिहार में विधान परिषद के लिए अगला चुनाव मार्च 2027 में होगा, यानि अगर उस वक्त दीपक प्रकाश को विधान परिषद की सदस्यता मिल भी जाए तो फिलहाल उन्हें अपना मंत्री पद गंवाना पड़ सकता है।

मंत्री पद की शपथ लेते दीपक प्रकाश

गौरतलब है कि दीपक प्रकाश को 7 मई को बिहार में सम्राट चौधरी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था। इससे पहले वो 20 नवंबर 2025 को राज्य में नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री बनाए गए थे, उस वक्त भी वह किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। ज्ञात हो कि साल 2025 के अंत में हुए बिहार विधानसभा चुनावों में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा को एनडीए के साझेदार के तौर पर 6 सीटें दी गई थीं। इनमें बाजपट्टी, मधुबनी, सासाराम और दिनारा सीटों पर आरएलएम ने जीत दर्ज की। इनमें उनकी पत्नी स्नेहलता कुशवाहा भी शामिल हैं, जो सासाराम सीट से विधायक हैं। नीतीश कुमार ने जब नवंबर 2025 में रिकॉर्ड दसवीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी, तब कयास लगाए जा रहे थे कि उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी को उनके मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, लेकिन आरएलएम के पास चार

विधायक होते हुए भी दीपक प्रकाश को मंत्री बनाए जाने से कई लोगों को हैरानी हुई थी। नामांकन दाखिल करने का समय समाप्त होने और बेटे को उम्मीदवार नहीं बनाए जाने के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि 'यह मामला अब खत्म हो चुका है, मैं सभी एनडीए उम्मीदवारों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं, सभी निर्विरोध जीत दर्ज करेंगे'। उन्होंने कहा कि 'सभी एनडीए नेताओं ने मिलकर दीपक प्रकाश को मंत्री बनाया था और जब तक सब लोग चाहेंगे वो मंत्री बने रहेंगे, उन्हें उम्मीदवार क्यों नहीं बनाया गया के सवाल पर कुशवाहा ने कहा कि बेहतर होगा कि यह सवाल आप उन नेताओं से पूछिए जिन्होंने उन्हें मंत्री बनाया था'।

बहरहाल, बीजेपी ने उपेंद्र कुशवाहा से कहा था उन्हें एक राज्यसभा सीट और एक विधान परिषद सीट दी जाएगी। उन्हें इस बार यह सीट क्यों नहीं दी गई इस पर वह खुद कह रहे हैं कि इसकी सूची बनाने वालों से पूछा जाए। उपेंद्र कुशवाहा की अब दिल्ली में बीजेपी नेताओं से बात होनी है, उसमें क्या तय होता है यह देखना होगा। वही सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि बीजेपी चाहती थी कि उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी आरएलएम का बीजेपी में विलय कर दें, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा इसके लिए तैयार नहीं हुए और उन्होंने एनडीए में रहकर अपनी पार्टी का अस्तित्व बनाए रखने पर जोर दिया। वही बात दीपक प्रकाश की करें तो इस मामलें में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश की मंत्री पद पर दोबारा नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किए हैं। ये नोटिस बिहार सरकार, दीपक प्रकाश और चुनाव आयोग को भेजे गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक रिट याचिका पर नोटिस जारी किए। इस याचिका में दीपक प्रकाश को बिना विधायक चुने बिहार का पंचायती राज मंत्री दोबारा बनाए जाने को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता राकेश

उपेन्द्र कुशवाहा

दीपक प्रकाश

कुमार सिंह का तर्क है कि दीपक प्रकाश विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य नहीं हैं, इसलिए राज्य सरकार के मंत्रालय में कोई पद नहीं संभाल सकते। याचिका में कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 164(4) के अनुसार, कोई व्यक्ति जो विधायक नहीं है, वह लगातार छः महीने तक मंत्री रह सकता है, लेकिन इस दौरान उसे राज्य विधानमंडल की सदस्यता हासिल करनी होगी। यह छूट सिर्फ एक बार मिलने वाला मौका है और सरकार बदलने पर इसे दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। याचिका के अनुसार, प्रकाश को तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 20 नवंबर 2025 को मंत्री बनाया था, जबकि वे विधानसभा के सदस्य नहीं थे। 15 अप्रैल 2026 को नीतीश कुमार की सरकार गिर गई, जिससे मंत्रिपरिषद भंग हो गई। 22 दिनों के अंतराल के बाद 7 मई को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली नई सरकार ने प्रकाश को फिर से मंत्री नियुक्त किया। 20 नवंबर 2025 को पहली नियुक्ति से दोबारा चुने जाने के लिए 6 महीने का समय 20 मई 2026 को खत्म हो गया। याचिकाकर्ता ने कहा कि ऐसे में दोबारा नियुक्ति करके उन्हें अतिरिक्त समय देने की कोशिश की गई है। उन्होंने यह भी तर्क है कि बिना चुने गए व्यक्तियों को बार-बार मंत्री पद पर नियुक्त करने की अनुमति देने से संसदीय लोकतंत्र, प्रतिनिधि सरकार, सामूहिक जिम्मेदारी और चुनावी जवाबदेही के सिद्धांतों को नुकसान पहुंचेगा। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की दलील सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार, दीपक प्रकाश और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया।

लब्बोलुआब है कि सुप्रीम कोर्ट बिहार में दीपक प्रकाश को मंत्री के रूप में फिर से नियुक्त करने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया है। न्यायालय ने बिहार सरकार और अन्य से इस संबंध में जवाब मांगा है। प्रकाश को हाल ही में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली बिहार कैबिनेट में पंचायती राज मंत्री बनाया गया था। वह बिहार विधानसभा या राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य नहीं हैं। याचिकाकर्ता राकेश कुमार सिंह के वकील ने बताया कि प्रकाश अभी भी मंत्री पद पर हैं। शीर्ष अदालत ने बिहार सरकार, प्रकाश और भारत निर्वाचन आयोग से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई में होगी। याचिका में कहा गया है कि प्रकाश को 20 नवंबर, 2025 को तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली कैबिनेट में शामिल किया गया था। तब भी वह विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य नहीं थे।●

बिहार विधान परिषद् के 9 नवनिर्वाचित सदस्य

शिक्षा के मंदिर में कोचिंग वॉर
और दांव पर लगता मासूम छात्रों का भविष्य

● **अजय कुमार (वरिष्ठ पत्रकार)**

बिहार के पटना का मुसल्लहपुर हाट इलाका देश भर में प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों की उम्मीदों का केंद्र माना जाता है। लेकिन हाल ही में इस इलाके से जो तस्वीरें और खबरें सामने आई, उसने न केवल शिक्षा के इस मंदिर को शर्मसार किया है बल्कि बिहार की गौरवशाली ज्ञान परंपरा पर भी एक गहरा धब्बा लगा दिया है। जिन गलियों में सुबह से शाम तक किताबों के बंडल, पेन और कॉपियां दिखाई देती थीं, वहां अचानक पत्थरबाजी, लाठी-डंडे और हवाई फायरिंग की गूंज सुनाई देने लगी। यह विवाद महज दो कोचिंग संस्थानों की आपसी लड़ाई नहीं है, बल्कि यह शिक्षा के नाम पर चल रहे करोड़ों रुपये के उस बाजार का नग्न प्रदर्शन है, जहां छात्रों का भविष्य दांव पर लगाकर सिर्फ और सिर्फ भीड़ और वर्चस्व की जंग लड़ी जा रही है। इस तथाकथित 'कोचिंग वॉर' ने यह साबित कर दिया है कि जब शिक्षा व्यवसाय बन जाती है, तो नैतिकता और सामाजिक जिम्मेदारी का पतन किस कदर होता है। इस पूरे बवाल की शुरुआत बेहद मामूली और बचकानी वजह से हुई, जिसे जानकर किसी भी सभ्य समाज का सिर घोर निराशा से झुक जाएगा। बताया जा रहा है कि एक कोचिंग संस्थान की ओर से बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा में करीब 12 हजार छात्रों के सफल होने का दावा करते हुए बड़े-बड़े पोस्टर और बैनर लगाए गए थे। आरोप है कि यह पोस्टर प्रतिद्वंद्वी कोचिंग संस्थान के साइन बोर्ड के ऊपर या उसके बेहद करीब चिपका दिए गए। इसके बाद वर्चस्व की इस जंग में सीढ़ियां लगाकर बैनर फाड़ने का सिलसिला शुरू हुआ। पोस्टर फाड़े जाने की इस छोटी सी चिंगारी ने देखते ही देखते एक ऐसी आग का रूप ले लिया, जिसने पूरे इलाके के सुरक्षा तंत्र और कानून व्यवस्था को हिलाकर रख दिया। दो पक्षों के समर्थक आमने-सामने आ गए, लाठियां चलीं, ईंट-पत्थरों की बौछार हुई और देखते ही देखते वह परिसर कुरुक्षेत्र के मैदान में तब्दील हो गया जहां हजारों छात्र अपने सुनहरे कल का सपना बुनने आते हैं।

घटनाक्रम के बाद सोशल मीडिया के महारथी और लाखों युवाओं के आदर्श बने शिक्षक फैजल खान उर्फ खान सर ने मीडिया के सामने आकर बेहद सनसनीखेज दावे किए। उन्होंने कैमरे के सामने पूरी गंभीरता से कहा कि उनके कोचिंग सेंटर पर हमला हुआ

है और उन्होंने अपनी आंखों से एक-दो नहीं बल्कि आठ से दस राउंड फायरिंग होते हुए देखी है। एक शिक्षक के मुंह से इस तरह की बात सुनकर पूरे राज्य के अभिभावकों और छात्रों में दहशत फैल गई। लेकिन जब कानून के रक्षकों ने इस मामले की तहकीकात शुरू की और घटनास्थल के साथ-साथ आसपास की गलियों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की, तो कहानी पूरी तरह पलट गई। पुलिस की शुरुआती जांच में दूर-दूर तक गोली चलने या किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा फायरिंग करने का कोई सबूत नहीं मिला। इसके उलट, सीसीटीवी में यह साफ दिखाई दिया कि खान सर के अपने ही सुरक्षा गार्ड हवा में हथियार लहराते और हमला करते नजर आ रहे थे। इस खुलासे के बाद पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए उन दोनों गार्डों को हिरासत में ले लिया और खुद खान सर को भी देर रात लंबी पूछताछ का सामना करना पड़ा। हैरानी की बात यह है कि जो शिक्षक रात में अपनी आंखों से गोलियां बरसने की गवाही दे रहे थे, सुबह होते-होते उनके सुर पूरी तरह बदल गए। वे अपने ही दावों से यू-टर्न लेते हुए यह कहने लगे कि अब पुलिस की जांच के बाद ही असलियत का पता चलेगा या फिर जब उनका घायल गार्ड ठीक होकर आएगा तब वह सच बताएगा। एक शिक्षक के बयानों में ऐसा विरोधाभास और तथ्यों को लेकर इतनी बड़ी लापरवाही बेहद चिंताजनक है। पूर्व राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कभी कहा था कि शिक्षक वह नहीं है जो केवल दिमाग में तथ्य ठूंसे, बल्कि वह है जो छात्र को सत्य की खोज के लिए तैयार करे। लेकिन आज के डिजिटल युग के इन तथाकथित 'गुरुओं' के तथ्य और सत्य दोनों ही गंभीर संदेह के घेरे में आ गए हैं।

इस विवाद का दूसरा पहलू और भी भयावह है। फैजल खान की शिकायत पर पुलिस ने ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रौशन आनंद को फौरन गिरफ्तार कर लिया। रौशन आनंद बिहार के एक बेहद साधारण किसान परिवार से आते हैं और उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत के दम पर इस क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई थी। उनकी गिरफ्तारी के बाद पटना की सड़कों पर एक नया ड्रामा शुरू हो गया। रौशन आनंद के समर्थन में हजारों की संख्या में छात्र सड़कों पर उतर आए और उग्र प्रदर्शन करने लगे। छात्रों का आरोप है कि खान सर ने राजनीतिक और व्यावसायिक रंजिश के तहत उनके गुरु पर झूठे आरोप लगाए हैं। सोचिए, जिन नौजवानों को इस वक्त कमरों में बंद होकर परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए थी, वे अपने-अपने पसंदीदा शिक्षकों के अंधविश्वास में सड़कों पर नारेबाजी कर रहे हैं और कानून को हाथ में लेने पर आमादा हैं। यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि आज के ये मशहूर यूट्यूब शिक्षक बच्चों को बेहतर नागरिक बनाने के बजाय अपने निजी स्वार्थ के लिए एक 'ट्रोल आर्मी' और हिंसक भीड़ में तब्दील कर रहे हैं। यह पहली बार नहीं है जब पटना की धरती पर कोचिंग संचालकों के कारण इस तरह का उपद्रव हुआ हो। इतिहास गवाह है कि साल 2019 में भी इसी मुसल्लहपुर इलाके में वर्चस्व को लेकर बमबाजी की घटना हुई थी। उस वक्त भी दोनों तरफ से मुकदमे दर्ज हुए थे, लेकिन ठोस कार्रवाई न होने के कारण इन दुकानदारों के हौसले बुलंद रहे। इस साल भी सरस्वती पूजा के मौके पर इसी तरह के हिंसक टकराव की खबरें आई थीं। अगर समय रहते पुलिस और प्रशासन ने इन व्यावसायिक संस्थानों पर नकेल कसी होती, तो आज यह नौबत नहीं आती। सवाल यह उठता है कि क्या हम अपने बच्चों को इन कोचिंग सेंटरों में इसलिए मोटी फीस देकर

भेजते हैं कि वे वहां से लहूलुहान होकर लौटें? अगर यह पत्थरबाजी दिन के वक्त होती, जब हजारों छात्र क्लास में मौजूद होते हैं, और किसी मासूम के सिर पर वह पत्थर लग जाता, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता? क्या ये शिक्षक अपनी अकूत संपत्ति और टीआरपी के नशे में किसी बच्चे की जान की कीमत चुका पाते?

इस पूरे खेल का सबसे कड़वा सच आर्थिक हितों का टकराव है। अक्सर यह प्रचारित किया जाता है कि कुछ शिक्षक बहुत कम पैसे में समाज सेवा कर रहे हैं। लेकिन जब दोनों संस्थानों के फीस स्ट्रक्चर की तुलना की जाती है, तो असलियत कुछ और ही निकलती है। जहां दो साल के ऑफलाइन कोर्स के लिए एक संस्थान किस्तों में दस हजार रुपये लेता है, वहीं दूसरा संस्थान एकमुश्त बीस हजार रुपये वसूलता है। ऑनलाइन कोर्सेस में भी फीस का अंतर जमीन-आसमान का है। जाहिर है, यह पूरी लड़ाई किसी शिक्षा सुधार या गरीब बच्चों के कल्याण के लिए नहीं है, बल्कि यह अधिक से अधिक छात्रों को अपनी ओर खींचने और करोड़ों रुपये का टर्नओवर खड़ा करने की कॉरपोरेट जंग है।

अब इस मामले ने पूरी तरह से कानूनी मोड़ ले लिया है। पटना पुलिस ने कदमकुआं थाने में खान ग्लोबल स्टडीज के संचालक फैजल खान के खिलाफ आर्म्स एक्ट और भ्रामक जानकारी फैलाने की संगीन धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। हालांकि, एफआईआर दर्ज होने के बाद खान सर ने बड़ी ही चतुराई से बयान दिया कि उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं है और उनके गार्डों ने जो कुछ भी किया, वह आत्मरक्षा में किया था। वे कानून का सम्मान करने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन अतीत में उनका रिकॉर्ड कुछ और ही बयां करता है। चाहे वह रेलवे परीक्षा के दौरान छात्रों को उग्र आंदोलन के लिए भड़काना हो, बीपीएससी परीक्षा के समय अभद्र भाषा का प्रयोग करना हो या फिर हाल ही में नीट पेपर लीक मामले में एनकाउंटर जैसे उत्तेजक बयान देकर माहौल खराब करना हो, विवादों से उनका पुराना नाता रहा है। जब कोई मुख्यधारा का माध्यम इन कोचिंग संस्थानों की इस खतरनाक कार्यप्रणाली और उनके गिरते स्तर पर सवाल उठाता है, तो ये यूट्यूब शिक्षक अपने लाखों फॉलोअर्स का इस्तेमाल करके डिजिटल लिंचिंग शुरू कर देते हैं। सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स की एक फौज छोड़ दी जाती है, जो मर्यादा की सारी सीमाएं लांघकर गाली-गलौज पर उतर आती है। इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम जैसी विदेशी एनजीओ की रैंकिंग का हवाला देकर देश की पत्रकारिता को बदनाम करने की कोशिश की जाती है, जबकि वे खुद यह भूल जाते हैं कि वे शिक्षा के नाम पर कौन सा अनैतिक धंधा चला रहे हैं। लेकिन सच को दबाया नहीं जा सकता। पटना की इस घटना ने साफ कर दिया है कि शिक्षा के इन आधुनिक कुरुक्षेत्रों में अब ज्ञान की नहीं, बल्कि बंदूकों और पत्थरों की भाषा बोली जा रही है। सरकार और प्रशासन को अब बिना किसी दबाव के इन कोचिंग माफियाओं के खिलाफ ऐसी सख्त कानूनी कार्रवाई करनी होगी, जो मिसाल बन सके, ताकि बिहार का कोई और होनहार छात्र इस गंदे व्यावसायिक खेल की बलि न चढ़े।●

● **अमित कुमार**

16 जून को फेसबुक लाइव, 17 जून को एनकाउंटर में मौत! बीच में कुछ घंटे और अनगिनत सवाल। यह कहानी है 28 साल के बिहार के भरत भूषण तिवारी की। वह भरत भूषण तिवारी जिसके इर्द-गिर्द फिलहाल बिहार में सवालों का तूफान खड़ा है। बिहार में आज हर गांव, हर चौपाल और हर घर में एक ही सवाल पूछा जा रहा कि अगर कोई लड़का सिस्टम से तंग आकर गांव की टूटी सड़क, बाढ़ से हाहाकार को देखकर हाथ में हथियार उठा ले तो क्या पुलिस उसको तब भी ठोंक देगी जब वह सरेंडर की बात कर रहा हो? सरेंडर पर एनकाउंटर क्या जायज है? क्योंकि जिस भरत तिवारी को बिहार पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया वह B.Sc का छात्र है। उसका कोई अपराधिक रिकॉड नहीं निकला है। किसी गैंग का वह हिस्सा नहीं था। हिस्ट्री सिटर बदमाश नहीं था। गांव की सड़क, बाढ़ और बिजली के लिए आवाज उठा रहा था। हां, 16 जून को जरूर वह लाइव आया। पिस्टल दिखाई। एक विडियो और वायरल हो रहा है। जहां पर पुलिस वाले घर के सामने आए हैं। वहां भी वो पिस्टल दिखा रहा है। वह अपने आप को भगत सिंह से जोड़ते हुए कह रहा था कि यह लड़ाई मैं अकेले लड़ रहा हूं। लेकिन इस लाइव के खत्म होने के बाद पुलिस एसटीएफ पहुंचती है और कुछ ही घंटों में वह जिंदा नहीं बचता।

यहीं से सवाल उठता है कि जिस देश में नक्सलियों को भी सरेंडर करवाया जाता है, वही पर बिहार में एक लड़के को पिस्टल दिखाने के लिए क्या एनकाउंटर में मार गिराया जाता है? भरत तिवारी की कहानी इसलिए परेशान करती है क्योंकि अगर किसी का लड़का भी किसी गलत रास्ते पर जा रहा हो और हथियारों के जरिए एक सोच को मुकम्मल करना चाहता हो तो क्या उसको मार डाला जाएगा? हालांकि पुलिस का तर्क अलग है। पुलिस कहती है कि भरत ने 8, 10 राउंड फायरिंग की इसलिए हमने गोली चलायी। मुख्यमंत्री कहते हैं कि वह मानसिक तौर पर विक्षिप्त था। हम उसे अस्पताल भिजवाने वाले थे और मां कहती है कि मेरा बेटा पिस्टल सौंपकर सरेंडर कर रहा था। परिवार कहता है कि निहत्थे लड़के पर गोलियां दाग दी गई। जनता के मन में सवाल है कि सच कौन बोल रहा है? सच क्या है? अगर कार्रवाई सही थी तो फिर शाहपुर थानेदार समेत चार पुलिसकर्मियों को सस्पेंड क्यों किया? अगर वह गोली चला रहा था तो पुलिस की कार्यशैली सही थी। ऐसे में पुलिसकर्मियों को सस्पेंड क्यों? और अगर सस्पेंड किया तो क्या जो परिवार आरोप लगा रहा है वह सही है? एक बेकसूर को क्यों एनकाउंटर में मार गिराया गया? सीएम सम्राट चौधरी जिन्होंने पहले कहा था कि डीजीपी ने बताया है कि वह मानसिक तौर पर थोड़ा डिस्टर्ब है। उसे अस्पताल भेजना है। पुलिस को हथियार दिखाने वाले विडियो से वह भी परेशान थे। क्या वह इतने बेखबर थे कि यह अपराधी था? और अगर वह पहले मानसिक विक्षिप्त था तो बाद में अपराधी कैसे निकला, जिसे गोली मार दी गई। क्या पुलिस वालों ने, डीजीपी ने मुख्यमंत्री को गलत जानकारी दी? और अगर यह एनकाउंटर सही है तो फिर सम्राट चौधरी के अपने मंत्री मिथिलेश तिवारी यह क्यों कह रहे हैं कि एनकाउंटर गलत है? इसको उसके आपराधिक इतिहास का पता लगाना चाहिए था और अगर एनकाउंटर जरूरी भी था तो हाफ एनकाउंटर करना चाहिए। बड़े-बड़े आतंकवादियों को भी पहले पैर में गोली मारी जाती है। अपराधियों को पैर में गोली मारी जाती है। यहां चार से पांच गोली मारकर एक व्यक्ति को मार डालने के पीछे पुलिस की सोच क्या थी? यह सारे सवाल वह हैं जिनको लेकर आज देश बंटा हुआ है। कुछ लोग जाति के नाम पर, कुछ लोग एक मासूम की मौत के नाम पर, कुछ बिहार पुलिस के इस रवैये को लेकर। लेकिन आज इस दर्दनाक घटना को समझना सोचना जरूरी है।

❖ **भरत तिवारी एनकाउंटर केश में आज हम पांच सवाल पूछना चाहेंगे :-**

☞ क्या बिहार पुलिस इतनी सक्षम नहीं थी? कि एक आदमी का हथियार छीनवा कर उसे सरेंडर करवा लेती। क्या एनकाउंटर करना आखिरी नियम था?

☞ भरत तिवारी केश में जो विडियो आ रहा है, जहां पर पिस्टल वो फेंक देता है और कहता है सरेंडर और जो परिवार भी कह रहा है, मां कह रही है कि सरेंडर किया था तो सरेंडर करने के बाद उसको गोली क्यों मारी गई?

☞ अगर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी

यह कहते हैं कि मैं हैरान था मेरी पुलिस ने एक आदमी को पकड़ा क्यों नहीं जब वो पिस्टल दिखा रहा था और फिर कहा कि डीजीपी हमसे कहे कि वो मेंटली डिस्टर्ब इंसान था, तो वही सम्राट चौधरी जिनके नीचे बिहार की पूरी पुलिस है। उनकी पुलिस यह थ्योरी क्यों दे रही है कि 10-12 गोली चलायी, हमने मार दिया। या तो डीजीपी ने मुख्यमंत्री को भी खूब बनाया या मुख्यमंत्री ने गलत स्टेटमेंट दिया।

☞ अगर भरत तिवारी ने पुलिस वालों पर गोलियां चलाई तो फिर पुलिस वालों को सस्पेंड क्यों किया? अगर पुलिस वाले निर्दोष हैं तो पुलिस वालों को सस्पेंड क्यों किया गया और क्यों न समझा जाए कि सस्पेंशन जो है वो शक बढ़ा रहा है।

☞ अगर वह बीमार था, मेंटली डिस्टर्ब था तो जो देश का कानून कहता है कि अस्पताल पहुंचाना चाहिए, ईश्वर के पास नहीं। वो नीति क्यों नहीं अपनाई गई?

☞ भारत का कानून कहता है कि एनकाउंटर आखिरी चारा है, तो जिस देश में अलगाववादियों को, आतंकवादियों को, नक्सलियों को सरेंडर करने का मौका दिया जाता है, वहां पर इस लड़के को सरेंडर करने के बाद भी मौका क्यों नहीं दिया गया?

भरत तिवारी कौन था? तो जितना सोशल मीडिया के जरिए हमने जाना। भरत तिवारी वो लड़का है, जो गांव में लोगों की मदद कर रहा था। जो बागेश्वर बाबा का भक्त था। हिंदू राष्ट्र की स्थापना करने की बात को लेकर मध्य प्रदेश तक पैदल गया था। कई जगहों पर गरीबों की मदद करने वाले विडियो भी वायरल हो रहे हैं। भगत सिंह से वह बड़ा इंस्पायर्ड था। उसकी नजर में क्रांति लाना जरूरी था। कुछ विडियो ऐसे आए हैं जहां पर वह पिस्टल का इस्तेमाल करते दिखाई पड़ रहे हैं। अगर पिता की नजरिए से देखें तो भरत तिवारी वह लड़का है जो गांव में इलेक्ट्रीक बाइक शो-रूम खोलने की तैयारी कर रहा था। लाइसेंस की अर्जी दी थी, यानी पिता की नजर में वह भविष्य के सपने बुन रहा था। यह परिवार कह रहा है। लेकिन एक थ्योरी और आ रही है कि उसका दिमागी संतुलन पूरी तरह सही नहीं था। जो बात डीजीपी ने भी कही थी और यही बात परिवार की तरफ से भी आई है कि वह अंदर-अंदर थोड़ा परेशान व टूटा हुआ था। पुलिस ने भी मानसिक रूप से उसे परेशान बताया है। अब एक पढ़ा लिखा लड़का, सपने देखने वाला लड़का हाथ में बंदूक उठाता है और उस बंदूक उठाने के लिए उसकी जान चली जाती है। यही सवाल उठता है कि भाई ऐसा क्यों हुआ? और यह एनकाउंटर ही क्यों हुआ? 17 जून को करीब 9:00 बजे शाहपुर पुलिस और एसटीएफ की टीम जो है भोजपुर जिले के शाहपुर अंतगर्त बिलौटी गांव पहुंचती है। ठीक यहीं से दो अलग-अलग कहानियां शुरू होती हैं। पुलिस कहती है कि भरत ने टीम को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। चेतावनी के बाद नहीं रुका। इसलिए जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने गोली मार दी। कुछ गोली पैर में लगी। परिवार कह रहा है कि गोली शायद पेट में या जांग में लग गई थी, जिससे उसकी मौत हो गई। हालांकि घायल भरत को पहले शाहपुर, फिर आरा और फिर पटना के पीएमसीएच ले जाया गया। जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाती है। इस मामले को लेकर भरत के परिजनों ने एनकाउंटर को पूरी तरह फर्जी बताया और पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। मृतक की मां सुमन

देवी और उसके छोटे भाई चंदन तिवारी ने इस मामले को लेकर कहा था कि सुबह पुलिस उनके घर में जबरन घुस आई थी। पूरे परिवार को धमकी दी थी। भरत की मां ने कहा था कि मेरा लड़का जवनिया गांव में बाढ़ पीड़ितों को फिर से बसाए जाने की मांग कर रहा था। उसकी बात न तो सरकार ने सुनी और न ही यहां एसडीएम ने कोई सुनवाई की। इसके बाद उसने हथियार उठा लिया था। जब भरत घर से बाहर गया था तो पुलिस ने उसे घेर लिया। जबकि उसने हथियार फेंककर सरेंडर भी कर दिया था, इसके बावजूद पुलिस ने जानबूझकर गोली मार दी। हम वहां गए तो महिला पुलिसकर्मियों ने हमें खदेड़ दिया। इस घटना को लेकर भरत की मां और भाई से पूछा गया कि आपके बेटे ने पुलिस पर फायरिंग की थी, पुलिस भरत को मानसिक रूप से भी विक्षिप्त बता रही थी, तो इस पर परिवार वालों ने कहा था कि भरत बिल्कुल ठीक था। उसे बदनाम किया जा रहा था। वह बीएससी पास था, नौकरी की तैयारी कर रहा था। जब नौकरी नहीं लगी तो समाजसेवा में लग गया था। उसे धोखे से पुलिस ने मार दिया। वही भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में अब पुलिस ने तीन अलग-अलग एफआईआर दर्ज की हैं। इनमें मृतक भरत तिवारी, उसके पिता और भाई को भी शामिल किया गया है। एनकाउंटर के विरोध में सड़क जाम करने वाले लोगों पर भी केस हुआ है। परिजन पुलिस पर फर्जी एनकाउंटर का आरोप लगाते हुए पुलिसकर्मियों पर एक्शन की मांग कर रहे हैं। पुलिस द्वारा दर्ज पहली एफआईआर में भरत भूषण तिवारी, उसके पिता काशीनाथ तिवारी और भाई चंदन तिवारी आरोपी हैं। शाहपुर थानाध्यक्ष राजेश मालाकार के एप्लिकेशन पर ये केस हुआ है। इसमें अवैध हथियार रखने, पुलिस पर फायरिंग करने और सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का आरोप है। पुलिस का कहना है कि सूचना के बाद जब टीम भरत के घर पहुंची तो उसने पुलिस पर फायरिंग की। कई राउंड गोलियां चलाईं। उसके पिता और भाई को भी हथियार की जानकारी थी, इसलिए उन्हें आरोपी बनाया गया है। दूसरी एफआईआर कथित मुठभेड़ को लेकर दर्ज की गई है। वहीं तीसरी एफआईआर में भरत तिवारी की मौत के बाद हुए विरोध प्रदर्शन और एनएच-922 जाम करने का मामला है। उसकी मौत की खबर सुनते ही गांव में गुस्सा फूट जाता है और फिलहाल उसकी मौत के बाद बड़ी संख्या में उसके गांव में लोग उसे समर्थन देने जा रहे हैं। उनकी मां, उनकी बहन मुख्यमंत्री से लेकर पुलिस पर जबरदस्त तरीके से आक्रोशित है। गुस्से में कई भारी भरकम शब्दों का वह इस्तेमाल भी कर रही है। मां सड़क के बीचो-बीच अपने जवान बेटे को लेकर रोती नजर आई। बहुत सारे लोग भी उनकी मां के पास जाकर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ दर्द बांटने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल हर आंख में एक सवाल है कि हुआ क्या था? ऐसा क्या हुआ था कि जिस देश में नक्सलियों को, जिस कश्मीर में आतंकवादियों को सरेंडर करवा लेते हैं। वहां पर बिहार में एक आदमी को बंदूक दिखाने के लिए एनकाउंटर में मार डालते हैं। यह मामला बड़ा गर्माया हुआ है और जब यह मामला गर्माया है तो थानेदार समेत चार पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया है। एस.पी. ने जांच के आदेश दिए हैं। पुलिस कह

रही है सब नियम के हिसाब से हुआ है, लेकिन पुलिस सस्पेंड भी कर रही है और यहीं से मामला जो है वो और गड़बड़ाता है कि कहीं तो झूठ है पुलिस का।

पुलिस ने थ्योरी तो वही दी कि लड़के ने पिस्टल लहराई, फायरिंग की, हमने गोली मार दी। एक विडियो आया, जो उसका खुद का लाइव विडियो है। जिसमें वह हाथ में पिस्टल लिए शुरू में चेतावनी दे रहा है। लेकिन एक और विडियो है जिसमें वह कह रहा है कि लो सरेंडरकर दे रहे हैं और पिस्टल फेंकते नजर आ रहा है और वहीं वो थ्योरी आ रही है कि हथियार फेंकने के बाद एनकाउंटर हो गया। यानी पुलिस पर सीधा आरोप है कि फर्जी एनकाउंटर है। पुलिस फर्जी एनकाउंटर से मना कर रही है। कह रही है ड्यूटी के दौरान मजबूरी में किया गया था। मां कह रही है कि भरत जो है पिस्टल छोड़कर हाथ ऊपर करके सरेंडर कर चुका था। सोशल मीडिया पर कई विडियो भी ऐसे आ रहे हैं। उसके बाद कहा जा रहा है गोली मारा गया है। परिवार भी कह रहा है बार-बार। उसके चाहने वाले अब कह रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री मान रहे थे वो दिमागी तौर पर बीमार था, तो फिर गोली से छलनी करना जरूरी था या अस्पताल भेजना जरूरी था। अब ये दो बातें आ रही हैं। एक तरफ आत्मरक्षा, दूसरी तरफ सरेंडर के बाद गोली मार देना। अब ये दोनों बातें सच तो नहीं हो सकती। एक आदमी तो झूठ बोल रहा है क्योंकि पुलिस ने प्रथम दृष्टया यह कहा कि एनकाउंटर सही हुआ और फिर चार-पांच आदमियों को सस्पेंड कर दिया तो शक जो है वो पुलिस की तरफ ज्यादा बढ़ रहा है कि थानेदार समेत चार-पांच आदमी सस्पेंड क्यों? हालांकि अभी किसी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। लेकिन फिर वही दो कहानी है। एक विडियो जिसमें भरत का पिस्टल लहराते सबूत है। लेकिन दूसरा सरेंडर वाला विडियो भी है। जहां वो कह रहा है कि लो ठीक है सरेंडर कर दे रहे हैं। वहीं से यह तय हो रहा है कि जब सरेंडर करने की बात आ गई तो क्या उसके बाद गोली चलाई उसने? क्योंकि वो वाला विडियो नहीं है जहां वो पुलिस पर ताबड़तोड़ गोली चला रहा हो और पुलिस में कोई चोटल-वोटल भी नहीं हुआ है। हर बार की तरह इस तरह की कहानी सभी जानते हैं कि देश में कितना एनकाउंटर फर्जी होता है और यही सवाल है कि क्या उसको मार दिया गया और मार दिया गया तो क्या पुलिस इतना बौरा गई है? हालांकि ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करना पड़ेगा। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताएगी कि जो गोली पुलिस वालों ने चलाई वो कितनी दूर से चलाई। गोली कहां लगी? फॉरेंसिक जांच बताएगी। फायरिंग दूरी कितनी थी? गवाहों के बयान, सीसीटीवी, मोबाइल फूटेज ये सब आएंगे और

अगर ये सब इशारा करते हैं कि भरत सरेंडर कर चुका था तो या तो आत्मरक्षा नहीं, हत्या की कहानी बन जाएगी कि पुलिस वालों ने हत्या कर दी।

अब सवाल यह है कि क्या यह रिपोर्ट ईमानदारी से बाहर आएगी? क्या बिहार सरकार इसको ईमानदारी से लाने देगी? क्योंकि भरत तिवारी पर तो सीएम और पुलिस की कहानी अलग-अलग है और यहीं सबका दिमाग खराब हो रहा है। सरकार के अंदर की दो कहानी है। पुलिस एनकाउंटर कह रही है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जिंदा गिरफ्तार करके अस्पताल भेजना था। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमको डीजीपी बताए जहां हम पिस्टल वाला विडियो देखें कि हम सकपका गए। कैसे पुलिस पर किया है। फिर पता लगा कि अरे वो तो मेंटली डिस्टर्ब है और मुख्यमंत्री क्योंकि राज्य के गृह मंत्री भी हैं। यानी पुलिस उन्हीं नीचे काम कर रही है। तो अगर उन्हीं को नहीं पता और उन्हीं को बेवकूफ बनाया गया तो फिर ये कॉम्युनिकेशन गैप था या ऑन द स्पॉट जो पुलिसकर्मी थे उन्होंने फैसला लेकर गोली चला दी। अगर सही किया था तो फिर सस्पेंड क्यों किया गया? क्योंकि बेकसूर को सजा तो नहीं होती। पुलिस वालों पर उसने गोली चलाई। अगर वो अपराधी था और पुलिस वालों को मारने की कोशिश कर रहा था तो फिर अपनी जान बचाने वाले पुलिसकर्मियों को सस्पेंड तो करना नहीं था। उन्हें बेकसूरों को सजा क्यों दी गई? लेकिन अगर उसने गोली नहीं चलाई और पुलिस वाले बेकसूर नहीं थे और सजा सही दी गई तो सस्पेंशन अपने आप में चीख-चीखकर कह रहा है कि गड़बड़ है।

देखिए कानून को भी समझना पड़ेगा। भरत तिवारी केश में जो एनकाउंटर हुआ है उसमें कानून क्या कहता है समझते हैं। एनकाउंटर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का नियम साफ है। हर एनकाउंटर पर एफआईआर, निष्पक्ष जांच, मजिस्ट्रेट से जांच और मानवाधिकार आयोग को खबर देना जरूरी है। कोर्ट बार-बार कहता है कि एनकाउंटर पुलिस का आखिरी रास्ता है, पहला नहीं। और अगर जांच में साबित हो जाए कि किसी सरेंडर कर चुके आदमी को मारा गया तो ये एनकाउंटर नहीं हत्या का मामला होता है। नए कानून बीएनएस की धारा 103 जो पहले के 302 के बराबर है। इसमें उम्रकैद से लेकर फांसी तक की सजा है। नौकरी भी जाएगी पुलिस वालों की। अगर कोई दिमागी रूप से आदमी बीमार है तो कानून कहता है उसका इलाज हो, उस पर गोली ना चलाया जाए। मतलब अगर पुलिस सही है तो जांच में बच निकलेगी। लेकिन अगर पुलिस ने गलती की है या वो मानसिक तौर पर डिस्टर्ब था तो पुलिस की वर्दी बचा नहीं पाएगी। ये बहुत बड़ी बात है। आज इसीलिए शायद भरत तिवारी को लेकर बहुत सारे लोग सामने आए हैं। भरत तिवारी क्या पूरा सही था? नहीं। पिस्टल निकालना, पुलिस पर लहराना, लाइव आना। लेकिन सवाल यह है कि इतना बड़ा बिहार पुलिस क्या एक लड़के को सरेंडर नहीं करवा पाई? क्या एनकाउंटर कर देना ही आखिरी रास्ता था? और अब सरकार के जब अपने मंत्री सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मारने की बजाय घायल पकड़ा सकता था, तो आप समझ लीजिए कि अंदर कहानी क्या होगी। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। क्या हमारी पुलिस के पास कोई ऑपशन नहीं था उसे गोली मारने के अलावा? और आज ये सवाल बहुत लोगों के मन में है कि अगर आदमी आक्रोशित होकर समाज से, कानून से, मान लो कोई ऐसा कदम उठा ले तो सीधे जान से मार दोगे। और सबसे जरूरी बात है कि हीरो या विलेन से पहले ठीक है आप लोग भी थोड़ा धैर्य रखिएगा। एक इंसान की जान गई है, एक मां की गोद सूनी हुई है। इंसाफ का रास्ता सीधा है। एक आजाद, निष्पक्ष जांच जिसकी निगरानी अदालत करे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जनता के सामने आए और जो भी दोषी निकले, चाहे वो वर्दी वाला हो, कुर्सी वाला उस पर कार्रवाई हो। भरत तिवारी के फर्जी एनकाउंटर पर बिहार पुलिस और मुख्यमंत्री की फजीहत होने के बाद इस मामले को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि 'बिलौटी गांव में बुधवार को हुई मुठभेड़ की एक रिटायर्ड हाई कोर्ट जज की देखरेख में न्यायिक जांच कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि न्यायिक जांच से घटना के सभी पहलुओं की पूरी निष्पक्षता से जांच होगी।' अब देखना है कि भीषण बाढ़ में गंगा की गोद में समाया जवनिया गांव के विस्थापितों के मददगार और सरकार तथा प्रशासन से हक हुकूक की मांग को लेकर जान गंवा चुके भरत तिवारी को इंसाफ मिलता है या फिर ये मामला यू ही रफा-दफा होकर रह जायेगा। भरत भूषण के फर्जी एनकाउंटर की खबर को विस्तार से केवल सच पत्रिका अपने अगले अंक में प्रकाशित करेगी।●

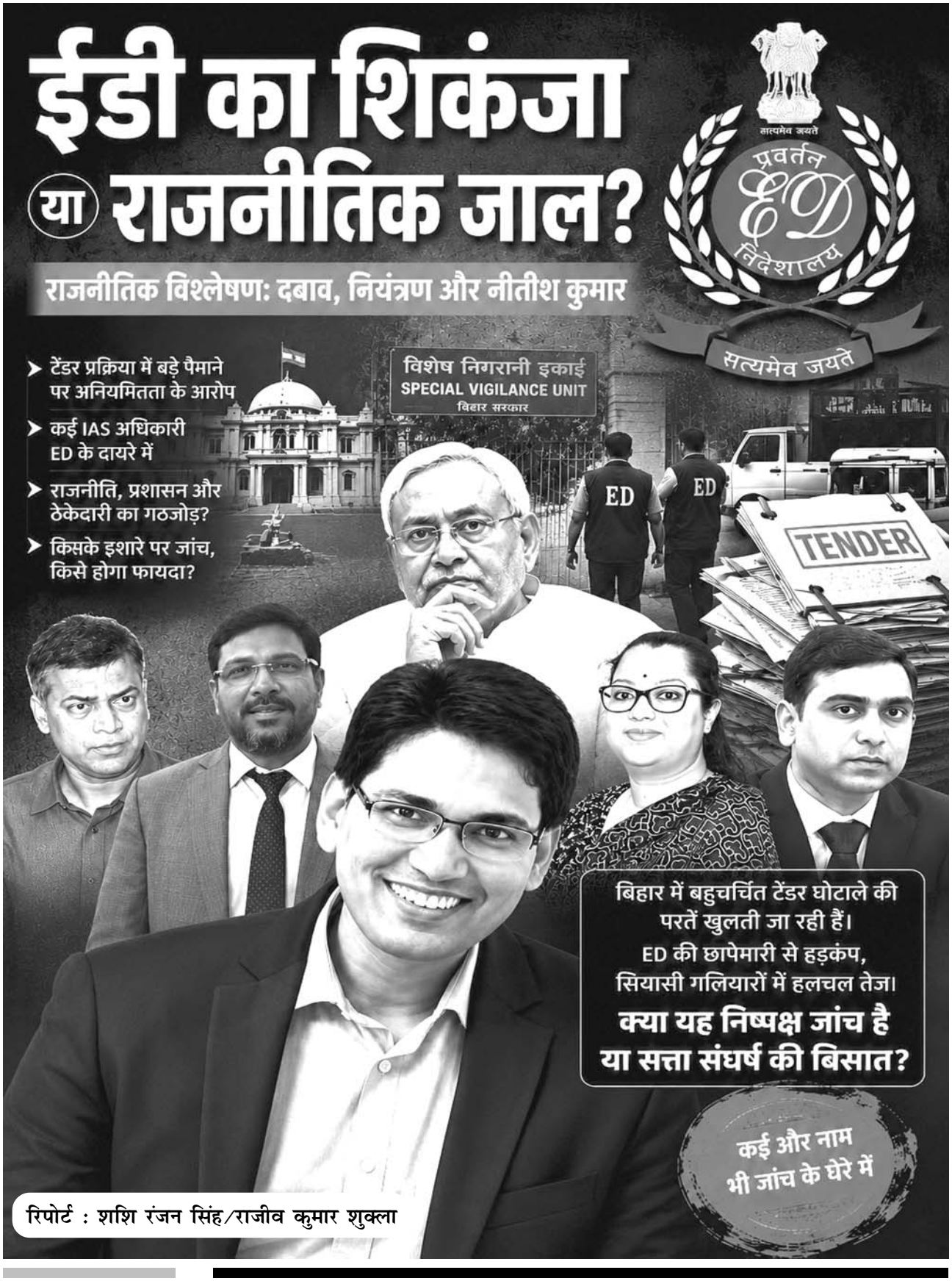

रिपोर्ट : शशि रंजन सिंह/राजीव कुमार शुक्ला

रिशु श्री

संजीव हंस

संतोष मल

केस नंबर-ECIR/PTZO/13/2025 जो ED द्वारा रिशु श्री पर किया गया है और दूसरा केस नंबर-ECIR/PTZO/04/2024 जो संजीव हंस से संबंधित है। ED को रिशु श्री मामले का पता चला कि वस्तुतः केस नंबर-ECIR/PTZO/04/2024 का मामला पूर्णतया से राजनीति से प्रेरित मामला है। संजीव हंस बिजली विभाग में रहते हुए अडानी पावर को भागलपुर पीरपैंती पावर प्लांट का प्रोजेक्ट रोकने के कारण संजीव हंस पर ED जांच शुरू हुआ और नतीजा सबको पता है उसके बाद भागलपुर में पीरपैंती प्लांट लग गया, वह भी बिहार सरकार 1 रू० में जमीन आवंटन कर दिया। हम संजीव हंस के भ्रष्टाचार पर से इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन यह वस्तुतः अडानी पावर से जुड़ा मामला है। इस तरह रिशु श्री का मामला पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जुड़ा है। मुख्यमंत्री सचिवालय को चलाने वाले दो बड़े अधिकारी दीपक कुमार, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव और भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी आनंद किशोर से जुड़ा हुआ है। आपको बताते चले कि नीतीश कुमार पर अपनी पकड़ बनाने के लिए भाजपा सरकार आनंद किशोर और दीपक कुमार के माध्यम से नीतीश कुमार के कॉलर तक जाना चाह रही है। रिशु श्री का मामला 2025 का है, लेकिन सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनते ही इसमें तेजी आ गया। ED द्वारा जो मामला बनाया है, वह स्पष्ट रूप से राजनीतिक स्वार्थ ज्यादा और भ्रष्टाचार पर वार कम लगता है। जैसे कि बीएमएसआईसीएल में रिशु श्री के निविदा को लेकर प्रबंध निदेशक पर उंगली उठाया गया, जबकि रिशु श्री ने BMSICL प्रोजेक्ट 6.27% से लेकर 20.20% नीचे दरों पर था, यही नहीं प्रीफेब अस्पताल की निविदा में उसकी कंपनी रिलायबल इंटरप्राइजेज को 6 निविदा में L1 घोषित किया गया, लेकिन सिर्फ तीन निविदा में ही BMSICL उसके साथ एग्रीमेंट किया। क्योंकि रिशु श्री के कंपनी को उतना कार्य का अनुभव क्रेडेंशियल नहीं था। दरभंगा में प्रीफेब अस्पताल की निविदा में 6.27% कम पर तो एसकेएमसीएस मुजफ्फरपुर सहित 6 निविदा में 20.20% कम पर L1 घोषित किया गया। ED का पूरा रिपोर्ट ही फर्जी है। अगर किसी कंपनी के द्वारा निविदा में बोली न्यूनतम है तो L1 घोषित करने का नियम BFR और GFR में मौजूद मौजूद है। अगर BMSICL के प्रबंध निदेशक को मैनेज करना होता तो निविदा की दर कम न होकर अधिक दरों पर होती। यही नहीं ED का पूरा रिपोर्ट आम का दाम, एक्सेल शीट, विदेशी मुद्रा, होटल में इंतजाम जैसी बातों पर टिका हुआ है, जिसका ट्रायल कोर्ट में कहीं भी कोई मतलब नहीं रहेगा और हर आदमी इसमें निर्दोष साबित होगा। आईएएस अधिकारी संतोष मल का कहना है कि रिशु श्री ने मेरे नाम से किसी दूसरे का नंबर सेव कर लिया था। उसे और मुझे बदनाम कर दिया गया। इस तरह से योगेश सागर पर भी लगे आरोप भी तथ्य के आधार पर गलत साबित हो रहे हैं।

दीपक कुमार और आनंद किशोर ये दोनों नाम नीतीश कुमार

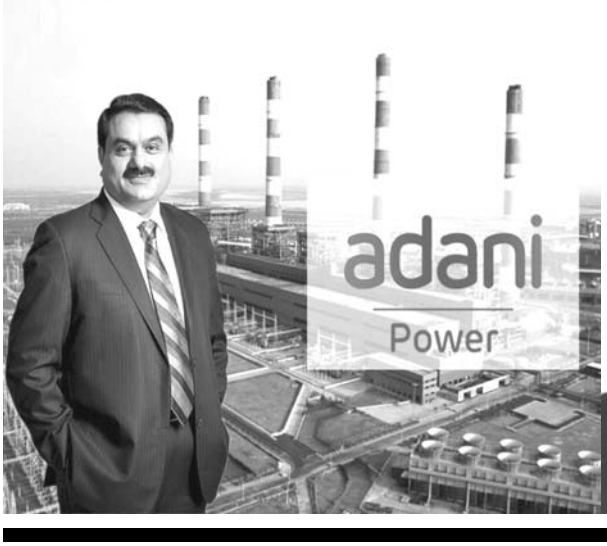

दीपक कुमार

आनंद किशोर

नीतीश कुमार

के शासनकाल में मुख्यमंत्री सचिवालय की धुरी रहे। रिशु श्री के मामले में इन नामों का जुड़ना और फिर भी सीधी कार्रवाई का अभाव, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है। राजनीतिक विश्लेषकों का एक वर्ग तर्क देता है कि छोटे स्तर के अधिकारियों और ठेकेदारों को फंसाकर, बड़े नामों पर कार्रवाई न करके, एक ऐसी स्थिति बनाई जा सकती है जहाँ नीतीश कुमार को हमेशा 'ट्रिगर' का डर रहे।

वर्ष 2024 की शुरुआत में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने केस संख्या-ECIR/PTZO/04/2024 के तहत IAS अधिकारी संजीव हंस के विरुद्ध जांच प्रारंभ की। संजीव हंस बिहार के ऊर्जा विभाग में प्रधान सचिव के पद पर कार्यरत रहे थे। इस जांच की परिधि में बाद में एक नया मामला जुड़ा, केस संख्या ECIR/PTZO/13/2025 जो कारोबारी रिशु श्री से संबंधित है। ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि रिशु श्री का मामला स्वतंत्र रूप से शुरू नहीं हुआ, बल्कि संजीव हंस की जांच के दौरान उभरा। इस कड़ी की जांच आवश्यक है कि क्या यह महज संयोग है या फिर एक बड़े राजनीतिक-प्रशासनिक परिदृश्य का हिस्सा।

बिहार की राजनीति और नौकरशाही में पिछले दो वर्षों के दौरान दो प्रवर्तन निदेशालय (ED) मामलों ने सबसे अधिक चर्चा बटोरी है। पहला मामला ECIR/PTZO/04/2024, जो वरिष्ठ आईएएस अधिकारी संजीव हंस और अन्य व्यक्तियों से संबंधित था और दूसरा ECIR/PTZO/13/2025, जिसमें कारोबारी रिशु श्री तथा कई प्रशासनिक अधिकारियों के नाम सामने आए।

दिलचस्प तथ्य यह है कि स्वयं ED द्वारा पटना उच्च न्यायालय में दायर प्रतिशपथपत्र में कहा गया है कि रिशु श्री से संबंधित मामला मूल रूप से संजीव हंस प्रकरण से निकले तथ्यों के आधार पर विकसित हुआ। अर्थात ECIR/PTZO/13/2025 की जड़ें ECIR/PTZO/04/2024 में निहित बताई गई हैं।

यहीं से कई राजनीतिक प्रश्न जन्म लेते हैं। क्या यह केवल भ्रष्टाचार की जांच है? क्या यह बिहार की नौकरशाही के भीतर वर्षों से चल रही कथित दलाली और कमीशन व्यवस्था का पर्दाफाश है? अथवा क्या इसके राजनीतिक प्रभाव इतने व्यापक हैं कि यह सीधे सत्ता के शीर्ष स्तर तक संदेश पहुंचाने का माध्यम बन गया है?

सम्राट चौधरी

इन प्रश्नों के उत्तर अभी न्यायिक प्रक्रिया में छिपे हैं, लेकिन इतना निश्चित है कि यह मामला केवल एक कारोबारी या कुछ अधिकारियों तक सीमित नहीं रह गया है।

ED के अनुसार रिशु श्री प्रकरण की शुरुआत संजीव हंस से जुड़े मामले की जांच के दौरान प्राप्त सूचनाओं से हुई। एजेंसी का दावा है कि डिजिटल उपकरणों, वित्तीय दस्तावेजों, चैट रिकॉर्ड और कथित बयानों से बिहार के विभिन्न विभागों में प्रभाव और आर्थिक लेन-देन का एक नेटवर्क सामने आया।

लेकिन राजनीतिक पर्यवेक्षकों का एक वर्ग यह तर्क देता है कि किसी भी बड़े भ्रष्टाचार मामले में जांच का दायरा बढ़ना स्वाभाविक है, फिर भी यह देखना महत्वपूर्ण है कि जांच किस दिशा में जाती है और किन व्यक्तियों तक पहुंचती है। यहीं से यह बहस शुरू होती है कि क्या बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था के कुछ चुनिंदा चेहरों को केंद्र में रखकर एक व्यापक राजनीतिक संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है।

संजीव हंस के मामले को लेकर वर्षों से अनेक राजनीतिक चर्चाएं होती रही हैं। बिहार के ऊर्जा क्षेत्र में लिए गए निर्णयों, निजी निवेशकों की रुचि और बड़े औद्योगिक प्रोजेक्टों को लेकर समय-समय पर विवाद सामने आते रहे हैं। भागलपुर के पीरपैंती ताप विद्युत परियोजना को लेकर भी विभिन्न राजनीतिक मंचों पर बहस होती रही। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बिहार के ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े निर्णयों का प्रभाव केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि आर्थिक और राजनीतिक भी था। हालांकि इस संबंध में सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कोई न्यायिक निष्कर्ष ऐसा नहीं है, जो यह स्थापित करे कि किसी विशेष

सुधाकर सिंह

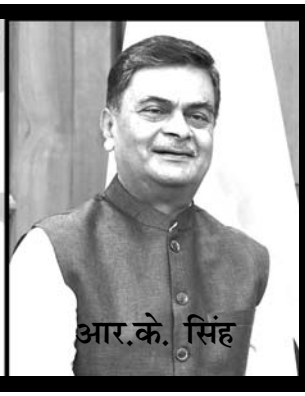
आर.के. सिंह

"अडानी पॉवर का मामला पिछले विधानसभा चुनाव में भी मुद्दा रहा है। राजद के सांसद सुधाकर सिंह और भाजपा के पूर्व सांसद आर. के. सिंह ने यह मामला जोर-सोर से उठाया था और यह मामला मीडिया की सुर्खियों में भी रहा, वही सांसद सुधाकर सिंह ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि रिशु श्री प्रकरण का मास्टर माइंड आईएएस आनंद किशोर हैं''

NOTICE

From: Prabhat Kumar Singh, Advocate
Flat no-302, Block-C, Aashirwad Ghanshyam Enclave,
Ward no-30, Bhupatipur, Ram Krishna Nagar-800020,
Bihar.
9934013267

To
The Advocate General, Bihar, Patna

Ref: Cr.W.J.C No. 2942 of 2025

Rishu Shree ....**Petitioner**

Versus

The Union of India through its Secretary, Legislative Department, Ministry of Law and Justice & ors

....**Opposite Party**

Sir,

Please take notice that Counter affidavit on behalf of Directorate of Enforcement, is being filed before Hon'ble Patna High Court and copies of the same is being served upon you for needful and use. Kindly acknowledge the same.

Prabhat Kumar Singh
AV3N-100337
27/11/2025

Advocate for the Directorate of Enforcement,

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA
(CRIMINAL WRIT JURISDICTION)
CR. WJC No. -2942/2025

IN THE MATTER OF:

Rishu Shree ...Petitioner

VERSUS

The Union of India and others ... Respondents

INDEX

S. No.	Particulars	Pg. No.
1.	Counter affidavit filed on behalf of Directorate of Enforcement to the writ filed by the petitioner:	1-103
2.	Copy of Aadhar card of deponent	104
3.	**Annexure R-1** A true copy of the order dated 27.07.2022 passed by the Hon'ble Supreme Court in SLP (CrL) No. 4634 of 2014	105-154
4.	**Annexure- R-2** True copy of email dated 15.09.2025 sent by the petitioner	155-156
5.	**Annexure- R-3** True copy of the letter dated 24.10.2025 sent by Taj Hotel, New Delhi to the DoE	157-158
6.	**Annexure- R-4** The true copy of letter dated 10.09.2025 addressed to Senior Superintendent of Police, Patna	159-161
7.	**Annexure- R-5** True copy of the reply filed by the petitioner in SCN of OA 1288/2024	162-171
8.	**Annexure- R-6** True copy of the letter dated 14.02.2025 containing information under Section 66(2) of the PMLA to the Economic Offences Unit, Patna.	172-188
9.	**Annexure- R-7** The true copy of PAO No. 08/2025 dated 01.08.2025	189-270

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA
(CRIMINAL WRIT JURISDICTION)
CR. WJC No.-2942/2025

IN THE MATTER OF:

Rishu Shree S/o Sri Binod Kumar Sinha,
Resident of 5A, Kamtaramsakhi Enclave,
Mithapur Khagaul Road, Beside Dayananad Boys School,
Mithapur, Patna, P.S.- Jakkanpur, District- Patna. ..... Petitioner

VERSUS

The Union of India and others ... Respondents

COUNTER AFFIDAVIT FILED ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 2, 3 AND 4 TO THE WRIT PETITION FILED BY THE PETITIONER:

MOST RESPECTFULLY SHOWETH:

I, Bhoopesh, aged about 38 years, posted as Assistant Director, Enforcement Directorate, Patna Zonal Office, Patna do hereby solemnly affirm and declare as follows:

1. That, I am well acquainted with the facts and circumstances of the case and I have been duly authorized and otherwise, I am competent to file reply in this case.
2. That, I have gone through the contents of the instant application under reply and have understood the same.
3. That, Directorate of Enforcement, Patna Zonal Office submits that the averments made in the instant writ petition, are denied, unless specifically admitted (if any) hereunder. It is prayed that no averment contained in the said

BIHAR COURT FEE ₹10 — BIHAR CO ₹1 — WELFARE STAMP बिहार BIHAR

परियोजना के कारण किसी अधिकारी के विरुद्ध जांच शुरू हुई। इसलिए ऐसे दावों को राजनीतिक विमर्श का हिस्सा माना जाना चाहिए, न कि स्थापित तथ्य।

फिर भी यह प्रश्न बना रहता है कि बिहार में बड़े आर्थिक हितों और प्रशासनिक निर्णयों के बीच संबंधों की जांच क्या कभी पूरी पारदर्शिता से हुई? रिशु श्री प्रकरण का सबसे संवेदनशील पहलू उन अधिकारियों के नाम हैं जो बिहार शासन के शीर्ष स्तर से जुड़े रहे हैं। आनंद किशोर लंबे समय से बिहार प्रशासन में प्रभावशाली अधिकारी माने जाते रहे हैं। मुख्यमंत्री सचिवालय में प्रधान सचिव रहे दीपक कुमार भी राज्य प्रशासन के सबसे प्रभावशाली अधिकारियों में गिने जाते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का एक वर्ग मानता है कि इन अधिकारियों के इर्द–गिर्द उठने वाले किसी भी विवाद का असर केवल प्रशासन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसका प्रभाव सीधे सत्ता की संरचना पर पड़ता है।

भारत में पिछले एक दशक से यह बहस लगातार चल रही है कि क्या केंद्रीय जांच एजेंसियां पूरी तरह स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं या उनकी कार्रवाई का राजनीतिक प्रभाव भी होता है। विपक्षी दल वर्षों से आरोप लगाते रहे हैं कि ED और अन्य एजेंसियों का उपयोग राजनीतिक दबाव बनाने के लिए किया जाता है। दूसरी ओर केंद्र सरकार और एजेंसियां लगातार कहती रही हैं कि उनका कार्य केवल कानून और साक्ष्यों के आधार पर होता है।

रिशु श्री प्रकरण ने बिहार में इसी बहस को फिर से जीवित कर दिया है। कई राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यदि जांच का प्रभाव राज्य की सत्ता संरचना के सबसे प्रभावशाली प्रशासनिक व्यक्तियों तक पहुंचता है, तो उसका राजनीतिक अर्थ भी निकाला जाएगा।

❖ **असली प्रश्न अभी बाकी हैं :–** रिशु श्री दोषी हैं या नहीं, इसका निर्णय अदालत करेगी। ED के आरोप सही हैं या नहीं, इसका निर्णय भी न्यायिक प्रक्रिया करेगी।

लेकिन इस पूरे प्रकरण ने कुछ बड़े प्रश्न अवश्य खड़े कर दिए

10

BUIDCO, the Additional Secretary of UDHD, the Director of BUDA, and the Principal Secretary of UDHD.

G. Many Excel sheets found in Rishu Shree's digital devices have records of bribe/gift paid by him in the municipalities of Bihar. Screen grabs of those Excel sheets are given below:

Date	Particular	Mode	Debit
20-Jul-2019	Being SBI Bank Cheque No.497522 through Extra Miscellaneous (treasury Expense & Office Exp. Gift)Paid to (R.K Suman) Gogari Jamalpur Nagar Panchayat Against Work Order No.GEMC-511687766939224/02.03.2019.	MISCELLANEOUS EXP.	46500.00
19-Sep-2019	Being SBI Netbanking through TRF to Ashish Kumar Against Cell Phone Gift to Maner Nagar Parishad EO Against Work Order No.GEMC-511687739640894 Item E Garbage	MISCELLANEOUS EXP.	17500.00
29-Feb-2020	Being Canara Bank-13 Cheque No.706899 through TRF to Ashish Kumar against Laptop Gift to Daudnagar Nagar Parishad	MISCELLANEOUS EXP.	44500.00

Date	Particular	Mode	Debit
26-Aug-2021	Being Reliable Enterprises SBI Nethanking through TRF to Ashish Kumar Against Purchase of Laptop Gift to Ranchi SUDA Officer (Bid Number: GEM/2021/B/1484293 Dated: 02-09-2021, Office-Nagar Panchayat, Domchanch)	MISCELLANEOUS EXP.	35,000.00
26-Mar-2022	Being Cash Paid to Shantanu Kumar Behalf Advance Miscellaneous & Gift Expense for EO Sultanganj Nagar Parishad (Contract No: GEMC-511687757825290 Generated Date: 17-Mar-2022) for Supply of 1100 ltr GI Wheeled Waste Bin.	MISCELLANEOUS EXP.	2,00,000.00

Date	Particular	Mode	Debit
[illegible]	[illegible]	MISCELLANEOUS EXP.	[illegible]
[illegible]	[illegible]	MISCELLANEOUS EXP.	[illegible]
[illegible]	[illegible]	MISCELLANEOUS EXP.	[illegible]
[illegible]	[illegible]	MISCELLANEOUS EXP.	[illegible]
[illegible]	[illegible]	MISCELLANEOUS EXP.	[illegible]
[illegible]	[illegible]	MISCELLANEOUS EXP.	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	MISCELLANEOUS EXP.	[illegible]
[illegible]	[illegible]	MISCELLANEOUS EXP.	[illegible]
15-Mar-2022	[illegible]	MISCELLANEOUS EXP.	[illegible]
5-Mar-2022	[illegible]	MISCELLANEOUS EXP.	[illegible]

Page 1

The above-mentioned 'Muchu Choudhary' refers to Mumukshu Chaudhary of the Finance Department, Government of Bihar, from whose premises Rs. 2 crores were found and seized during the search proceedings conducted on 27.03.2025.

H. Various calculation sheets were found during forensic extraction of Rishu Shree's digital device. Forensic analysis of those sheets containing financial calculation regarding net profits in respect of certain projects of Urban Development Department viz 33 Drain Bioremediation Project, Bihar Sharif STP and Sewage Network Project, Muzaffarpur STP and Sewage Network Project and Bihar Sharif Smart Road Project, revealed huge payments under the departmental expenses which is nothing but in

the nature of bribe to be paid to Senior officers and junior officials respectively. This was accepted by Rishu Shree in his statement dated 21.09.2024 given under Section 50 of PMLA, 2002. Screen grabs of those calculation sheets are given below:

I. Also, in lieu of favouring employees/officers of the concerned departments by helping them get desired postings, Rishu Shree gets crucial information for various tenders, in advance, and on the basis of which he secures Govt. tenders for himself and for the entities of his network. He also manipulates the tenders by getting incorporated various specifications which are favourable to his entities. In this way when the tenders are

39. Followings are some evidences which shows the level of closeness Rishu Shree shares with top officials of the department in which he used to rig/manage tender process.

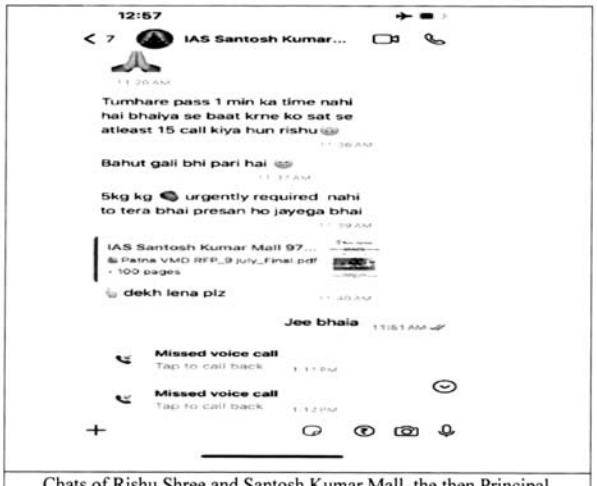

Chats of Rishu Shree and Santosh Kumar Mall, the then Principal Secretary, UDHD and State Coordinator for Namami Gange Project

Q29. Following is your WhatsApp Chat dated 10.07.2022 with a contact number 9931445362. Please inform whose number is this and explain the context of your chat

Deepak sir se liasioning kijiye sir

Ans: This number belongs to Shri Sunil Kumar Yadav, IAS, who was serving as Joint Secretary in the Urban Development and Housing Department (UDHD) at the time. I had requested him for my transfer and asked him to coordinate or liaison with Deepak Kumar, IAS, regarding the matter.

I started working with Shri Sunil Kumar Yadav, IAS in July, 2021 and worked for 09 months with him till he was transferred as Joint Secretary, UDHD, Patna.

For this also Rishushree claims that due to his efforts Sunil Kumar Yadav was transferred as JC, UDHD, Patna as Rishushree and Sunil Kumar Yadav had earlier acquaintances with each other.

3 | Page

Reference of Sunil Kumar Yadav, IAS, the then Director, BUDA and the then additional secretary UDHD in Rishu Shree Chats and Mumukshu Chaudhary statement dated 22.04.2025 given u/s 50 of PMLA

हैं-क्या बिहार की सरकारी निविदा प्रणाली वास्तव में पारदर्शी है? क्या नौकरशाही और ठेकेदारों के बीच प्रभाव का एक अनौपचारिक तंत्र मौजूद है? क्या जांच एजेंसियों की कार्रवाई का राजनीतिक प्रभाव अनिवार्य रूप से पैदा होता है? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई तथा राजनीतिक शक्ति-संतुलन की राजनीति कभी-कभी एक-दूसरे से टकराती हैं?

रिशु श्री प्रकरण केवल एक आर्थिक अपराध जांच नहीं रह गया है। यह बिहार की नौकरशाही, सत्ता, राजनीतिक गठबंधनों, सरकारी ठेकों और जांच एजेंसियों की भूमिका पर व्यापक राष्ट्रीय बहस का विषय बन चुका है। लोकतंत्र में किसी भी जांच की अंतिम विश्वसनीयता अदालत के फैसले से तय होती है, न कि आरोपपत्रों, प्रेस विज्ञप्तियों या राजनीतिक व्याख्याओं से।

इसलिए फिलहाल इतना ही कहा जा सकता है कि रिशु श्री प्रकरण बिहार की राजनीति और प्रशासन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ अवश्य बन चुका है, जिसके वास्तविक परिणाम आने वाले वर्षों में न्यायालय, राजनीति और जनमत मिलकर तय करेंगे।

❖ **संजीव हंस प्रकरण : पीरपैंती और अडानी पावर का प्रसंग** :- संजीव हंस पर आरोप है कि बिहार के ऊर्जा विभाग में रहते हुए उन्होंने भागलपुर के पीरपैंती में अडानी पावर के प्रस्तावित पावर प्लांट की स्थापना को अवरुद्ध किया। ED की जांच इसी बिंदु से प्रारंभ हुई। संयोग से, जांच शुरू होने के कुछ समय पश्चात बिहार सरकार ने मात्र एक रुपये प्रति वर्ष की प्रतीकात्मक दर पर अडानी पावर को भूमि आवंटित कर दी और पीरपैंती पावर प्लांट की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो गया। यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि संजीव हंस के विरुद्ध भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं और उनकी जांच को उचित न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से पूर्ण होना चाहिए। तथापि, जांच की समय-रेखा और उसके राजनीतिक परिणाम कई महत्वपूर्ण प्रश्न खड़े करते हैं, जिनका उत्तर जनता के सामने आना चाहिए।

''रिशु श्री का मामला संजीव हंस की जांच की परछाईं में पैदा हुआ, यह तथ्य स्वयं कई सवाल उठाता है।''

बिहार की राजधानी पटना में जन्मे, NIT पटना से B.Tech करने वाले रिशु श्री (उम्र 38 वर्ष) एक सरकारी ठेकेदार हैं। 2013-14 में Sintex कंपनी की एजेंसी से अपना कारोबारी सफर शुरू करने वाले रिशु श्री ने 2016-2018 के बीच कई कंपनियाँ खड़ी की।

आज वे निम्नलिखित कंपनियों का संचालन करते हैं :-M/s Reliable Enterprises, M/s Reliable Infra Services Pvt. Ltd., M/s Shree Nestbuild Infra Pvt. Ltd., M/s Sai Ashirwad Construction Pvt. Ltd., M/s Urban Environ-

companies through bribery of senior UDHD/BUIDCO officials, facilitated by a middleman Sh. Rishu Shree.

Parties Involved: Companies who obtained tenders:	Liasoner and his entities:	Public servants identified:
i. M/s Toshiba Water Solutions Pvt. Ltd ii. M/s VA Tech Wabag Pvt. Ltd. iii. M/s Kevadiya Constructions Pvt. Ltd. iv. M/s Jainam Engicon Pvt. Ltd. v. M/s Bhugan Infracon Pvt. Ltd.	a. Rishu Shree (key conduit for bribe payments) b. M/s Shree Nestbuild Infra Pvt. Ltd. c. M/s Reliable Enterprises d. M/s Reliable Infra Services Pvt. Ltd. e. M/s Sai Ashirwad Construction Pvt. Ltd.	i. Sh. Yogesh Sagar, IAS (then MD, BUIDCO) ii. Sh. Amrendra Kumar Singh, IAS (then MD, BUIDCO) iii. Sh. Anand Kishor, IAS (then Principal Secretary, UDHD) iv. Sh. Santosh Kumar Mall, IAS (then Principal Secretary, UDHD and State Coordinator for Namami Gange Project) v. Sh. Sunil Kumar Yadav, IAS (the then Director, BUDA and the then additional secretary UDHD)

44. The aforementioned companies have been awarded tenders by the Bihar Government and details of those were sought by UDHD.

Sl. No.	Name of the Entity	Payments Released in different departments of UDHD			
		SPMG	BUIDCO	Smart City	Total Payment Released
1	M/s Kevadiya Constructions Pvt. Ltd.	--	Rs. 163.90 crores	Rs. 346.66 crores	Rs. 510.56 crores
2	M/s Bhugan Infracon Pvt. Ltd.	--	Rs. 87.78 Crores	Rs. 228.25 crores	Rs. 316.03 crores
3	M/s Jainam Construction Pvt. Ltd.	--	Rs. 13.21 crores	--	Rs. 13.21 crores
4	M/s VA Tech Wabag	--	Rs. 1037.95 crores	--	Rs.1037.95 crores
5	M/s Toshiba Water Solutions Pvt. Ltd.	--	Rs. 1004.45 crores	Rs. 294.92 crores	Rs. 1299.37 crores
6	M/s Reliable Enterprises	--	Rs. 0.33 crores	Rs. 3.23 crores	Rs. 3.56 crores
7	M/s Reliable Infra Services Pvt. Ltd.	Rs. 1.56 crores	--	--	Rs. 1.56 crores
8	M/s Sai Ashirwad Construction Pvt. Ltd.	Rs. 83.63 crores	--	--	Rs. 83.63 crores
9	M/s Shree Nest Build Infra Pvt. Ltd.	287.46	--	--	Rs. 287.46 crores
TOTAL					Rs. 3553.33 crores

A. **CONDUCT OF THE PETITIONER (NON-COOPERATION AND FABRICATING OF MEDICAL DOCUMENTS)**

45. Since the initiation of investigation, the Petitioner has been summoned on four separate occasions, i.e., 16.09.2025, 22.09.2025, 07.10.2025 and 25.10.2025 under Section 50 of the PMLA. However, despite repeated summons, he has failed to appear even once before the Investigating Officer of the Directorate.

46. On 15.09.2025, the Petitioner sent an email to the Directorate citing alleged health issues as the reason for his non-appearance and attached purported medical reports dated 05.09.2025 and 06.09.2025, along with a doctor's prescription allegedly issued by a hospital.

True copy of email dated 15.09.2025 sent by the petitioner is annexed herewith and marked as **ANNEXURE R-2**

47. During verification, the laboratory that issued the report and the hospital whose letterhead was used for the prescription were summoned and examined under Section 50 of the PMLA.

48. In their recorded statements, both the laboratory owner and the hospital owner categorically stated that the documents submitted by the Petitioner were forged and fabricated. The patient register produced by the hospital conclusively shows that the Petitioner never visited the said medical facility.

उत्तर : ये मेरी व्हाट्सएप चैट रिशु श्री के साथ की है मैंने रिशु के मोबाइल नं. 9334423403 पटना [illegible] के नाम से सेव किया है। उपरोक्त चैट के माध्यम से रिशु ने मुझे अपने सम्बन्ध सुप्रीम कोर्ट से पारित आदेश के दिखा रहा है जिसके तहत 30.11.25 तक सर्वोच्च न्यायालय से non-arrest का आदेश मिला हुआ है।

PRELIMINARY OBJECTIONS:

55. The petitioner herein has sought the following prayers:

a. quashing the entire criminal prosecution arising out of ECIR/PTZO/13/2025 being violative of Article 20(3) of the Constitution of India.

b. Directing the respondent against undertaking any further coercive action, including issuance of any fresh summons, any fresh search, seizure or investigation against the petitioner or its officers/employees based on or arising out of ECIR/PTZO/13/2025 and ECIR/PTZO/4/2024.

56. The primary grounds on which the petitioner herein is seeking the aforesaid prayers are as under:

mental Solution Pvt. Ltd.

वर्ष 2024 में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने ECIR/PTZO/04/2024 के तहत IAS अधिकारी संजीव हंस की जांच शुरू की। इसी जांच की आंच में रिशु श्री का नाम सामने आया और 2025 में ECIR/PTZO/13/2025 के तहत उनके विरुद्ध अलग मामला दर्ज किया गया। यह मामला केवल एक ठेकेदार और एक जांच एजेंसी की लड़ाई नहीं है। यह बिहार के भ्रष्टाचार तंत्र, राजनीतिक सत्ता-संघर्ष, IAS लॉबी और केंद्र-राज्य संबंधों का एक दर्पण है।

ED ने PMLA की धारा 17 के अंतर्गत 16 जुलाई 2024 और 28 जनवरी 2025 को रिशु श्री के आवासीय एवं व्यावसायिक परिसरों पर तलाशी ली। जब्त डिजिटल उपकरणों के फोरेंसिक विश्लेषण से, ED के अनुसार, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मिलकर सरकारी निविदाओं में हेरफेर करने के संकेत मिले। 27 मार्च 2025 को एक बड़े समन्वित अभियान में BUIDCO, BCD, BMSICL, UDHD और वित्त विभाग के अधिकारियों के परिसरों पर एक साथ तलाशी ली गई। ED का दावा है कि इस तलाशी में कुल 11.64 करोड़ रूपये नकद बरामद हुए :-

अधिकारी	पद	बरामद
मुमुक्षु चौधरी	संयुक्त सचिव, वित्त विभाग	2 करोड़+
तारनी दास	मुख्य अभियंता, BCD	नकद जब्त
उमेश कुमार सिंह	कार्यपालक अभियंता, UDHD	नकद जब्त
सकेत कुमार	कार्यपालक अभियंता, BCD	नकद जब्त
सागर जायसवाल	उप महाप्रबंधक, BMSICL	नकद जब्त

❖ **अपराध की आय (POC) का ED-दावा :-**

परियोजना/क्षेत्र	अनुमानित POC (रू० करोड़)
राष्ट्रीय मिशन फॉर क्लीन गंगा (NMCG/नमामि गंगे)	185.25
बायोरिमेडिएशन परियोजनाएं	54.25
बिहार की नगरपालिकाएं	25.60
स्मार्ट सिटी परियोजनाएं	0.63
कुल न्यूनतम POC	265.73 करोड़ रू०

❖ **योगेश कुमार सागर IAS, तत्कालीन MD, BUIDCO :-** ED के अनुसार रिशु श्री ने योगेश सागर और उनके परिवार के 6 सदस्यों की ऑस्ट्रिया यात्रा (जून 2024) का पूरा खर्च 21,92,500 रूपये उठाया, Air India AI-153/154 की टिकटें, वियना-साल्जबर्ग-सेंट वोल्फगैंग के लक्जरी होटल। M/s Lambuji Tours, सूरत के माध्यम से बुकिंग हुई। M/s Jainam Engicon को BUIDCO ने 7 मार्च 2024 को ब्लैकलिस्ट

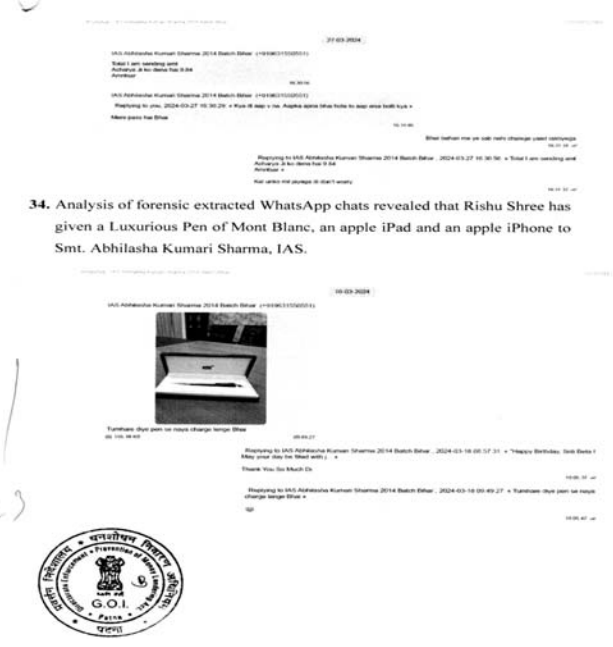

34. Analysis of forensic extracted WhatsApp chats revealed that Rishu Shree has given a Luxurious Pen of Mont Blanc, an apple iPad and an apple iPhone to Smt. Abhilasha Kumari Sharma, IAS.

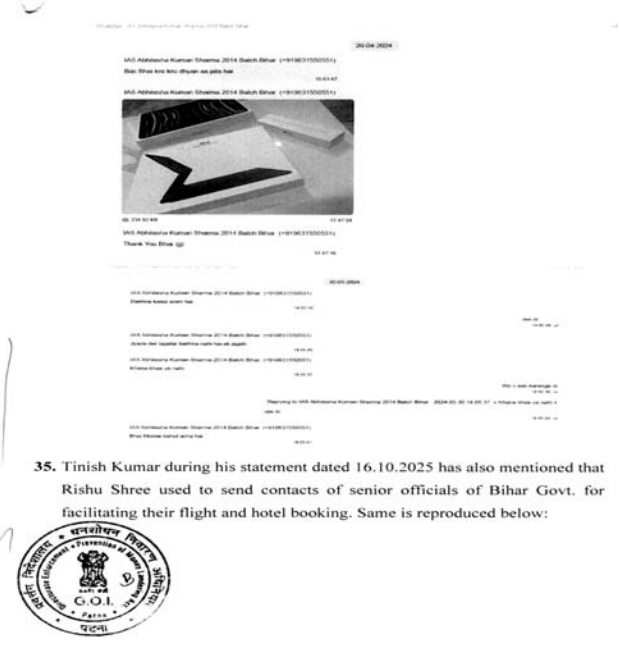

35. Tinish Kumar during his statement dated 16.10.2025 has also mentioned that Rishu Shree used to send contacts of senior officials of Bihar Govt. for facilitating their flight and hotel booking. Same is reproduced below:

किया। 16 मई 2024 को ब्लैकलिस्टिंग वापस ली, ठीक एक महीने बाद जून 2024 में ऑस्ट्रिया यात्रा। ED का तर्क है यह महज संयोग नहीं। लेकिन ED ने अपने जाँच में यह नहीं कहा की अधिकारी ने विदेश यात्रा में जाने से पहले सरकार से अनुमति ली थी की नहीं, यह सरकारी यात्रा थी या निजी, क्या आईएएस के सैलेरी में उक्त होटल का व्यय मुश्किल है। ED का रिपोर्ट देखकर लगता है की यह रिपोर्ट सिर्फ योगेश सागर (IAS) को फंसाने के लिये बनाया गया है।

❖ **आनंद किशोर IAS, तत्कालीन प्रमुख सचिव, UDHD :-**

☞ **आरोप :-** तबादले और पोस्टिंग में अनुचित प्रभाव। WhatsApp चैट और PMLA धारा 50 के बयानों से स्थापित करने का दावा। आनंद किशोर मुख्यमंत्री सचिवालय में अत्यंत प्रभावशाली रहे।

❖ **संतोष कुमार मल IAS, तत्कालीन प्रमुख सचिव, UDHD एवं नमामि गंगे :-**

WhatsApp चैट में रिशु श्री ने 'भाई' लिखकर संवाद किया।

☞ **संतोष मल का दावा :-** रिशु श्री ने उनके नाम से किसी अन्य व्यक्ति का नंबर सेव किया था। यदि सत्य, तो यह ED की जांच की गंभीर त्रुटि होगी।

❖ **अभिलाषा कुमारी शर्मा IAS, तत्कालीन DM, सीतामढ़ी**

☞ **उड़ान टिकट व होटल :** 19 लाख रूपये, केवल 6 लाख पति ने चुकाए।

☞ Mont Blanc लग्जरी पेन, Apple iPad और Apple iPhone उपहार।

☞ 9.84 लाख रूपये पूजा-पाठ के लिए पंडित इंदरजीत शर्मा को।

☞ 3 लाख रूपये मौसी रूबी कुमारी शर्मा के बैंक खाते में।

❖ **मुमुक्षु चौधरी, संयुक्त सचिव, वित्त विभाग :-**

☞ 25 लाख रूपये देकर सीतामढ़ी नगर आयुक्त (अतिरिक्त प्रभार) पदस्थापित कराने का आरोप। परिसर से 2 करोड़ रूपये+ए नकद जब्त। Excel sheet में 'Muchu Choudhary' नाम से रिश्वत प्रविष्टियाँ।

❖ **BMSICL निविदाएं : दस्तावेज बनाम आरोप :-**

❖ **BMSICL/Infra/18/2024 के तहत 6 निविदाओं में Reliable Enterprises का प्रदर्शन :-**

कार्य स्थान	बोली राशि (रू०)	BOQ से कम	परिणाम
SKMCH मुजफ्फरपुर	7,17,38,428	20.20%	L1-अनुबंध मिला
DMCH दरभंगा	7,17,38,428	20.20%	L1-अनुबंध मिला
सारण मेडिकल कॉलेज	7,17,38,428	20.20%	L1-अनुबंध मिला
ANMMCH गया	7,17,38,428	20.20%	L1-Bid Capacity कम, निरस्त
मुंगेर मेडिकल कॉलेज	7,17,38,428	6.27%	L1-Bid Capacity कम, निरस्त
JNKTMCH मधेपुरा	7,17,38,428	20.20%	L1-Bid Capacity कम, निरस्त

GFR/BFR के अनुसार, L1 बोलीदाता को वरीयता देना अनिवार्य है। यदि अधिकारियों को 'मैनेज' करना होता, तो दर अधिक रखी जाती, कम नहीं। Bid Capacity नियम का कठोर पालन भी स्वत: बताता है कि BMSICL ने नियम-पालन किया।

'20% सस्ती दर पर कार्य करने वाली कंपनी पर MD को 'खरीदने' का आरोप-तर्क की कसौटी पर खड़ा नहीं उतरता है'।

❖ **Cr. W.J.C. No.-2942/2025, पटना उच्च न्यायालय :-** रिशु श्री ने PMLA की धारा 50/63 के तहत समनों को अनुच्छेद 14, 20 और 21 का उल्लंघन बताते हुए चुनौती दी। ED ने विजय मदनलाल चौधरी बनाम भारत संघ (2022) का हवाला दिया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने PMLA की वैधता बरकरार रखी। धारा 50 के तहत बुलाए व्यक्ति को अनुच्छेद 20 (3) का संरक्षण नहीं, वह इस चरण में 'आरोपी' नहीं।

☞ ED अधिकारी पुलिस अधिकारी नहीं, CrPC की धारा 161 लागू नहीं।

☞ ECIR आंतरिक दस्तावेज है, FIR के समान नहीं। इसे रद्द नहीं किया जा सकता।

☞ नीहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर (2021) में उच्च न्यायालयों को जांच रोकने की प्रवृत्ति की आलोचना।

❖ **जाली चिकित्सा दस्तावेज, गंभीर कानूनी प्रश्न :-** 16/09/2025, 22/09/2025, 07/10/2025 और 25/10/2025, चार समन और एक बार भी उपस्थिति नहीं। 15 सितंबर को स्वास्थ्य का बहाना और 5-6 सितंबर की कथित चिकित्सा रिपोर्ट। ED ने अस्पताल और प्रयोगशाला दोनों से पुष्टि कराई। दोनों ने दस्तावेज जाली बताए। पंजीयन रजिस्टर में नाम नहीं, डॉक्टर अस्पताल के पैनल में कभी नहीं थे। इसके साथ ताज होटल, नई दिल्ली के रिकॉर्ड :- 19, 20, 24 और 25 सितंबर 2025 को रिशु श्री और साहेल सिन्हा वहाँ थे, जबकि वे 6-20 सितंबर तक 'बिस्तर पर' होने का दावा कर रहे थे।

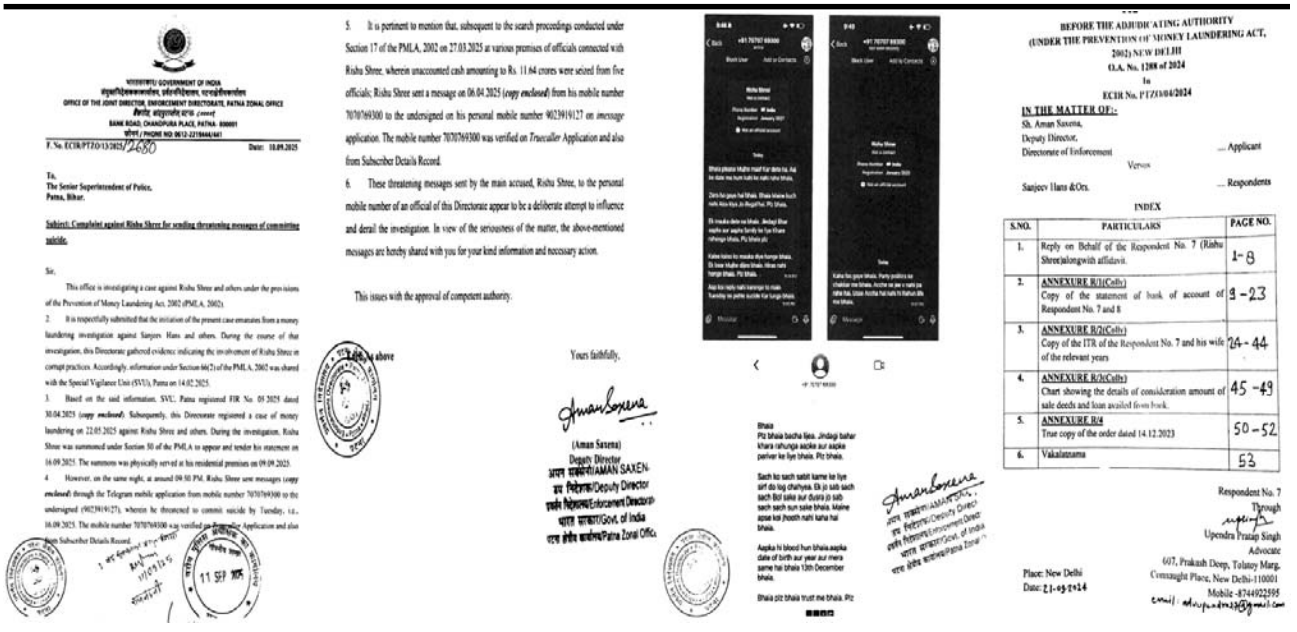

PMLA 2002 में 'reverse burden of proof' है, अभियुक्त को अपनी निर्दोषता साबित करनी होती है। जमानत अत्यंत कठोर (धारा 45)। यही कारण है यह कानून न्यायसंगत जांच के लिए भी शक्तिशाली है और राजनीतिक दुरुपयोग के लिए भी। सर्वोच्च न्यायालय ने स्वयं कई बार चेताया है कि PMLA का उपयोग 'उत्पीड़न' के लिए नहीं होना चाहिए।

F. No. ECIR/PTZO/13/2025/2680

To,
The Senior Superintendent of Police,
Patna, Bihar.

Subject: Complaint against Rishu Shree for sending threatening messages of committing suicide.

5. It is pertinent to mention that, subsequent to the search proceedings conducted under Section 17 of the PMLA, 2002 on 27.03.2025 at various premises of officials connected with Rishu Shree, wherein unaccounted cash amounting to Rs. 11.64 crores were seized from five officials; Rishu Shree sent a message on 06.04.2025 (copy enclosed) from his mobile number 7070769300 to the undersigned on his personal mobile number 9023919127 on message application. The mobile number 7070769300 was verified on Truecaller Application and also from Subscriber Details Record.

6. These threatening messages sent by the main accused, Rishu Shree, to the personal mobile number of an official of this Directorate appear to be a deliberate attempt to influence and derail the investigation. In view of the seriousness of the matter, the above-mentioned messages are hereby shared with you for your kind information and necessary action.

This issues with the approval of competent authority.

Yours faithfully,

(Aman Saxena)
Deputy Director

BEFORE THE ADJUDICATING AUTHORITY
(UNDER THE PREVENTION OF MONEY LAUNDERING ACT, 2002) NEW DELHI
O.A. No. 1288 of 2024
In
ECIR No. PTZO/04/2024

IN THE MATTER OF:-
Sh. Aman Saxena, Deputy Director, Directorate of Enforcement ... Applicant
Versus
Sanjeev Hans &Ors. ... Respondents

INDEX

S.NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	Reply on Behalf of the Respondent No. 7 (Rishu Shree)alongwith affidavit.	1-8
2.	ANNEXURE R/1(Colly) Copy of the statement of bank of account of Respondent No. 7 and 8	9-23
3.	ANNEXURE R/2(Colly) Copy of the ITR of the Respondent No. 7 and his wife of the relevant years	24-44
4.	ANNEXURE R/3(Colly) Chart showing the details of consideration amount of sale deeds and loan availed from bank.	45-49
5.	ANNEXURE R/4 True copy of the order dated 14.12.2023	50-52
6.	Vakalatnama	53

Respondent No. 7
Through
Upendra Pratap Singh
Advocate

BEFORE THE ADJUDICATING AUTHORITY
(UNDER THE PREVENTION OF MONEY LAUNDERING ACT, 2002) NEW DELHI
O.A. No. 1288 of 2024
In
ECIR No. PTZO/04/2024

AFFIDAVIT

OFFICE OF THE JOINT DIRECTOR, ENFORCEMENT DIRECTORATE, PATNA ZONAL OFFICE

To,
The Additional Director General of Police
Special Vigilance Unit,
Government of Bihar.

Sub: Sharing of information under Section 66(2) of Prevention of Money Laundering Act, 2002 in respect of Sh. Rishu Shree, his associates and others (PTZO/04/2024)- reg.

1) Background of Sh Rishu Shree:-

2) Modus operandi adopted with respect to manipulation in Govt. tenders and generation of illegal money:-

2. MATERIALS PLACED BEFORE AUTHORIZED OFFICER:

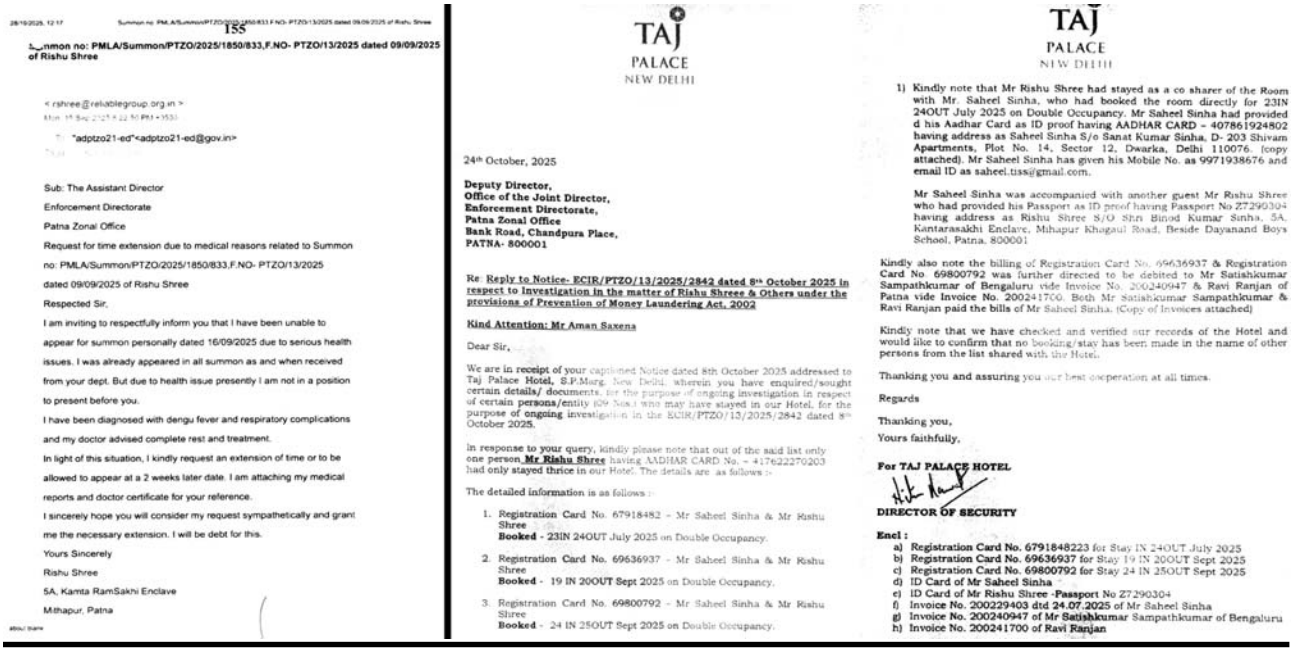

28/10/2025, 12:17 Summon no: PMLA/Summon/PTZO/2025/1850/833,F.NO- PTZO/13/2025 dated 09/09/2025 of Rishu Shree

ISS

Summon no: PMLA/Summon/PTZO/2025/1850/833,F.NO- PTZO/13/2025 dated 09/09/2025 of Rishu Shree

< rshree@reliablegroup.org.in >

"adptzo21-ed"<adptzo21-ed@gov.in>

Sub: The Assistant Director
Enforcement Directorate
Patna Zonal Office
Request for time extension due to medical reasons related to Summon no: PMLA/Summon/PTZO/2025/1850/833,F.NO- PTZO/13/2025 dated 09/09/2025 of Rishu Shree

Respected Sir,

I am inviting to respectfully inform you that I have been unable to appear for summon personally dated 16/09/2025 due to serious health issues. I was already appeared in all summon as and when received from your dept. But due to health issue presently I am not in a position to present before you.

I have been diagnosed with dengu fever and respiratory complications and my doctor advised complete rest and treatment.

In light of this situation, I kindly request an extension of time or to be allowed to appear at a 2 weeks later date. I am attaching my medical reports and doctor certificate for your reference.

I sincerely hope you will consider my request sympathetically and grant me the necessary extension. I will be debt for this.

Yours Sincerely
Rishu Shree
5A, Kamta RamSakhi Enclave
Mithapur, Patna

TAJ
PALACE
NEW DELHI

24th October, 2025

Deputy Director,
Office of the Joint Director,
Enforcement Directorate,
Patna Zonal Office
Bank Road, Chandpura Place,
PATNA- 800001

Re: Reply to Notice- ECIR/PTZO/13/2025/2842 dated 8th October 2025 in respect to investigation in the matter of Rishu Shreee & Others under the provisions of Prevention of Money Laundering Act, 2002

Kind Attention: Mr Aman Saxena

Dear Sir,

We are in receipt of your captioned Notice dated 8th October 2025 addressed to Taj Palace Hotel, S.P.Marg, New Delhi, wherein you have enquired/sought certain details/ documents for the purpose of ongoing investigation in respect of certain persons/entity (09 Nos.) who may have stayed in our Hotel, for the purpose of ongoing investigation in the ECIR/PTZO/13/2025/2842 dated 8th October 2025.

In response to your query, kindly please note that out of the said list only one person **Mr Rishu Shree** having AADHAR CARD No. – 417622270203 had only stayed thrice in our Hotel. The details are as follows :-

The detailed information is as follows :

1. Registration Card No. 67918482 – Mr Saheel Sinha & Mr Rishu Shree
   Booked - 23IN 24OUT July 2025 on Double Occupancy.
2. Registration Card No. 69636937 – Mr Saheel Sinha & Mr Rishu Shree
   Booked - 19 IN 20OUT Sept 2025 on Double Occupancy.
3. Registration Card No. 69800792 – Mr Saheel Sinha & Mr Rishu Shree
   Booked - 24 IN 25OUT Sept 2025 on Double Occupancy.

TAJ
PALACE
NEW DELHI

1) Kindly note that Mr Rishu Shree had stayed as a co sharer of the Room with Mr. Saheel Sinha, who had booked the room directly for 23IN 24OUT July 2025 on Double Occupancy. Mr Saheel Sinha had provided d his Aadhar Card as ID proof having AADHAR CARD – 407861924802 having address as Saheel Sinha S/o Sanat Kumar Sinha, D- 203 Shivam Apartments, Plot No. 14, Sector 12, Dwarka, Delhi 110076. (copy attached). Mr Saheel Sinha has given his Mobile No. as 9971938676 and email ID as saheel.tiss@gmail.com.

Mr Saheel Sinha was accompanied with another guest Mr Rishu Shree who had provided his Passport as ID proof having Passport No Z7290304 having address as Rishu Shree S/O Shri Binod Kumar Sinha, 5A, Kantarasakhi Enclave, Mihapur Khagaul Road, Beside Dayanand Boys School, Patna, 800001

Kindly also note the billing of Registration Card No. 69636937 & Registration Card No. 69800792 was further directed to be debited to Mr Satishkumar Sampathkumar of Bengaluru vide Invoice No. 200240947 & Ravi Ranjan of Patna vide Invoice No. 200241700. Both Mr Satishkumar Sampathkumar & Ravi Ranjan paid the bills of Mr Saheel Sinha. (Copy of Invoices attached)

Kindly note that we have checked and verified our records of the Hotel and would like to confirm that no booking/stay has been made in the name of other persons from the list shared with the Hotel.

Thanking you and assuring you our best cooperation at all times.

Regards

Thanking you,

Yours faithfully,

For TAJ PALACE HOTEL

DIRECTOR OF SECURITY

Encl :
a) **Registration Card No. 6791848223** for Stay IN 24OUT July 2025
b) **Registration Card No. 69636937** for Stay 19 IN 20OUT Sept 2025
c) **Registration Card No. 69800792** for Stay 24 IN 25OUT Sept 2025
d) **ID Card of Mr Saheel Sinha**
e) **ID Card of Mr Rishu Shree -Passport** No Z7290304
f) **Invoice No. 200229403 dtd 24.07.2025** of Mr Saheel Sinha
g) **Invoice No. 200240947 of Mr Satishkumar** Sampathkumar of Bengaluru
h) **Invoice No. 200241700 of Ravi Ranjan**

ECIR/PTZO/04/2024, संजीव हंस मामले से रिशु श्री प्रकरण का उद्भव हुआ। संजीव हंस बिहार के ऊर्जा विभाग में प्रमुख सचिव रहे और उन पर भागलपुर पीरपैंती में अडानी पावर प्लांट को अवरुद्ध करने का आरोप है।

❖ **समय-रेखा :-**

☞ संजीव हंस पर ED जांच।
☞ पीरपैंती में 1 रूपये में भूमि आवंटन।
☞ अडानी पावर प्लांट स्थापना का मार्ग प्रशस्त।

यह क्रम सार्वजनिक बहस का विषय है। स्वतंत्र जांच से ही स्पष्ट हो सकता है कि यह संयोग है या कुछ और।

'राजनीति में कभी-कभी गिरफ्तारी से अधिक शक्तिशाली होती है, गिरफ्तारी की संभावना।'

बिहार में NDA गठबंधन की आंतरिक राजनीति, JDU-BJP के बीच का असहज समीकरण और 2025 के राजनीतिक परिदृश्य में यह मामला केवल भ्रष्टाचार की लड़ाई नहीं रह जाता। परंतु यह भी सत्य है कि भ्रष्टाचार को राजनीतिक कहकर खारिज नहीं किया जा सकता। 11.64 करोड़ रूपये नकद, विदेश यात्राएं, लग्जरी उपहार, यदि सत्य हैं तो वे भ्रष्टाचार हैं।

BMSICL बिहार के सरकारी अस्पतालों का निर्माण करती है। यदि ठेके में भ्रष्टाचार है, तो उसकी कीमत वह गरीब जनता चुकाती है, जो इन्हीं अस्पतालों में इलाज के लिए आते हैं। परंतु दूसरी ओर यदि प्रतिस्पर्धी और सस्ती दर पर काम करने वाली कंपनी को जांच के डर में डाला जाता है, तो भविष्य में कोई भी कंपनी सरकारी ठेकों में कम दर नहीं लगाएगी।

तबादला-पोस्टिंग का भ्रष्टाचार चक्र और 25 लाख रूपये में नगर आयुक्त पद, यह बिहार के उस छिपे संकट की झलक है जहाँ प्रशासनिक पदों की खरीद-फरोख्त होती है। जो अधिकारी पैसे देकर पद पाता है, वह 'वसूली' कहाँ से करेगा? यह चक्र अंततः आम नागरिक को ही पीसता है। यदि गंगा सफाई की राष्ट्रीय परियोजना में 185.25 करोड़ रूपये की अपराध की आय ED का दावा सत्य है, तो यह केवल वित्तीय भ्रष्टाचार नहीं, यह एक राष्ट्रीय पर्यावरणीय और सामाजिक अपराध है।

❖ **विवादित बिंदुओं का सारांश :-**

विवादित बिंदु	ED का दावा	बचाव पक्ष का तर्क
BMSICL L1 और MD	MD को रिश्वत देकर ठेका	L1 नियमानुसार- रिश्वत में दर कम नहीं होती
संतोष मॉल का नाम	WhatsApp चैट में नाम और संवाद	गलत नंबर सेव था, असली मॉल नहीं
बयान की प्रकृति	स्वेच्छा से 2-3.5% कमीशन स्वीकारा	दबाव में लिए गए बयान
चिकित्सा दस्तावेज	जाली और मनगढ़ंत साबित	व्यक्तिगत स्वास्थ्य समस्या थी
ताज होटल प्रवास	समन से बचने के लिए दिल्ली में थे	स्वतंत्र नागरिक का अधिकार
Bid Capacity नियम	3 निविदाएं निरस्त	यही साबित करता है नियम-पालन हुआ

रिशु श्री प्रकरण को किसी एक रंग में नहीं देखा जा सकता। कुछ तथ्य निर्विवाद हैं, 11.64 करोड़ रूपये नकद बरामद, विदेश यात्राओं के दस्तावेज, Tally डेटा में प्रविष्टियाँ। कुछ गहरे विवादित हैं, बयानों की स्वैच्छिकता, संतोष मॉल का सही-गलत नंबर, BMSICL L1 प्रक्रिया की शुद्धता।

BMSICL के दस्तावेज यह स्थापित करते हैं कि निविदा प्रक्रिया में L1 घोषणा नियमानुसार हुई। परंतु यह निविदाएं उस बड़े तंत्र का एक हिस्सा भर हैं, BUIDCO, UDHD, नगरपालिकाओं और नमामि गंगे में जो कथित भ्रष्टाचार का जाल बिछा था, वह कहीं अधिक गहरा और गंभीर प्रतीत होता है। राजनीतिक प्रश्न भी उतने ही वास्तविक हैं। बड़े IAS अधिकारियों पर सीधी कार्रवाई का अभाव, नीतीश कुमार के नजदीकी अधिकारियों का नाम जुड़ना, जांच की राजनीतिक समय-रेखा, ये सब पारदर्शिता की मांग करते हैं।

भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई तभी विश्वसनीय होती है जब वह चयनात्मक न हो, राजनीतिक रंग से मुक्त हो और सभी पर समान रूप से लागू हो। बिहार की जनता को दोनों चाहिए, भ्रष्टाचार पर वार भी और निष्पक्ष न्याय भी।

''जांच एजेंसी का काम है साक्ष्य जुटाना। न्यायालय का काम है सत्य स्थापित करना और पत्रकारिता का काम है दोनों पर नजर रखना।''●

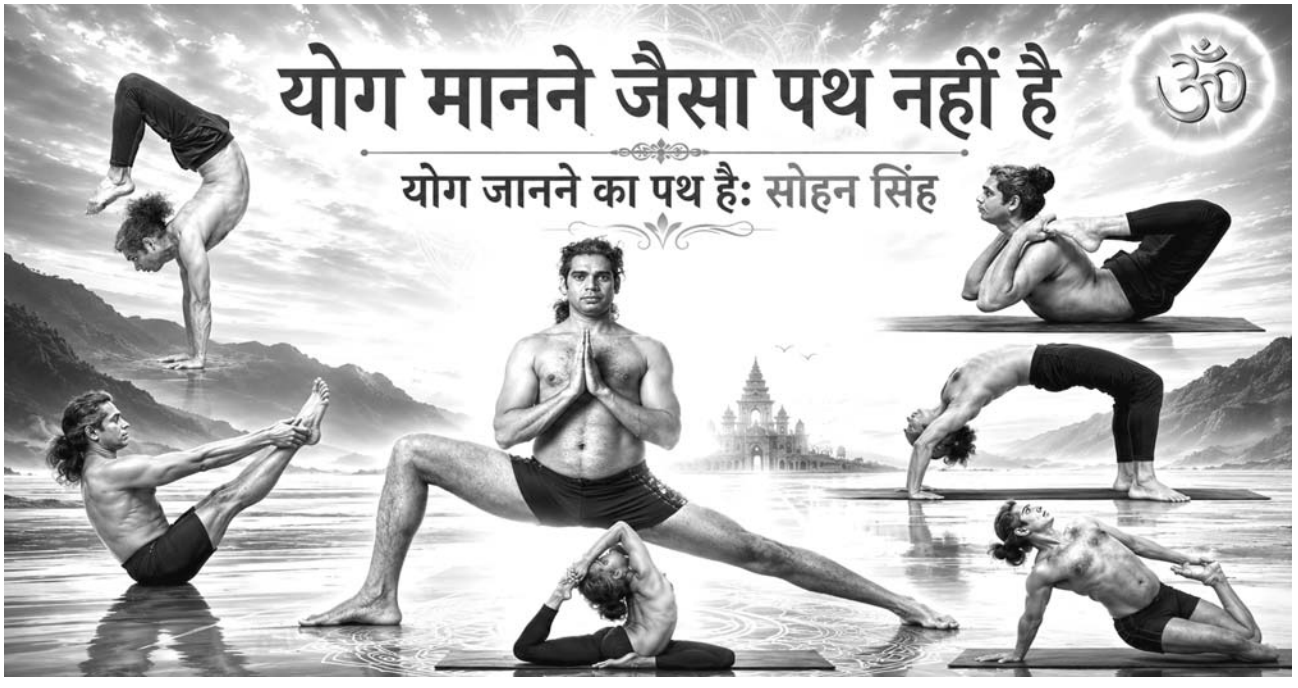

योग, ध्यान, अध्यात्म और दर्शन की भारतीय अनुपम परंपरा के वाहक सोहन सिंह चाइना में पिछले 20 वर्षों से सोहन योगा के माध्यम से योग के चिरंतन रंग और आसन से चीन ही नही अपितु दुनिया भर के लोगों को योग सिखाकर उन्हें जीवन में सुगम, शान्त और अध्यात्म जीवन जीने का अनुभव का अहसास करा रहे है। अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 21 जून को हिमालय की यूनाम चोटी पर पहली बार 75 योगासन करके कीर्तिमान स्थापित करने के लिए हिमाचल प्रदेश से 10 जून को हिमशिखर पर्वत पर चढ़ने की यात्रा आरंभ कर 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर भारतीय ध्वज लहराते हुए सारी दुनिया को योग का वैज्ञानिक और अध्यात्मिक संदेश देने निकल रहे। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में जन्मे सोहन सिंह से लेखक तथा वरिष्ठ पत्रकार सुरेन्द्र अग्निहोत्री ने एक लंबी बातचीत की। प्रस्तुत है उस बातचीत के मुख्य अंश :-

❖ एक आई.टी. के प्रोफेसर का योग गुरु बनने के पीछे का रहस्य क्या है?

मैं जब 23-24 साल पहले नौकरी के लिए विदेश आया तो पारिवारिक स्थित दयनीय थी। मेरी कोशिश रहती थी मेरा आईटी का जो जाँब है उसके अलावा योग की कक्षा लेकर कर्ज चुकाना चाहता था। शाम को 5 बजे जॉब खत्म होता था। तो सात, साढ़े सात से साढ़े आठ बजे तक कही न कही हफ्ता में तीन या चार योग कक्षा लिया करता था। धीरे-धीरे योग का प्रभाव गहराता गया और 2013 में विश्वविद्यालय में जब में प्रोफेसर था, उस दौरान भीतर से ऐसा अनुभव ऊपर की तरफ आया कि योग में उतर जाने का मन है। विश्व विद्यालय से प्रोफेसर पद से इस्तीफा देकर सोहन इन्टरनेशनल की स्थापना चीन में की। तब से योग ही मेरी इबादत है, यही मेरा रोजगार है।

❖ बचपन में आप क्या बनना चाहते थे? सनातन संस्कृति का कितना प्रभाव था कि आप योग की ओर खिंचे चले आये? आपने वैदिक साहित्य और संस्कृत का विधिवत् अध्ययन किया है?

बचपन में स्थिति ऐसी नहीं थी एक दिन में दो बार भोजन मिल जाये तो हमारे लिए सब से खुशी की बात होती थी। तब ज्यादा बड़े सपने तो नहीं थे, थोड़ी बहुत पढ़ाई-लिखाई यदि हो जाये, ताकि कोई ऐसा काम मिल जायेगा। नौकरी मिल जायेगी। परिवार का ठीक-ठाक भरण-पोषण हो जाये। भारतीय संस्कार और भारतीय संस्कृति की छाप परिवार के माध्यम से मेरे मन पर बहुत गहरी रही है। हम गरीब तो थे, आर्थिक रूप से गरीब थे, लेकिन बौद्धिक रूप से नहीं। माँ योग किया करती थी घर में। हमें उन्होनें उस उर्जा से बचपन में परिचित कराया। इस उर्जा ने भारतीय सनातन, भारतीय योग को हृदय में सही मायने में उतारा, फिर स्वाध्याय किया चेतना जगी, अपने शास्त्रों में उपनिषद को पढ़ा, योग शास्त्रों को खोजा और जाना योग की प्रखर ज्योति की ज्वाला को और कैसी प्रखर किया जा सके इस दिशा में निरंतर प्रयास, साधना और मनन, चिंतन तथा अध्ययन ने रुपांतरण किया। योग मानने जैसा पथ नहीं है योग जानने का पथ है।

❖ चीन में योग के प्रति वहां के समाज की सोच कैसी है? चीन के अलग-अलग शहरों में योग के कितने केंद्र स्थापित कर चुके है? चीनी सरकार का योग के प्रति कितना समर्थन है?

चीन के समाज में हर अच्छी चीज ग्रहण करने की चाहत के कारण योग को सहज स्वीकार हो रहा है। चीन के जियामिन, शेनझेन, गुइयांग, नानचांग, लोंग येन आदि शहरों में 9 योग सेंटर चल रहे हैं। पिछले चार सालों में चीन के 178 शहरों में योग के कार्यक्रम कर चुका हूं। सोहन योगा का मुख्यालय फुजियन प्रांत के जियामिन द्वीप में बनाया गया है, जो दक्षिण चीन में स्थित है। आज में यहाँ हूँ चीन में, यह कोशिश रहती है किसी भी स्टेज से किसी प्लेटफार्म से मैं बोलू भारतीय योग संपदा और भारतीय ध्वज को ऊँचा रखूं। मैं जहाँ भी जाऊँ, जिनके बीच भी रहूँ, कुछ भी हो जाऊँ हिन्दी, हिन्दू, हिन्दुस्तान यही मेरी पहचान है। यहीं मेरा राष्ट्रधर्म, गुणधर्म का अहम हिस्सा है। यह ऐसा अंग है, जिसके बिना सब छिन्न-भिन्न लगता है।

❖ सोहन योगा नाम देने का कारण क्या है? क्या अन्य योग से थोड़ा अलग है?

सोहन योगा नाम इसलिए दिया, क्योंकि योग का ध्वज मेरे हाथ में है। जिम्मेदारी मेरे ऊपर होगी। कोई बड़ा फैन्सी नाम दे सकता था। लोगों को उससे कनेक्ट होने में आसानी उतनी नहीं होती, जितनी आज होती है।

सोहन वो, जो सोहन योगा बाला सोहन है। योग में बहुत स्वाध्याय किया है योग में जिन चीजों को बाहर लाने की कोशिश की है। योग की वैसा ही को लोगों के सामने रखना है। योग कोई कथा कहानी नहीं है। योग विज्ञान है, अद्भुत विज्ञान। वैसा ही, जैसा हमारे बुजुर्गों ने हमें दिया है। अनुभव पर आधारित विद्या है। 2017 में माननीय पी.एम. मोदी जी ब्रिक्स की मीटिंग में मेरे शहर जियामिन में आये थे। जियामिन मेरे शहर का नाम है। माननीय प्रधानमंत्री जी को अपने शहर में देखकर ऊर्जा का नया आभास हुआ, उसके बाद ब्रिक्स के अलग-अलग फोरम पर योग का प्रतिनिधित्व किया। पीपुल एक्सचेंज फोरम, चाइनीज इण्डिया डायलॉग फोरम, सभी जगह मेरी कोशिश रही है योग के माध्यम से ऐसे प्लेटफार्म तैयार हो कि लोग भारतीय योग संपदा, भारतीय संस्कृति और हमारी जो सॉफ्ट पावर है उसे अच्छे से समझ सके।

❖ सोहन योगा का दुनिया के कितने देशों तक विस्तार हो चुका है? सोहन योगा भारत में कोई केंद्र है?

सोहन योगा का कोई केन्द्र भारत में नहीं है। सोहन योगा के 30 योग केन्द्र भारत में खोलना चाहता हूँ। जम्मू कश्मीर को मिलाकर। जम्मू के युवाओं को मुफ्त में योग की शिक्षा देकर योग के प्रति रुझान पैदा करना चाहता हूँ।

❖ उत्तर प्रदेश के ललितपुर के एक छोटे से गांव से निकल कर अब तक की यात्रा को देखकर संतुष्ट है?

मैं उत्तर प्रदेश के जिला ललितपुर के विरधा ब्लॉक के बारखेड़ा गांव से आता हूँ। गांव से निकलने वाला आदमी जमीन के यथार्थ मूल्य से जुड़ा रहता हूं। जो काम कर रहा हूँ, उसमें कार्यकुशलता हो। देश और योग का ध्वज ऊंचा रहे। यात्रा अभी चल रही है, देश और योग का नाम ऊपर रहे। गांव से निकल कर और यहां तक की यात्रा जारी है। मेरे जैसे हजारों लाखों करोड़ों बच्चे गाँव में है, जिनके पास एक चड्डी होती है, जैसी मेरे पास हुआ करती थी। बुन्देली में मेरा एक दोहा है-'हर चकमक में आग है बार सके तो बार, सुर सरगम लिपटाये है तार तार में सार।' संभावना सभी के अन्दर बराबर है, बस जगाने की बात है। योग बस यही चकमक की आग है।

❖ मां ने बचपन में जो योग सिखाया उसके अलावा अन्य किसी गुरू से सीख है? विदेशी लोगों को भारतीय योग से जोड़ने के लिए किस प्रकार कार्य कर रहे है? योग मे आहार का क्या महत्व है?

माँ से बचपन से योग सीखने के बाद सागर विश्व विद्यालय से पीजीडीसीए योगा तथा योगा में मास्टर डिग्री प्राप्त की। भारतीय योग में शाकाहार तथा आयुर्वेद से विदेशी लोगों को भारतीय योग से जोड़ता हूँ। मेरे जो फैन्स फ्लोइंग हैं, जहाँ भी कार्यक्रम होता, मेरी कोशिश होती भोजन का जो अरेजमेन्ट हो शाकाहारी हो, शाकाहार भोजन के विचार का विदेशी लोगों के सामने निरंतर रखता हूँ। एक हद तक हमें सफलता मिली है। लोगों ने जाना है शाकाहार हमारे शरीर के लिए कितना जरूरी है। तामसी भोजन करेंगे तो तामसी गुण आते जायेगें, सात्विक भोजन करेंगे तो सात्विक गुण आते चले जायेंगे। इस बात को लोगों के सामने रखते है।

❖ भारतीय योग के माध्यम से हिमालय पर आप योग दिवस पर कैसा कीर्तिमान बनाना चाहते है कृपया विस्तार से बताये? हिमालय पर जाने के लिए कब भारत आएंगे? भारत की तरह चीन के मशहूर टीवी शो में आप को बुलाया जाता है? आपको कितनी भाषा आती है?

चीन के इतिहास में कभी कोई योगा टीचर ने टी.वी. पर जाकर टी.वी. स्टार्स के रूप में योगा नहीं कराया हैं। मुझे यह सौभाग्य मिला कि पहला भारतीय टी.वी. योगा स्टार्स बनकर योगा कराया। इस कार्यक्रम में 70 करोड़ लोगों ने हूनान टी.वी. से जुड़कर योग को देखा है। मुझे 9-10 भाषाऐं आती है, जिनमें हिन्दी, अंग्रेजी, चाईनीज, थाई, राशियन, यूक्रेनियन बेसिक स्पेनिश, उर्दू, बेसिक अरबी भाषा है। मेरी कोशिश है कि जितनी भाषा सीख सकूँ तो सीखूं ताकि भारतीय योग हर देश में पहुँचाने के लिए उनकी भाषा में योग पहुंचाऊ।

❖ भारत विशेष तौर पर अपने गृह प्रदेश यूपी के लिए योग के माध्यम से किस तरह की परिकल्पना है?

भारत भूमि में उत्तर प्रदेश की भूधरा से प्रेम वैसा ही अनगढ़ हो जाता है। वहाँ मेरा जन्म हुआ, उसी उत्तर प्रदेश के बुन्देलखण्ड की हवा पानी में पला बढ़ा हूँ। अपने गृह प्रदेश के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ। वर्तमान उ.प्र. सरकार, वर्तमान आयुष मंत्रालय का सहयोग मिल जाये तो यूपी के 75 जिले में योग के अनूठें कार्यक्रम कर अपने यूपी के जो यूथ हैं, भारतीय यूथ को योग से जोड़ना चाहता हूँ। आप सब जानते हैं संस्कृत हमारी बोल चाल की भाषा थी, लेकिन आज कर्मकांड की भाषा बनकर रह गयी है। हम उसे यूथ से नही जोड़ पाये। भारतीय योग यूथ के लिए बहुत कारगर है। आज हमारा यूथ लुम्बा सुम्बा और जिम करने में लगा है। उसे भारतीय योग की तरफ लेकर आऊँ। योग की वैज्ञानिकता मुझे सामर्थ देती है। जब मैं उसके सामने योग को विस्तार से रखूँगा वह जुड़ेगा एक अद्भुत ट्रांसमीशन योगा से हो सकेगा।

❖ योग का परम लक्ष्य क्या है? अध्यात्म!

योग के सम्बन्ध में ढेरों परिभाषाऐं टीका टिप्पणी मिल जाती है। योग का परम लक्ष्य व्यक्ति का आंतरिक रूपांतरण, शरीर के साथ-साथ मन का एक हो जाना शरीर और मन दोनों एक हो जाये, ऐसी स्थिति में आचार-विचार और संचार तीनों का एकीकरण हो जाता है। फिर एक ऐसे मनुष्य की कल्पना सम्भव होती जहां हर चीज वैसी ही होती है। जैसी प्राकृतिक तरीके से होना चाहिए। योग के माध्यम से स्वस्थ शरीर, स्वस्थ चित निर्माण के साथ एक अच्छे राष्ट्र के निर्माण की परिकल्पना का लक्ष्य है। यूरोप में जर्मनी, आस्ट्रेलिया में बहुत सारे लोग यह पूछते है कि भारत अध्यात्म का केंद्र रहा है सदा से। अगर अध्यात्म को पढ़ना है, जानना है तो किसे पढ़ा जाये? गूगल पर देखते हैं तो इतना कुछ निकल कर आता है सामने की समझ में नहीं आता है, कहाँ से शुरू करू? मैं उनको बताता हूँ। सनातन संस्कृति समझने शंकराचार्य से आप शुरू करें। द्वैत-अद्वैत के साथ आगे बढ़े। स्वामी विवेकानन्द को समझे, स्वामी रामकृष्ण परमहंस को, उनके गुरू तोतापुरी को। ईश्वरीय धारण के परे भगवत्ता को जानना है तो भारतीय अध्यात्मिकता की आत्मा हमारे उपनिषदो को पढ़े। एक सूत्र समझ में आ जाये तो जीवन की चेतना समझ में आ जाती है। योग के माध्यम से आगे बढ़ने का पथ पतंजलि के बारे में बताता हूँ। एक सूत्र एक महाग्रंथ की रचना है। 9वां सूत्र शब्द 'ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प'। इस एक सूत्र में जैसे एक सिन्धु समाया है। फिर मैं लोगों को भारतीय अध्यात्म समाज की उस परम्परा जहां रस बरसा है, वहां कबीर हैं, दादू हैं, रैदास हैं, नानक हैं-''नाम खुमारी नानका, चढ़ी रहे दिन रात"।

❖ युवाओं के लिए आपकी क्या सीख है?

युवाओं से कहने के लिए बहुत कुछ है। मेरी कोशिश है विदेश में रहते हुए योग से इतने लोगों को लाभप्रद किया है, तो अपने बच्चे अपने लोग अपनी मिट्टी के प्रति भी सर्मपण है और जिम्मेदारी भी है। मेरा सभी से अनुरोध है कि योग से जुड़िये। योग में वजन नही उठाना पड़ता, योग वजन उठाना नही सिखाता है। योग खुद के शरीर को उठाना सिखाता है। मन को उठाना सिखाता है।

लोकसंगीत के बिना जीवन अधूरा : देवी

ज्ञान, कर्म, तपस्या एवं बलिदान की धरती बिहार हमेशा से संघर्ष करते आ रही है और इस संघर्ष करने वाली धरती पर जिन्होंने ने भी अपनी कर्मठता, दक्षता, योग्यता एवं अनुभव का परिचय दिया उसे यह धरती ने विश्व के मानस पटल पर सुनहरे शब्दों में अंकित किया है चाहे बात प्राचीन काल की हो या मध्य, आधुनिक चाहे बात शिक्षा, चिकित्सा की हो या फिर लोकसंगीत की। बिहार की लोक परंपरा एवं संस्कृति भले ही विविधताओं से भरी हो लेकिन यहाँ के कलाकारों ने लाखो लोगो के दिलों पर राज किया है और यहाँ की संस्कृति की खुशबू को पूरे देश में फैलाया हैं । कला एवं संगीत के बिना जीवन अधूरा है और इसकी महत्ता स्पष्ट दिखती है कि पुराणों में, वेदों में, शासन में प्रशासन में बिना संगीत के कोई रह ही न पाया है चाहे वह नर हो या नारायण। ऐसे ही नहीं कहे थे हमारे देश के महान वैज्ञानिक एवं राष्ट्र के महामहिम राष्ट्रपति डॉ ए पी जे अब्दुल कलाम "मुझे तो संगीत साधना से विश्राम मिलता हैं ।जब मैं थक जाता हूँ तो अपनी वीणा उठाता हूँ और उसके तारों की मधुर ध्वनि में खो जाता हूँ ।वीणा का मधुर स्वर मेरी शारीरिक एवं मानसिक थकान उतार देता हैं ।वीणा वादन मेरे लिए एक मानसिक विश्राम है तो संगीत साधना एवं भाव समाधि''। वास्तव में संगीत लहरियाँ व इससे निकलने वाली ध्वनियाँ हमारे अंतर्मन को झकझोर देती हैं और व्यक्ति के सबकुछ बिखरने के बाद भी न सिर्फ नये तरीके से संवारने के लिए बल्कि सफलता के लिए भी तैयार करती है क्योंकि संगीत के स्वर निराशा से आशा की ओर ले जाते है। जीवन में, मरण में, युद्ध में, त्याग में, मेहनत में और निद्रा सबके लिए संगीत है और उनके स्वर व्यक्ति के उथल पुथल हृदय को बाँधने का प्रयास करते हैं। संगीत मनुष्य के सोच विकसित, संयमित, विश्राम के साथ ही एकाग्रता आत्मविश्वास और जोश से भर देता हैं। आज देश की लोकप्रिय, मृदुभाषी, हरदिल अजीज, शांत स्वभाव एवं अपने स्वर के माध्यम से लगभग 2 दशकों से ज्यादा समय से मनोरंजन की दुनिया में लोगो के दिल पर राज करने वाली लोकगायिका **देवी** से हमारे पत्रिका के विशेष प्रतिनिधि **मुकेश कुमार** द्वारा खास मुलाकात में किये गये साक्षात्कार पर प्रस्तुत है इसके प्रमुख अंश :-

❖ **अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि बताएँ।**

मैं मूल रूप से बिहार के छपरा शहर से ताल्लुक रखती है। मेरे पिता जी डॉ० प्रमोद कुमार फिलोशॉफी के प्रोफेसर थे, वहीं माता जी सावित्री वर्मा बॉटनी के प्रोफेसर के रूप में जय प्रकाश नारायण विश्वविद्यालय छपरा में कार्यरत थी। हमारी शुरुआती शिक्षा छपरा शहर से ही सम्पन्न हुई और मैंने संगीत की शिक्षा से ग्रेजुएशन किया है। माँ-पापा दोनों ही म्यूजिक लवर रहे है और उस जमाने में जब सीडी डीवीडी की व्यवस्था नहीं थी म्यूजिक सुनने के कई यंत्र अपने पास रखकर लोकसंगीत का आनंद लेते रहे है और इसका असर हम बहनों पर भी पड़ा। मैं बचपन से ही संगीत की दुनियां में कदम रख चुकी थी। मात्र 6 साल के उम्र में ही मैंने स्टेज

प्रोग्राम शुरू कर दिया था।

❖ लोकगायिका देवी का कौन सा पहला गाना, जिनसे उन्हें लगने लगा कि वह लोगो के बीच में काफी लोकप्रिय होने लगी?

2003 में आया एक गाना "पुरवा बयार'' उस समय नया नया वीडियोज सीडी आया था उसमें मेरा फोटो था, मैं जहाँ भी जाती लोग पहचान लेते, घेर लेते और मुझसे मिलने के लिए लाइन लग जाया करती है, जैसे आज हर हाथ में मोबाइल के माध्यम से सेल्फी का जमाना है। उस समय ये चीजे न के बराबर थी।

❖ 2003 में बिहार के महिलाओं की स्थिति आज की तरह नहीं थी, उस समय महिलाएँ अधिकांशतः घर से बाहर नहीं निकल पाती थी तो उस समय संगीत के क्षेत्र में करियर बनाना कितना चुनौतीपूर्ण था?

मेरे पापा बहुत ही ओपेन माइंडेड हैं और हमारे घर में संगीत को बहुत ही ऊँची नजर से देखा जाता है। पापा को संगीत से बहुत लगाव है। पापा ने हमेशा से मेरे सपनों की उड़ान दी है, कोई रोकटोक नहीं थी। मैं और मेरी छोटी बहन नीति को म्यूजिक में रुचि हुई तो म्यूजिक क्लास ज्वॉइन किए, टीचर घर पर आकर क्लास लेते थे और पापा ने कभी ऐसा नहीं सोचा कि बच्चे को इसमें नहीं भेजना है। उनकी सोच थी जहाँ रुचि है वहाँ बढ़िए। स्वतः हमलोग संगीत में अच्छा गाते थे तो लोगो को अच्छा लगता था। यही से सिलसिला शुरू हो गया जो अब तक जारी है।

❖ कौन -कौन सी शैली में आप गाना गाती हैं और सबसे ज्यादा ख्याति आपको कहाँ से मिली?

मैंने भजन, हिंदी गाना, रोमांटिक गाना, गजल एवं कवाली तक गाए हैं। सबसे ज्यादा ख्याति मुझे भोजपुरी लोकगीत से मिली है। इसमें हमने बहुत सारे लोकप्रिय गाने गाए है, जैसे छठ गीत। एक हमारे पुराने पारंपरिक गाने है "परवर बेचे जाए भागलपुर"। हमारी पहचान एक भोजपुरी सिंगर के रूप में है, लेकिन मैं हिंदी में भी बहुत सारे गाने गायी हूं। एक मेरा गाना पूरे देश में पॉपुलर हुआ था "यारा वो यारा तेरी अदाओ ने मुझे मारा''।

❖ उस समय के भोजपुरी लोकगीत एवं आज की गीत में क्या अंतर देखती है आप?

आज तो जमाना ही बहुत बदल गया है। टेक्नोलॉजी आ गया है। पहले टेक्नोलॉजी नहीं था और इंसान को पब्लिक के बीच में आने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती थी। जब तक कंपनी आपके गाने को रिलीज नहीं करेगी उसको कोई सुन नहीं पाएगा। आज के कलाकार को एडवांटेज मिला है। कलाकारों के लिए कम से कम सोशल मीडिया है। कोई भी टैलेंट इजली लोगो के सामने आ जाता है, उस समय ऐसा नहीं था। अभी का समय ज्यादा सहज हो गया है। अपने आप को पब्लिक के बीच में लाने के लिए, अपनी संगीत प्रस्तुत करने के लिए। इसलिए अपनी संस्कृति एवं मर्यादा में रहकर प्रस्तुति देनी चाहिए लेकिन भोजपुरी संगीत का लेवल काफी नीचे गिर गया हैं। जब मैं 2003 में आई थी उस समय भी भोजपुरी संगीत में अश्लीलता थी, उस समय भी अश्लीलता के आरोप लगते थे लेकिन हमारे जो भी गाने रहे उनपर कभी भी अश्लीलता के आरोप नहीं लगे। हमलोगों ने अच्छे लिरिक्स गाने ढूँढकर बनाये एवं लोगो के सामने प्रस्तुत किए। इसलिए हमारे गाने लोगो के बीच, महिलाओं के बीच, परिवारों में आज भी सुने जाते हैं। मेरे शो में आज भी महिलाएं काफी संख्या में आती हैं। पहले के समय में एक हिट गाने 6-6 महीने एक साल तक लोग सुनते थे। कम गाने बनते थे, आज ज्यादा गाना बनता है। आज तो इतने तरह की चीजे लोग देख रहे हैं कि कई बार माइंड डाइवर्ट हो जाता है। भोजपुरी में बढ़ती अश्लीलता अभी की सच्चाई है। आज हमलोग कुछ रील्स देखते हैं, स्टेज शो पर जिस तरह की बात हो रही है, जिस तरह के शब्दों का प्रयोग हो रहा है, जिस तरह के एक्शन का प्रयोग कर रहे हैं स्टेज पर, वो तो पता नहीं कैसे लोग बर्दाश्त कर रहे हैं। ये बहुत ही शर्मनाक है, कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए।

❖ बिहार सरकार से आपलोगों को किस तरह की मदद की जरूरत होनी चाहिए?

मुझे लगता है, जो भी सरकार है उसे कलाकारो को मदद करनी चाहिए। जो भी अच्छे कलाकार हैं उनको प्रमोशन मिलना चाहिए, उन्हें मंचों पर जगह मिलनी चाहिए। कोई कलाकार कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे स्टेज पर जगह मिले इस पर सरकार की निगाहें जानी चाहिए। क्योंकि अच्छे कलाकारों को मंचों तक पहुंचाना सरकार का भी दायित्व बनता है।

❖ भोजपुरी लोकगीतों में बढ़ती अश्लीलता के बारे में आपकी क्या राय है?

मैं बस इतना कहना चाहूँगी मुकेश जी, अश्लीलता का कोई भविष्य नहीं होता है। लोग आज सुनेंगे कल भूल जाएँगे। लेकिन अच्छे गीतों का आज भी महत्व हैं। आज भी लोग सम्मान के साथ नाम लेते हैं। जब लोग सजग हो जाएँगे तो अश्लीलता को रोका जा सकता है। सुनने एवं बनाने वाले भी भारी तादाद में हैं, इसमें बनाने वाले ज्यादा दोषी हैं। मैं कलाकारों से यही अनुरोध करूँगी की थोड़ा अपनी बुद्धि लगाएं और अच्छे गानों को समाज में प्रस्तुत करें, ताकि आपका सम्मान से नाम लिया जा सके। भिखारी ठाकुर, महेंद्र मिश्र तो इस दुनिया में नहीं हैं लेकिन उनकी कला आज भी अमर है। जो कलाकार अच्छा काम कर रहे हैं, उनको लोग हमेशा याद रखता है।

❖ भोजपुरी लोकगीत की देवी आज संगीत के अलावा क्या कर रही है?

अभी तो मेरा बच्चा हुआ है तो अभी पूरा मदर हुड में बिजी हो गई हूँ। बच्चे की देखभाल का अपना एक अलग अनुभव है, साथ ही साथ प्रोग्राम भी चल रहे हैं। मेरा बेटा 'जंगल' काफी कोऑपरेटिव है तो मैं उसको लेकर ही कई सारे स्टेज शो जाती हूँ। मैं फिलवक्त अपने ऋषिकेश के मकान में ही रह रही हूँ, जहाँ संगीत रिकॉर्डिंग भी चल रहा है। इसके अलावा यहाँ मैंने "देवी म्यूजिक आश्रम" स्थापित किया है, जहाँ लोगो को संगीत की शिक्षा दी जा रही है। क्लासिकल म्यूजिक के साथ-साथ फिलोसफी टॉक भी होता है, क्योंकि जीवन को समझना बहुत जरूरी है। कैसे अच्छे से जिया जाए इस पर भी हमलोगों बहुत कुछ केयर करते हैं। जहाँ पूरे वर्ल्ड से लोग आते हैं, आप भी हमारे ऋषिकेश देवी म्यूजिक आश्रम में हैं तो देख ही रहे हैं। हमलोग एक साथ खाते-पीते हैं और एक दूसरे की संस्कृति समझने का प्रयास कर रहे हैं, साथ ही इसी माध्यम से हमलोग पूरे विश्व में भारतीय संगीत को पॉपुलर करने में अपनी महत्ती भूमिका निभा रहे हैं। हमारी छोटी बहन नीति भी बहुत अच्छी सिंगर है, जिनके कई गाने हिट हैं और गाने के साथ-साथ यही म्यूजिक क्लास भी लेती हूं।●

सेवानिवृत महिला प्रोफेसर हुई डिजिटल अरेस्ट

आरोपी गिरफ्तार

● श्रीकांत कुमार श्रीवास्तव

पटना साइबर थाना की पुलिस ने 78 वर्षीया सेवानिवृत प्रोफेसर ज्योति वर्मा को डिजिटल अरेस्ट कर 2.66 करोड़ रुपये ठगी करने के आरोपित शुभम राय को कोलकाता के हुगली से गिरफ्तार किया है। वह कोलकाता के हुगली के सेरामपोर बोरल बगान लेन निवासी हैं। ज्योति वर्मा ने 15 नवम्बर 2024 को इसकी प्राथमिकी दर्ज करायी थी। साइबर थाने की पुलिस ने दो साल बाद इनपुट मिलने पर आरोपित को कोलकाता से गिरफ्तार किया। ज्योति वर्मा कदमकुआं थाना अंतर्गत राजेन्द्र नगर की निवासी हैं। पटना साइबर थाना के डीएसपी नीतीश चंद्र धारिया ने बताया कि ज्योति वर्मा को 5 नवम्बर 2024 को फोन कर बताया गया कि आपने अपने एसबीआई क्रेडिट कार्ड से 1.15 लाख रुपये खर्च किये हैं, जिसको लेकर आप पर प्राथमिकी दर्ज हुई है। जब उन्होंने बताया कि मैंने क्रेडिट कार्ड के लिए कोई आवेदन ही नहीं दिया है तो उन्हें किसी बड़े ऑफिसर से बात कराके बताया गया कि आपके नाम से एक खाता केनरा बैंक, हैदराबाद में जो नरेश गोयल से संबंधित मनी लॉन्ड्रिग से जुड़ा है और आप संदिग्ध हैं। बाद में उनके वाट्सएप पर अरेस्ट वारंट भेजा गया। ज्योति वर्मा को साइबर अपराधियों ने बताया कि आपसे बात करने वाले व्यक्ति सीबीआई के इंचार्ज के. शिवा सुब्रमणी हैं। मामला गंभीर है और किसी को बताने पर जान का खतरा हो सकता है। आपको अपना सारा पैसा सुप्रीम कोर्ट को भेजना होगा, जिसकी निगरानी में आरबीआई जाँच करेगा। आरोपितों ने उन्हें कई दिनो तक घर में ही डिजिटल अरेस्ट कर रखा। इस दौरान डरा-धमका करके चेक और आरटीजीएस से अलग-अलग बैंक खातों में पैसे डलवायें जाते रहे। अंत में साइबर ठगों ने बताया कि आपके पास ब्लैकमनी है, आपको एनओसी मिलेगा। उसके लिए भी पैसे देने हैं। इसके बाद ज्योति वर्मा ने 7.50 लाख रुपये दे दिए। इस तरह से उनसे ठगों ने 2.66 करोड़ रुपये ठग लिए। बाद में एक परिचित घर पर आए तब केस किया गया।●

जज की पत्नी से ठगी करने वाला कोलकाता में पकड़ा गया

बिजली मीटर अपडेट करने का झांसा देकर एक जज की पत्नी के खाते से 56 हजार रूपये निकासी करने के आरोपित अंचल चटर्जी को साइबर थाने की पुलिस ने कोलकाता के हुगली से गिरफ्तार किया। वह हुगली के पंडुआ के कमरगढ़ बोइंचीग्राम निवासी है। उस पर 17 अप्रैल को जज ने केस दर्ज कराया था। गिरफ्तार अंचल चटर्जी ने अपने खाते को साइबर अपराधियों को 10 फीसदी कमीशन पर दिया था।

अभी कलम उठाइये

आपके सामने हो रहे भ्रष्टाचार एवं अपराध की खबर की समीक्षा करें और सरकार सहित पुलिस-प्रशासन तक उसको पहुंचाने के लिए केवल सच पत्रिका के साथ जुड़े। खबर की जानकारी इस नम्बर पर दें

सम्पर्क करें:- 9431073769/8340360961

ई-मेल:- editor.kstimes@rediffmail.com पर भेजें।